

PERFECT



साप्ताहिक

समसामयिकी

नवम्बर 2018

अंक 4

विषय सूची

नवम्बर 2018
अंक-4

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

01-18

- प्रथम विश्व युद्ध का शताब्दी वर्ष
- शहरों के पुनर्नामकरण की औचित्यता का परीक्षण
- तालिबान शांति वार्ता एवं क्षेत्रीय स्थिरता
- ईस्ट एशिया सम्मिट और भारत
- एफपीसी: कृषि क्षेत्र में सामूहिकता की एक नई अवधारणा
- नाभिकीय त्रिकोण: रक्षा क्षेत्र में नये युग की शुरूआत
- ओजोन परत में लगातार होता सुधार

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

19-24

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

25-32

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न

33-41

सात महत्वपूर्ण तथ्य

42

सात महत्वपूर्ण प्रजातियाँ

43-45

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

46

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. प्रथम विश्व युद्ध का शताब्दी वर्ष

चर्चा का कारण

हाल ही में संपूर्ण विश्व द्वारा प्रथम विश्वयुद्ध का शताब्दी वर्ष मनाया गया। इस अवसर पर पेरिस से 200 किमी. दूर विलर्स गुसलेन में इंडियन वॉर मेमोरियल का अनावरण किया गया। यह उन भारतीय सैनिकों की याद में पहला नेशनल मेमोरियल है जिनकी मृत्यु प्रथम विश्वयुद्ध के समय फ्रांस में हुई थी। विदित हो कि यह मेमोरियल फ्रांस के न्यूवे-चौपेल (Neuve Chapelle) के इंडियन मेमोरियल से अलग है जिसका निर्माण कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन द्वारा किया गया था। इसका निर्माण यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन (USI) ऑफ इंडिया की मदद से भारत सरकार द्वारा किया गया जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम. वैकैया नायडू द्वारा किया गया जो इस समय फ्रांस में मनाए जा रहे शताब्दी स्मृति समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उद्घाटन का लक्ष्य इस महान युद्ध में फ्रांस को स्वतंत्रता दिलाने में भारतीय सैनिकों के योगदान पर प्रकाश डालना है।

पृष्ठभूमि

विश्व के इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ई. से 11 नवंबर 1918 ई. के मध्य जल, थल और आकाश में लड़ा गया। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या और इससे हुई क्षति के अभूतपूर्व आकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध का नाम दिया गया। ये करीब 4 साल 4 महीने तक चला था। इस युद्ध ने करीब आधी दुनिया को अपनी चपेट में में लिया जिसमें कि एक करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और इससे दुगने घायल हुए थे। इसके अलावा बीमारियों एवं कुपोषण जैसी घटनाओं से भी लाखों लोग मरे।

प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र और दूसरी ओर धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में रूस, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, सयुक्त राज्य अमेरिका और इटली थे सयुक्त राष्ट्र अमेरिका इस युद्ध में साल

1917-1918 के दौरान संलग्न रहा। वही धुरी राष्ट्र में केवल 3 देश मौजूद थे ऑस्ट्रो-हंगेरियन (आस्ट्रिया एवं हंगरी), जर्मनी और ओटोमन एम्पायर।

युद्ध का विस्तार

जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस के साथ युद्ध की घोषणा की और अपनी सेनाओं को लामबंद करना आरंभ किया लेकिन तत्काल जर्मन आक्रमण रूस पर नहीं बल्कि बेल्जियम व फ्रांस पर हुआ। 2 अगस्त को जर्मन सरकार ने तटस्थ बेल्जियम सेनाओं के लिए एक रास्ते की माँग करते हुए बेल्जियम सरकार को एक अंतिम चेतावनी दी जिसे बेल्जियम ने नाराजगी जताते हुए अस्वीकार कर दिया।

फ्रांस सरकार ने खतरे को पूरी तरह भाँपते हुए पहले ही लामबंदी का आदेश दे दिया था और 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस से युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मन सेनाएँ 4 अगस्त को फ्रांस पर धावा बोलने के लिए बेल्जियम में घुस गईं और उसी दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध करने की घोषणा कर दी।

कई दूसरे देश शीघ्र ही युद्ध में शामिल हो गए। जापान ने जर्मनी से युद्ध की घोषणा कर दी। वह ब्रिटेन के साथ एक समझौते में शामिल हुआ लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य सुदूर-पूर्व में जर्मन क्षेत्रों पर कब्जा करना था। ब्रिटेन द्वारा प्रायः अपने सबसे पुराने सहयोगी के रूप में संदर्भित पुर्तगाल भी युद्ध में सम्मिलित हो गया।

1915 में इटली ने आस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। बाद में रोमानिया व यूनान भी ब्रिटेन, फ्रांस व रूस के साथ शामिल हुए और ये देश अपने सहयोगियों के साथ मित्र शक्तियों के रूप में जाने गए। बुल्गारिया ने जर्मनी व आस्ट्रिया का साथ दिया।

तुर्की ने नवंबर में रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी और जर्मनी व आस्ट्रिया की ओर

से युद्ध में शामिल हुआ। ये देश अर्थात जर्मनी व आस्ट्रिया एवं उनके सहयोगी धुरी शक्तियों के रूप में जाने गए। अमेरिका, मित्र शक्तियों की ओर से 1917 में युद्ध में शामिल हुआ। कुल मिलाकर युद्धरत देशों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। इस प्रकार संघर्ष का क्षेत्र व्यापक हो गया।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद बदलाव

1914 से 1918 के मध्य यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीन महाद्वीपों के जल, थल और आकाश में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। उस समय की पीढ़ी के लिए यह जीवन की दृष्टि बदल देने वाला अनुभव था। विश्व युद्ध खत्म होते-होते चार बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी और उस्मानिया ढह गए। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुईं और अमेरिका निश्चित तौर पर एक 'सुपर पावर' बन कर उभरा।

युद्ध के पश्चात इसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। उसके असर दिखने शुरू हो गये थे और उनमें से एक असर यह था कि सोवियत संघ में 370 साल पुरानी जारशाही साम्राज्य का अंत हो गया और वहां पर साम्यवाद शुरू हुआ कुछ समय बाद साम्यवादी देश सोवियत संघ एवं अमेरिका के बीच कोल्ड वार शुरू हो गया और इन दोनों देशों ने लगभग 30,000 परमाणु बम बना लिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ कई अन्याय हुए जिसने दूसरे विश्वयुद्ध को जन्म दिया। ब्रिटेन का सूरज लगभग अस्त होने वाला था और पश्चिम में एक अमेरिका नाम की महाशक्ति का उदय हुआ। दरअसल यूरोप में हुए युद्ध के कारण यूरोप में कई उद्योग खत्म हो चुके थे लगभग सारी कंपनियां और मिल बंद हो चुके थे यूरोप के अंदर खुद से कुछ चीज को पैदा करने की क्षमता नहीं थी। इस तरह ब्रिटेन की मांगों को पूरा करने के लिए अमेरिका में उद्योग शुरू हुए और अमेरिका कुछ ही सालों में धनी देश बन गया। इस विश्व युद्ध ने कई देशों की भूगोल बदल कर रख दिया। ऑस्ट्रिया और हंगरी

नाम के दो देशों की अलग-अलग स्थापना हुई, मोन्टेनेग्रो का कोई अस्तित्व नहीं रहा और बहुत से छोटे-छोटे देशों का जन्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी बहुत ही बुरी तरह से पराजित हुआ।

जर्मनी को अपने देश का लगभग बहुत बड़ा हिस्सा अपने आस पास के देशों को दे देना पड़ा। जर्मनी की रेलवे इंजन टेक्नोलॉजी और सबमरींस फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध में हुए नुकसान की भरपायी के नाम पर छीन ली तथा ऊपर से 50 अरब डॉलर का जुर्माना भी लगाया। यह जर्मनी के लिए बिल्कुल सहने वाली बात नहीं थी। जर्मनी की सत्ता के लिए यह बहुत ही असंतोषजनक बात थी क्योंकि उनका देश और उनकी सरकार घुटनों पर थे।

प्रथम विश्वयुद्ध और भारत

भारत की भी इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका रही प्रथम विश्वयुद्ध में भारत कि भूमिका को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

- प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक 14 लाख भारतीय सैनिक रणभूमि में जुटे रहे। दिल्ली का इंडिया गेट इन सिपाहियों के लिये श्रद्धांजलि के रूप में एक प्रतीक है, जिस पर प्रथम विश्वयुद्ध में शहीद हुए सिपाहियों के नाम अंकित हैं। अविभाजित पंजाब के युवक बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए थे।
- उल्लेखनीय है कि साल 1914 (जब युद्ध शुरू हुआ था) से 1919 के दौरान करीब 74 हजार भारतीय सैनिक शहीद हुए।
- प्रथम विश्व युद्ध में घायल हुए भारतीय सैनिकों की संख्या 31 दिसंबर 1919 तक 64,350 थी तथा 3,762 सैनिक या तो लापता हो गए या उन्हें जेल भेजा गया।
- वही 11 सैनिक विक्टोरिया क्रॉस विजेताओं को चुना गया। यह आंकड़े अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1923 में प्रकाशित किताब 'इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द ग्रेट वॉर' से और नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर आर्म्स फोर्सिस हिस्टोरिकल रिसर्च से लिए गए हैं।
- यहा ध्यान देने वाली बात है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान न केवल भारतीय सैनिकों ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया बल्कि भारत से भारी मात्रा में सामान युद्ध में लड़ रहे ब्रिटेन के सैनिकों तक पहुंचाया गया। बावजूद इसके ब्रिटेन का दृष्टिकोण भारत के प्रति और भी घातक होती चली गई।

- गौरतलब है कि लड़ाई की शुरुआत पश्चिमी मोर्चे से हुई थी। स्विस् बॉर्डर से शुरू होकर लड़ाई फ्रांस और बेल्जियम तक फैल गई। बेल्जियम में ही सैनिकों को खतरनाक जहरीली गैसों का सामना करना पड़ा। जर्मनी और मित्र राष्ट्रों ने भारी मात्रा में कई टन गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए।
- वही दूसरी तरफ पूर्वी मोर्चा में पश्चिमी एवं सेंट्रल यूरोप और मिडल ईस्ट शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहां हुई लड़ाईयों में बड़ी सेनाएं भी शामिल थीं। सेनाओं ने इस दौरान यहां अभियान चलाए और युद्ध रणनीतियां भी अपनाईं। यहां हुई लड़ाईयों में सबसे बड़ी लड़ाई गलीपोली में हुई लड़ाई मानी जाती है। इस लड़ाई में मित्र राष्ट्रों के सैनिकों को बेहद नुकसान हुआ।
- आंकड़ों के मुताबिक गलीपोली में हुई लड़ाई में 15 हजार भारतीय सैनिक शामिल थे। इनमें से करीब 1500 सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा इस मोर्चे में आने वाले कुत-अल-अमारा (जो मिडल ईस्ट में स्थित है) में मित्र राष्ट्रों के सैनिकों को पांच महीने तक बंदी बनाकर रखा गया था। यहाँ सभी सैनिक चारों ओर से दुश्मनों से घिरे हुए थे, इन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया गया था।
- अफ्रीकी मोर्चा- यहां जितनी भी लड़ाईयां हुईं वह शाही उपनिवेशों के कारण हुईं। जिनमें से ईस्ट अफ्रीका में हुई लड़ाई सबसे लंबी थी। युद्धविराम के लिए 11 नवंबर को यूरोप में संधि पर हस्ताक्षर किए गए लेकिन बावजूद इसके ब्रिटेन और जर्मनी के सैनिक लड़ते रहे। इधर सबसे ज्यादा लड़ने वालों में अफ्रीकी और भारतीय थे। गोलाबारूद की आपूर्ति के लिए देशी वाहकों के तौर पर महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल हुआ। ईस्ट अफ्रीका में हुए युद्ध में 1 लाख मौतें हुईं। वहीं फ्रेंच नॉर्थ अफ्रीका और फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका में 65 हजार मौतें हुईं।
- एशिया और पैसिफिक मोर्चा- यहां हुई अधिकतम लड़ाईयों में नौसेना की लड़ाई शामिल थीं। इनमें सबसे बड़ी लड़ाई सिंगताओ की घेराबंदी कर हुई। यह एक जर्मन द्वारा नियंत्रित बंदरगाह था। लड़ाई के बाद सिंगताओ बंदरगाह ही जापान और चीन के बीच विवाद की वजह बना। बाद में सर्वोच्चता के लिए दोनों देश झुकते गए।

जापान मित्र देशों की सेनाओं का ही भाग था, चीन ने मित्र देशों के सैनिकों की मदद के लिए हजारों की संख्या में श्रमिक भेजे। सिंगताओ विवाद इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि चीन ने जून 1919 में वर्साय संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस मुद्दे पर चीन में भी विरोध प्रदर्शन हुआ था।

विदित हो कि भारतीय सैनिक युद्ध में इसलिए शामिल हुए क्योंकि गरीबी के दौर में उन्हें इसके लिए वेतन दिया जा रहा था। उन्हें अंजान और अपरीचित देशों में भेजा गया, जहां से कई सैनिक कभी वापस नहीं लौटे। इन सैनिकों को न तो हथियार चलाने आते थे और न ही युद्ध के दौरान इन्हें किसी प्रकार की कोई छुट्टी दी गई। इन्हें बस एक फाइटिंग मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इन्हें कोई सम्मान देने की बजाय खाली हाथ भारत भेज दिया गया।

उपनिवेश होने के कारण बिना सहमति भारत को आर्थिक और सैन्य रूप से ब्रिटेन की मदद करनी पड़ी। इसका नतीजा ये निकला कि भारत, लगभग दिवालिया हो गया।

- ब्रिटेन की वित्तीय मदद के लिए भारत ने 14.6 करोड़ यूरो चुकाए।
- वहीं 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक, भारत पर 10% टैक्स बढ़ा दिया गया।
- ब्रिटिश उत्पादों की कीमतों को 10% बढ़ा दिया गया।

आगे कि राह

इसे हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की तथा विश्व शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। सद्भाव और भाईचारे के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए काम करने हेतु संकल्प लिया जिससे युद्धों के कारण होने वाली मौत और विनाश से बचा जा सके। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने फ्रांस में न्यूवे-चौपेल स्मारक और इम्राइल के हाईफा स्मारक। जब प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतन्याहू भारत आए थे, तब तीन मूर्ति - हाईफाचौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी।

विश्व के देशों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति को लेकर विश्व शांति के लिए हाल ही में अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए तथा सद्भाव और भाईचारे के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए काम करने हेतु संकल्प लेना सराहनीय है चूंकि इससे न सिर्फ युद्धों के कारण होने वाली मौत और विनाश से बचा जा सकेगा बल्कि आर्थिक

राजनैतिक विश्व बंधुता जुड़ाव को भी क्षती से बचाया जा सकेगा। उदाहरण के लिए आर्थिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध में सैकड़ों अरब डॉलर खर्च हुए। जिसकी भरपाई आज तक विश्व के देश कर रहे हैं।

अगर वर्तमान हालत को देखे तो आज विश्व एक बार फिर गुटीय रूप से बँट रहा है जिसकी अभिव्यक्ति यदा-कदा उत्तरी कोरिया विवाद, तेल संकट, समुद्री मार्ग परियोजना, आर्थिक, व्यापारिक क्षेत्रों में देखने को मिलती है इस संदर्भ में अमेरिका-रूस और चीन के बीच विवाद गहरा रहा है। कई मामलों में तो अमेरिका-रूस एक दूसरे को कई बार पुनः शीत युद्ध तक की धमकी दे चुके हैं। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, संगठनों व गैर सरकारी संगठनों कि भूमिका ने इस पर नियंत्रण स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है।

ऐसे हालातो से बचने के लिए विश्व स्तर पर कुछ सझाव को अमल में लाया जा सकता है जैसे-

- UNO की भूमिका को बढ़ाया जाए व उसको ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जाए।
- युद्ध को लेकर आपसी समझौते सहमति पर बल दिया जाए।
- गुटनिरपेक्ष जैसे संगठन विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- विश्व युद्ध संबंधित दिवसों, स्मारकों को महत्व देकर इसके विनास से होने वाले जान माल के नुकसान से विश्व को अवगत कराया जाए। इस संदर्भ में भारत द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है।
- यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन, भारत के

स्वतंत्रता पूर्व प्रमुख युद्धों का 'बैटलफिल्ड गाइड्स' तैयार कर रहा है ताकि 'बैटलफिल्ड टूरिज्म' को बढ़ावा दिया जा सके। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कई पर्यटक इन स्थानों पर घूमने के लिये आते हैं, जहाँ पर युद्ध लड़े गए थे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शनशास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, आदि, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव शामिल होंगे।

2. शहरों के पुनर्नामकरण की औचित्यता का परीक्षण

चर्चा का कारण

अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल (कैबिनेट) ने फैजाबाद मंडल का नाम बदलकर अयोध्या मंडल और इलाहाबाद मंडल का नाम बदलकर प्रयागराज मंडल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

भारत के प्रमुख शहरों के नाम बदलने की मुहिम सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य में ही नहीं चल रही है बल्कि इस तरह की प्रवृत्तियाँ कमोवेश पूरे भारत में देखी जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य का नाम बदलकर 'बांग्ला' रखने के प्रस्ताव को केन्द्र को भेजा था किन्तु केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति न देते हुए कहा कि उक्त नाम पड़ोसी देश 'बांग्लादेश' से मिलता-जुलता है, जो उपयुक्त नहीं है।

पृष्ठभूमि

भारत के शहरों का पुनर्नामकरण वर्ष 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ कर जाने के बाद आरंभ हुआ था, जो आज तक जारी है। कई पुनर्नामकरणों में राजनैतिक विवाद भी हुए हैं। सभी प्रस्ताव लागू भी नहीं हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पुनर्नामकित हुए मुख्य शहरों में हैं-

1.	बड़ौदा	वडोदरा
2.	त्रिवेन्द्रम	तिरुवनंतपुरम
3.	बॉम्बे	मुंबई

4.	मद्रास	चेन्नई
5.	कोचीन	कोच्चि
6.	कलकत्ता	कोलकाता
7.	पॉन्डिचेरी	पुदुचेरी
8.	कॉनपोर	कानपुर
9.	बेलगाम	बेलगावि
10.	इंधूर	इंदौर
11.	पंजीम	पणजी
12.	पूना	पुणे
13.	सिमला	शिमला
14.	बनारस	वाराणसी
15.	वाल्टेयर	विशाखापत्तनम
16.	तंजौर	तंजावुर
17.	जबलपोर	जबलपुर
18.	कालीकट	कोझिकोडे
19.	गौहाटी	गुवाहाटी
20.	मैसूर	मैसूरु
21.	अल्लेपे	अलप्पूझा
22.	मैंगलोर	मंगलुरु
23.	बैंगलोर	बंगलुरु
24.	गुडगांव	गुरुग्राम

आजकल उत्तर प्रदेश में शहरों का नाम बदले जाने का मामला सुर्खियाँ बटोर रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शहरों का नाम बदलकर सरकार वोट बैंक की राजनीति खेल रही है, जबकि सरकार का कहना है कि सरकार नाम बदल कर सिर्फ शहरों को उनकी पहचान देने का कार्य करती है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कई

ऐसे शहर हैं जो अपने नाम को लेकर विवादित बने रहते हैं, उनमें से प्रयागराज व अयोध्या के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्य निम्नलिखित हैं-

प्रयागराज: अकबरनामा और आईने अकबरी व अन्य मुगलकालीन ऐतिहासिक पुस्तकों से ज्ञात होता है कि अकबर ने 16वीं शदी के उत्तरार्द्ध में प्रयागराज में किले की नींव रखी। उसने यहाँ नया नगर बसाया जिसका नाम उसने इलाहाबाद रखा। उसके पहले इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता था। हिन्दी नाम इलाहाबाद का अर्थ अरबी शब्द इलाह (अकबर द्वारा चलाये गए नए धर्म 'दीन-ए-इलाही' के संदर्भ में, अल्लाह के लिए) एवं फारसी से आबाद (अर्थात् बसाया हुआ यानि ईश्वर द्वारा बसाया गया, या ईश्वर का शहर) से संदर्भित है।

अयोध्या: रामचरित्रमानस (गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित) से ज्ञात होता है कि त्रेता युग में फैजाबाद का नाम साकेत था और इसमें ही अयोध्यानगरी थी, जहाँ हिन्दू धर्म के आराध्यदेव 'राम' का जन्म हुआ था। मुगलकाल में इसका भी नाम फैजाबाद कर दिया गया था।

राज्य एवं शहरों के पुनर्नामकरण की प्रक्रिया

राज्य का पुनर्नामकरण: किसी राज्य के नाम बदलने को लेकर अंतिम रूप से अधिकार केन्द्र सरकार के पास ही होता है। यदि इस तरह के प्रस्ताव पर राज्य की मंत्रिमंडल विचार

करती है तो वह इसे राज्यपाल के पास भेजती है तथा राज्यपाल इस प्रस्ताव पर अपनी अनुसंशा देने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजता है, जो इसे स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

संविधान के 'अनुच्छेद 3' किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति को उल्लिखित किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद, विधि द्वारा-

1. किसी राज्य में उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी;
2. किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;
3. किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;
4. किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी;
5. किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी; हालांकि इस सम्बन्ध में 'अनुच्छेद 3' में दो शर्तों का उल्लेख किया गया है-

1. उपरोक्त परिवर्तन से सम्बंधित कोई विधेयक (Bill) राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है।
2. संसुति से पूर्व राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमण्डल को भेजता है ताकि उसका भी मत जाना जा सके। हालांकि राष्ट्रपति, राज्यविधान मंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संविधान, संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने और उनके नाम या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है।

नोट: कुछ आलोचक कहते हैं कि 'अनुच्छेद 3' के प्रावधान संघीय भावना के प्रतिकूल प्रतीत होते हैं क्योंकि संघ (केन्द्र) इस अनुच्छेद के द्वारा राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करता है और उनकी पहचान को परिवर्तित कर सकता है। इससे राज्यों की स्वायत्तता का विचार ही निरर्थक हो जाता है।

इस प्रावधान का बचाव करते हुए ये कहा गया है कि संघ सरकार स्थानीय जनभावनाओं का उल्लंघन करते हुए मनमाने रूप से राज्यों के नाम व भू-भाग आदि को नहीं बदल सकती। ज्ञातव्य है कि संघ सरकार के द्वारा राज्य का निर्माण किया जा सकता है परंतु नवनिर्मित राज्य को 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्यसूची की सभी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए राज्य, संघ सरकार पर निर्भर नहीं होती, अतः इसे संघीय भावना के प्रतिकूल कहना तार्किक नहीं है।

शहरों के नाम बदलने की प्रक्रिया:

किसी शहर के पुनर्नामकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होती है। इस प्रक्रिया में यदि कोई जनप्रतिनिधि शहर का नाम बदलने से संबंधित प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजता है तो राज्य मंत्रिमण्डल इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करके राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधायिका के समक्ष रखती है। यदि यह प्रस्ताव यहाँ पारित हो जाता है तो अमुक शहर या जिला का नाम बदल दिया जायेगा।

पुनर्नामकरण के कारण:

- स्थानीय भाषा के नाम को अंग्रेजी भाषा की वर्तनी के अनुकूल बनाने हेतु ब्रिटिश उपनिवेशकों ने लगभग 200 वर्षों में कई भारतीय शहरों के नामों में परिवर्तन किया। यथा-पहले कानपुर (Kanpur) का नाम कौनपोर (Cawnpore) था, जिसे अंग्रेजों ने अपनी भाषा के मुताबिक परिवर्तित करके कानपुर (Kanpur) कर दिया। अतः सरकार (केन्द्र व राज्य) स्थानीय भाषा व संस्कृति के अनुरूप नाम रखने हेतु पुनर्नामकरण करती है।
- यूरोपीय मूल के नाम को भारतीय मूल में परिवर्तित करने हेतु। यथा-मुंबई में स्थिति छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का पहले 'विक्टोरिया टर्मिनस' (Victoria Terminus) नाम था।
- भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों में जागरूकता विकसित करने हेतु।
- भारतीय संस्कृति से प्रेरित बड़े शहरों के नाम होने से हमारी संस्कृति की वैश्विक पहचान बनती है।

पुनर्नामकरण को लेकर विवाद

शहरों या राज्यों के नाम बदलने को लेकर विद्वानों की राय में एकरूपता नहीं है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक पहचान स्थापित करने का उपकरण समझते हैं जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि अधिकतर यह कार्य दुर्भावनापूर्ण रूप से अल्पसंख्यकों की संस्कृति को ढ़कने का कार्य किया जाता है।

पुनर्नामकरण के पक्ष में तर्क निम्नलिखित हैं-

- शहरों, रेलगाड़ियों, स्टेशनों, शैक्षणिक संस्थाओं या अन्य महत्वपूर्ण स्थान व जगह का नाम यदि अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा जाता है तो इससे संस्कृति (Culture)

का संरक्षण होता है क्योंकि इस प्रक्रिया (सांस्कृतिक नामकरण) से लोग अपनी संस्कृति के बारे में जागरूक होते हैं।

- मानव के पास 'कला व संस्कृति' (Art and Culture) एक अमूल्य निधि होती है, इसके द्वारा वह अपने जीवन को संसाधित व पोषित करता है। भारतीय संस्कृति पाँच हजार साल से अधिक पुरानी है तथा इसके अमूल्य तत्व तब से लेकर आज तक अक्षुण्य रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहे हैं। ऐसे में सरकार व हम लोगों का यह नैतिक दायित्व बनता है कि अपने इन अमूल्य संसाधनों को सहेजने का उत्कृष्ट प्रयास करें।
- अंग्रेजों ने कई शहरों के नाम अपनी संस्कृति के अनुसार बदले थे, जो हमारी गुलामी के दिनों की याद दिलाते हैं। अतः ऐसे शहरों या संस्थानों आदि के नामों बदलना को उचित है।
- संस्थानों या स्थानों के नाम को यदि महापुरुषों के नाम पर रखा जाता है तो यह उनके प्रति हमारी श्रद्धा को दर्शाता है।

विपक्ष में तर्क

- पुनर्नामकरण के आलोचक कहते हैं कि सरकार में जब किसी एक खास विचारधारा या धर्म को बढ़ावा देने वाली पार्टी का वर्चस्व होता है तब वह अनावश्यक रूप से लोगों पर अपने विचारों/संस्कृति को थोपने का प्रयत्न करती है, जिससे सामाजिक समरसता के छिन्न-भिन्न होने का खतरा उत्पन्न होता है।
- अभी तक जितने भी पुनर्नामकरणों पर विवाद हुआ है, उनमें से अधिकतर मुगलकालीन संस्कृति से सम्बंधित थे। मुगलकालीन संस्कृति के पक्षकारों का कहना है कि भारत के निर्माण में इसका भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि अन्य संस्कृतियों का है।

नोट: मुगलकालीन संस्कृति के सांस्कृतिक नामों में परिवर्तन को लेकर हुए विवाद निम्नांकित हैं।

- वर्ष 2015 में दिल्ली में 'औरंगजेब रोड' का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया।
- अगस्त 2018 में मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया गया। उल्लेखनीय है कि 1860 में इस स्टेशन की स्थापना हुई थी।
- सरकार खास विचारधारा से प्रेरित होकर 'गंगा-जमुनी तहजीब' पर प्रहार कर रही है। उत्तर भारत की इस तहजीब में सांस्कृतिक

विविधीकरण का एक अनूठा संगम है, जो भारत की 'अनेकता में एकता' (Unity in Diversity) को परिलक्षित करती है।

- व्यापारी वर्ग प्रसिद्ध शहरों के पुनर्नामकरण को वैश्वीकरण के युग में लाभकारी नहीं मानता है। उसका मानना है कि इससे विश्व स्तर पर शहर के नाम को लेकर भ्रम की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि 'बहुराष्ट्रीय कम्पनियों' के आज कई बड़े-बड़े शहरों में ऑफिस हैं जिससे उन्हें पता (Address) आदि को निर्धारित करने में दिक्कत आती है। जैसे, सरकार ने 2014 में जब बंगलोर का नाम बदलकर बंगलुरु किया तो अमेरिकी सॉफ्टवेयर कम्पनियों को काफी दिक्कत आयी थी।
- शहरों के नाम में परिवर्तन करने पर यदि उनके हालात बदल जायेंगे अर्थात् वहाँ सर्वांगीण विकास की लहर दौड़ पड़ेगी, ऐसा सोचना दिन में सपने देखने के समान है।

- शहरों या संस्थानों के अति पुनर्नामकरण से 'सांस्कृतिक युद्ध' (Cultural war) के छिड़ने का भय बना रहता है, जो किसी भी देश की 'आंतरिक शांति व्यवस्था' को भंग कर सकता है।

निष्कर्ष

शहरों, राज्यों और संस्थानों आदि के नाम बदलने से उनके सर्वांगीण विकास में कितना बदलाव आएगा, यह वाद-विवाद का विषय हो सकता है किन्तु इस बात में किंचित मात्र का संदेह नहीं है कि अनावश्यक रूप से बड़े स्तर पर नामों को बदलने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। सरकार के पास उपलब्ध धन जनता का होता है, जिसे वह अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष करों (Taxes) के माध्यम से इकट्ठा करती है और अप्रत्यक्ष करों का भार समान रूप से अमीर से लेकर गरीब तक, सभी उठाते हैं तो ऐसे में विशेषकर गरीबों की आय के हिस्से के रूप में संग्रहित सरकारी खजाने को जिम्मेदारी के साथ खर्च करना होगा।

भारत में आज भी विशाल जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही, तो ऐसे में सरकार को अपने प्राथमिकता के क्षेत्र निर्धारित करने होंगे। सरकार की एक सुस्पष्ट नीति होनी चाहिए, जिसमें यह परिलक्षित हो कि वह भविष्य में किन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करेगी और किस प्रकार से करेगी? जब हमारे पास संसाधनों की सीमितता हो, तब विकासपरक नीति की आवश्यकता और अधिक हो जाती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

3. तालिबान शांति वार्ता एवं क्षेत्रीय स्थिरता

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत के अफगानिस्तान-तालिबान शांति के मुद्दे पर मास्को (रूस) में हुई बैठक में हिस्सा लिया हालांकि भारत की यह भागीदारी अनाधिकारिक तौर पर हुई। यह पहली बार है कि जब भारत अफगानिस्तान में शांति और सुलह के मुद्दों पर अफगान तालिबान के साथ वार्ता में शामिल हुआ।

विदेश मंत्रालय के अनुसार दो-तीन मुद्दों पर अहम चर्चा हुई जिसमें पहला यह कि भारत, अफगानिस्तान में शांति और सुलह के प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। दूसरा यह कि भारत अफगानिस्तान की सुरक्षा और खुशहाली के लिए हमेशा उसके साथ है और तीसरा यह कि भारत अफगानिस्तान के हर नीति का समर्थन करता है। क्योंकि अफगानिस्तान की ओर से शांति के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वो भारत के हितकर में हैं।

परिचय

तालिबान का उदय 1990 की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में माना जाता है। इस दौर में जब सोवियत सेना वापस जा रही थी तब पश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफगानिस्तान

में अपनी जड़े जमा ली थीं। इनका मूल उद्देश्य धार्मिक मदरसों को बढ़ावा देना था। इन मदरसों का खर्च सऊदी अरब द्वारा दिया जाता था। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 2001 के अफगानिस्तान युद्ध के बाद यह लुप्त हो गया था पर 2004 के बाद इसने अपनी गतिविधियाँ दक्षिणी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बढ़ाई है। वर्ष 2009 में इसने पाकिस्तान की उत्तर-पश्चिमी सरहद के करीब स्वात घाटी में पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता किया समझौते के तहत यह तय हुआ कि तालिबान इस क्षेत्र में आतंकी घटनाएं बंद करेगा तथा इसके बदले उन्हें शरीयत के अनुसार काम करने की छूट मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि तालिबान आंदोलन जिसे तालिबान या तालेबान के नाम से जाना जाता है, एक सून्नी इस्लामिक आधारवादी एक राजनीतिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। तालिबान पश्तों भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञानार्थी (छात्र) ऐसे छात्र जो कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं। इसकी सदस्यता पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले कट्टरपंथी छात्रों को मिलती है। 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में

तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला अमर देश का सर्वोच्च धार्मिक नेता था, उसने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम घोषित कर रखा था। तालिबान आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान तथा संयुक्त अरब अमीरात ने मान्यता दे रखी थी। अफगानिस्तान को पाषाणयुग में पहुंचाने के लिए तालिबान को जिम्मेदार माना जाता है।

भारत का दृष्टिकोण

भारत उन देशों में से एक है जिसने 1996-2001 के तालिबानी शासन को मान्यता देने से इंकार कर दिया था। 1999 में IC-814 विमान के अपहरण के दौरान भारत को समझौते के लिए मजबूर किया गया।

1990 के दौरान भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान प्रायोजित तालिबान शासन से लड़ने वाले उत्तरी गठबंधन को सैन्य और वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी। तालिबान विरोधी उत्तरी गठबंधन ताकतों का नेतृत्व कर रहे अहमद शाह मसूद ने 2001 में भारत का भ्रमण भी किया था लेकिन बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी।

अमेरिका में 9/11 का हमला तथा अमेरिका कार्रवाई के बाद तालिबानी शासन के अंत के उपरांत 2001 में हामिद करजई के शासन की

शुरूआत के शुभ अवसर पर तात्कालिन विदेश मंत्री जसवंत सिंह काबूल गये थे तत्पश्चात भारत ने पुनः अपना राजदूत भेजना शुरू कर दिया था। वर्तमान में तालिबान तेज गति से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते जा रहा है हालांकि भारत तालिबान से दूरी बनाये हुए है।

अफगानिस्तान-तालिबान शांति की आवश्यकता क्यों?

ईधर हाल के वर्षों में देखा जाय तो एशिया के देशों में अमेरिका और रूस दोनों की सक्रियता तथा दखलंदाजी बढ़ती जा रही है जो एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। इनमें दोनों देशों के अपने अलग-अलग हित हैं और उनकी पूर्ति के लिए दोनों देश किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं रूस पिछले कुछ वर्षों से अफगान मामलों में सक्रिय रूप से शामिल हो गया है। मॉस्को ने ईरान और भारत सहित क्षेत्रीय देशों के साथ परामर्श की एक शृंखला आयोजित की है।

अमेरिका की गतिविधियाँ भारत और अफगानिस्तान दोनों में रही हैं इसको देखते हुए रूस भी अपनी विदेश नीति के तहत इन देशों में बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। वह चाहता है कि एशिया के देशों में अमेरिका का प्रभुत्व कम हो, इसी का परिणाम है कि वह चीन का भी खुलकर समर्थन करता है। जबकि वहीं अमेरिका अफगानिस्तान के मामले में सक्रिय रहता है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कई वर्षों से वह खुद ले रहा है। हालांकि करजई की सरकार बनने के बाद अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से लगभग वापस चली गई हैं। फिर भी किसी भी विवादित मुद्दे पर खासतौर पर रक्षा संबंधी मुद्दे पर अमेरिका का साथ अफगानिस्तान को हमेशा मिलता है और यही कारण है कि तालिबान की भौहें अमेरिका के प्रति सदा तनी रहती है। इन सब परिस्थितियों का फायदा रूस अफगानिस्तान एवं तालिबान में सक्रिय होकर उठाना चाहता है।

इसके अलावा भारत तथा चीन भी तेजगति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएँ हैं और इनके भी अपने हित हैं जो पूरे एशिया में इनकी सक्रियता को बढ़ाती हैं। इनमें भी यदि भारत की स्थिति को देखें तो भारत के सामने अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि भारत के कुछ पड़ोसी देशों के साथ विवाद लगातार बना हुआ है। तालिबान की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि वह पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर लगातार आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। चूँकि भारत कभी भी

तालिबान का समर्थन नहीं करता है और वह चाहता है कि तालिबानी गतिविधियाँ बंद हो इसका कारण भी तालिबान भारत को क्षति पहुंचाते रहता है। यदि तालिबानी घटनाओं पर ध्यान दें तो पिछले 6 महीनों में अफगानिस्तान के शहरी और ग्रामीण इलाकों में आतंकवादी हमलों से गरीब बच्चों, महिलाओं युवाओं और बुर्जुगों सहित लगभग 5122 निर्देष लोग मारे गये। पाकिस्तान में भी सौकड़ों लोग मारे गये।

भारत इस समय अफगानिस्तान के विकास में काफी सहयोग कर रहा है। भारत चाहता है अफगानिस्तान में शांति बहाल हो जिससे कि इस पूरे क्षेत्र में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। भारत सुरक्षा से लेकर आर्थिक व सामाजिक विकास में भी अफगानिस्तान का साथ दे रहा है। अफगानिस्तान में भारत के कई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। आकड़े बताते हैं कि साल 2000-2017 के बीच भारत ने अफगानिस्तान को लगभग 4400 करोड़ रुपयों की आर्थिक मदद दी है। यह क्षेत्रीय तौर पर सबसे ज्यादा और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 5वीं सबसे बड़ी मदद है। भारत अफगानिस्तान को हवाई रास्ते से जोड़ना, पावर स्टेशन निर्माण स्वास्थ्य व शिक्षा में निवेश, संसद का विकास जैसे कार्य कर रहा है।

इसके अलावा सरकारी अधिकारियों, पुलिस और राजनयिकों की ट्रेनिंग में भी मदद कर रहा है। 2009 में भारत के बॉर्डर रोड आर्गेनाइजेशन ने एक बड़े सड़क निर्माण प्रोजेक्ट के अंतर्गत अफगानिस्तान के निमरोज राज्य में दोलाराम से जराज को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण पूरा कर लिया है। 2011 में भारत ने अफगानिस्तान को 3 एमआई-25 लड़ाकू हेलिकॉप्टर दान में दिये। 290 मिलियन डॉलर का भारत की मदद से बना सलमा डैम को “भारत-अफगानिस्तान फ्रेडशिप डैम” का नाम दिया गया है। इन सब विकास कार्यों का विरोध तालिबान द्वारा किया जा रहा है। जिससे कि इस क्षेत्र में भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

इसके अलावा चीन ने भी अफगानिस्तान में काफी निवेश किया है इसलिए वह भी चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभुत्व कम हो। इसके साथ ही चीन भारत के अफगानिस्तान में बढ़ते प्रभुत्व से भी परेशान है। इसलिए वह चाहता है कि इसके द्वारा अफगानिस्तान में अधिक से अधिक विकास किया जाय और यह तभी संभव है जब तालिबानी हस्तक्षेप को कम किया जाएगा। तालिबान चूँकि संसाधन संपन्न क्षेत्र है। इसलिए भी चीन शांति चाहता है ताकि

अफगानिस्तान के साथ मिलकर वह उन संसाधनों का दोहन कर सके।

यदि अफगानिस्तान की बात करें तो जब से वहाँ करजई की सरकार बनी तब से अफगानिस्तान विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वहाँ आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में शांति कायम हों क्योंकि बिना शांति के वह विकास नहीं कर पाएगा। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि बिना विदेशी निवेश के वह खुद के संसाधनों से अपना विकास नहीं कर सकता है। वह अमेरिका, रूस, चीन, भारत आदि देशों से अपना संबंध बेहतर बनाये रखना चाहता है जिससे कि इनके द्वारा सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक विकास के क्षेत्र में सहायता प्राप्त हो सके। यही कारण है कि अफगानिस्तान तालिबान से शांति के लिए समझौता करने पर तैयार है।

शांति समझौता को लेकर चुनौतियाँ

मॉस्को में संपन्न शांतिवार्ता न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि यह क्षेत्रीय देशों के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन इस वार्ता के सफल होने को लेकर कई तरह की चुनौतियाँ हैं जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है।

1. इस तरह की शांति वार्ता गत वर्ष 2017 में हुई थी जिसका उद्देश्य तालिबान के साथ सीधी वार्ता करना था लेकिन तालिबान के आतंकवादी और अडियल रवैये के कारण यह वार्ता सफल नहीं हो सकी। अफगानिस्तान में संपन्न इस वार्ता में बारह देश जिनमें रूस, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, और तुर्कमोनिस्तान शामिल थे जबकि अमेरिका ने भी इसका विरोध किया था।
2. यह शांतिवार्ता रूस में हो रही है जो तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। अफगान युद्ध के समय तालिबान के कारण ही रूस को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए तालिबान से रूस की वार्ता सफल होगी इसकी संभावना कम ही है।
3. तालिबान का अफगानिस्तान से शांतिवार्ता की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि अफगानिस्तान अपनी भूमि से अमेरिकी सेना को बाहर करे जो अफगानिस्तान को शायद कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। चूँकि अभी तक तालिबान को सबसे अधिक क्षति अमेरिका ने ही पहुंचाई है। वर्ष 2004 से लेकर अबतक अमेरिका ने तालिबान के खात्मे के लिए

38409 बम गिराए हैं। वर्ष 2018 में ही 711 जवान और 1271 नागरिक भी मारे गये। यह अमेरिका के लिए सबसे लम्बा युद्ध बनते जा रहा है। इस तरह की क्षति से तालिबान अमेरिका को किसी भी हालत में अफगानिस्तान से बाहर करना चाहता है।

4. एक प्रमुख बात यह है कि इस वार्ता में भारत भी शामिल हो रहा है, भले ही वह अनाधिकारिक तौर पर है अतः भारत कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए तालिबान को पाकिस्तान के समर्थन से दूर रखना चाहेगा जो तालिबान को शायद मान्य न हो।
5. इस शांतिवार्ता में रूस का अपना प्रत्यक्ष हित शामिल है इसलिए अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान का झुकाव रूस की तरफ हो जो एक बड़ी चुनौती है।
6. चीन जो अपने व्यापार को अत्यधिक फ़ैलाना चाहता है वह पाकिस्तान से साथ मिलकर तालिबान पर अंकुश लगाना चाहता है जो शायद तालिबान को कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अलावा अफगानिस्तान भी चीन के अत्यधिक हस्तक्षेप को सही नहीं मानता है।
7. तालिबान का उदय ही आतंकवाद और युद्ध की बदौलत हुआ है तथा वर्तमान में भी उसके इस्लामिक देशों से समर्थन इसी आधार पर मिलता है। अतः वह शांति की राह पर चलेगा इसकी संभावना कम ही है।
8. तालिबान ने अफगानिस्तान के समर्थन के बदले इस्लामिक धर्म, और राष्ट्रीय हितों के संबंध में संविधान में बदलाव की मांग की

है। तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता मुहम्मद सोहेल शाहीन ने कहा कि काबुल सरकार के साथ वार्ता शुरू करने से पहले “बाहरी ताकतों की उपस्थिति” का मुद्दा प्रमुख है।

आगे की राह

जब किसी देश या संगठन का उदय ही कट्टरपंथी विचारधारा के आधार पर हुआ हो तो उससे शांति की बात करना बेइमानी लगती है। तालिबान के संदर्भ में भी कुछ ऐसा ही है। मास्को शांतिवार्ता एक नई उम्मीद की किरण अवश्य है क्योंकि यह पहल एक शक्तिशाली और सक्षम देश द्वारा की जा रही है।

भारत सर्वथा से शांति का सिपाही रहा है। इसलिए वह चाहता है कि बदलते वैश्विक संबंधों के दौर में उसके पड़ोस में शांति कायम रहे जिससे कि विश्व बंधुत्व की भावना प्रबल हो सके। वह चाहता है कि उसके संबंध अफगानिस्तान से बेहतर हो ताकि वह इस देश में अपने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों को नई ऊँचाईयों प्रदान कर सके।

यह सही हैं कि तालिबान का खात्मा या फिर उसे सही रास्ते पर चलने के लिए दबाव बनाना इतना आसान नहीं है। लेकिन यदि अमेरिका अपने निजी हितों के अलावा सोचे तो वह इनमें मध्यस्थता कर सकता है जिस तरीके से रूस ने पहल की है।

यह सर्वविदित है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है। इसलिए अमेरिका को भी यह बात समझनी होगी और अफगानिस्तान में

तालिबानियों के विरुद्ध वह जो युद्ध छेड़ रखा है उस पर फिर सोचना होगा तथा शांति प्रक्रिया के तहत समाधान को तलासना होगा।

अफगानिस्तान की समस्यायें चूँकि क्षेत्रीय रूप से जुड़ी हुई है इसलिए चीन, पाकिस्तान, भारत, रूस ईरान आदि जैसे देशों के साथ मिलकर वह अपनी समस्याओं को काफी हद तक हल कर सकता है। तालिबानियों के प्रति भी ठोस रणनीति के तहत कार्य करना होगा जिससे कि कम से कम क्षति के बावजूद वह अपना विकास कर सकें।

शांतिवार्ता में तालिबान के प्रतिनिधियों को शामिल करने से विश्व स्तर पर तालिबान का कद बढ़ा है इसलिए रूस को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं तालिबान इसका गलत फायदा न उठा ले।

हाल ही में भारत और पाकिस्तान के एससीओ (SCO) में शामिल होने से अब अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है जो कि अफगानिस्तान के लिए स्वर्णिम अवसर होगा। इसलिए अब अफगानिस्तान को अपनी धरती से आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाना होगा। इसके अलावा नाटों के देशों को भी अफगानिस्तान के विकास में सहयोग करना होगा जिससे कि उस क्षेत्र में शांति कायम हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

4. ईस्ट एशिया सम्मिट और भारत

चर्चा का कारण

हाल ही में 13वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में शामिल नेताओं ने समुद्री सहयोग सहित वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। सम्मेलन में “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शांत, खुला एवं समावेशी हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र, मजबूत होते समुद्री सहयोग और संतुलित क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक भागीदारी (Regional comprehensive, Economic Partnership- RCEP) का भारतीय दृष्टिकोण दोहराया। साथ ही प्रधानमंत्री ने सिंगापुर, आस्ट्रेलिया और थाइलैण्ड के प्रधानमंत्रियों के

साथ द्विपक्षीय बैठकें की जिसमें व्यापार, रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

क्या है पूर्वी एशिया सम्मेलन?

पूर्वी एशिया-शिखर सम्मेलन पूर्वी-एशिया और प्रशांत क्षेत्र की राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर एक साझी रणनीति बनाने और विकास से जुड़े मसलों को हल करने के लिए बना एक महत्वपूर्ण मंच है। जिसकी अध्यक्षता सिर्फ आसियान देशों के सदस्य ही करते हैं।

इस सम्मेलन के सदस्य देशों की संख्या 18

है। इसमें 10 देश आसियान अर्थात दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन के सदस्य हैं जिनमें- बुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा, आस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एशिया-प्रशान्त क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और साझा हितों पर खुले और पारदर्शी तरीके से आपस में चर्चा करना और उनका हल ढूँढना है।

पृष्ठभूमि

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) का गठन दिसंबर, 2005 में हुआ था लेकिन इसके प्रयास काफी पहले से शुरू हो गये थे। पूर्वी एशिया की स्थापना का विचार सबसे पहले वर्ष 1991 में मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद ने दिया। आसियान+3 देश जिनमें चीन जापान और दक्षिण कोरिया शामिल थे के द्वारा वर्ष 2002 में ईएएस के लिए पूर्वी एशियाई अध्ययन समूह की स्थापना की गई। इस समूह की अंतिम रिपोर्ट आसियान + 3 देशों एवं ईस्ट एशिया समिट पर आधारित थी हालांकि इसमें आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत शामिल नहीं थे।

इस समूह द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में यह प्रस्ताव दिया गया कि पूर्वी एशियाई सम्मेलन का आयोजन आसियान देशों के विकास के लिए होना चाहिए और प्रत्येक वर्ष इसके लिए शिखर बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए। इसमें तय किया गया कि आसियान देशों को शामिल करने के लिए ईएएस का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके बाद वर्ष 2004 में आसियान+3 देशों द्वारा ईस्ट एशिया समिट के आयोजन का निर्णय लिया गया और जुलाई, 2005 के अंत में लाओस में आयोजित आसियान +3 देशों के मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। अंततः दिसंबर 2005 में मलेशिया के कुआलालम्पुर में पूर्वी एशियाई देशों का पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।

पूर्वी-एशिया शिखर सम्मेलन आशियान की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ ही इसके संचालन और सफल सम्मेलन के आयोजन में आसियान की केंद्रीय भूमिका है।

शुरुआत में इस बैठक में 16 देशों ने भाग लिया। पहले ईएएस की बैठक में आशियान देशों के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने अपनी भागीदारी दर्ज की। इसके बाद वर्ष 2011 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित ईएएस के 6वें शिखर सम्मेलन में अमेरिका और रूस को औपचारिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

शुरुआत में ईएएस देशों के सम्मेलनों में सुरक्षा सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था। लेकिन नवंबर 2007 में सिंगापुर में आयोजित तीसरे शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे विषयों पर अहम चर्चा की गई। इस सम्मेलन में इस बात पर भी सहमति बनी कि आसियान और पूर्वी एशिया के विकास के

लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान का गठन किया जाए, इसके साथ ही पूर्वी एशिया के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी पर सहमति बनी। नवंबर, 2017 में मनीला में हुए ईएएस में समुद्री सहयोग को भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया।

13वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का पक्ष: सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाग लिया तथा शांतिपूर्ण और समृद्ध हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दुहराई।

- उन्होंने सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया।
- भारत, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाशने और सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के मकसद से RCEP करार को जल्द पूरा करने की वकालत की।
- आरसीईपी (RCEP) के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि, आरसीईपी करार आधुनिक संतुलित और सभी देशों के लोगों के लिए लाभदायक होना चाहिए।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि सदस्य देश अपने वाणिज्य मंत्रियों और वार्ताकारों को आरसीईपी पर बातचीत आगे बढ़ाने का अधिकार दें।
- उन्होंने सेवा क्षेत्र के लिए भी इसी तरह के प्रयास किये जाने के लिए जोर दिया।
- इसके पीछे कारण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्यादातर आरसीईपी देशों के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 50 फीसदी से अधिक है और भविष्य में सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभायेंगी।

ईएएस की उपलब्धि

- ईएएस का विकास एवं उपलब्धि की बात करें तो यह 2005 से शुरू होकर इसके कुल 13 सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। इसके सदस्यों की संख्या भी 16 से बढ़कर 18 पहुँच गई है। अब यह संगठन क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से न केवल सदस्य देशों के बीच आपसी समझदारी बढ़ी है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी इसका असर दिख रहा है।
- प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा से आसियान और पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत की बढ़ रही भागीदारी को नई गति मिली है।
- इसके साथ ही हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के देशों

के साथ भी सहयोग बढ़ाने में भी भारत को मदद मिली है।

- वर्तमान समय में ईएएस पूरी दुनिया के 54 फीसदी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा दुनिया के कुल जीडीपी का 58 फीसदी ईएएस देशों से आता है।
- सदस्य देशों के बीच अब तक कुल 16 में से 7 विषयों को तय कर लिया गया है।
- दक्षिण-पूर्वी एशिया न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामरिक नजरिए से भी भारत के लिए बेहद अहम क्षेत्र है। आसियान देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हो रहे हैं। और अब दक्षिण-पूर्वी एशिया के देश भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में देख रहे हैं।

EAS और भारत

भारत वर्ष 2005 में ईएएस की स्थापना के बाद से ही इसके सभी सम्मेलनों में हिस्सा लेता आया है। भारत के लिए ईएएस सम्मेलन के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक हुई इसके सम्मेलनों में भारत के प्रधानमंत्रियों ने प्रतिभाग किया है। ईएएस के ढाँचे के भीतर सहयोग की 6 प्राथमिकताएँ तय की गई हैं। जिनमें-

- पर्यावरण, ऊर्जा
- शिक्षा
- वित्त
- वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे
- महामारी
- प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और आसियान देशों के साथ कनेक्टिविटी शामिल है।

भारत इन सभी 6 प्राथमिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन करता है। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए अक्टूबर 2009 में थाईलैंड में आयोजित हुए ईएएस के चौथे शिखर सम्मेलन में सभी देशों ने भारत में शिक्षा का वैश्विक और ऐतिहासिक शिक्षा के केन्द्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का प्रस्ताव पारित किया गया। यह विचार सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था।

नालंदा विश्व विद्यालय को जुलाई 2016 में युनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया। भारत सरकार ने नालंदा विश्व विद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की है।

इसके अलावा वैश्विक स्वास्थ्य के मुद्दों और महामारी के क्षेत्र में सुधार के लिए आस्ट्रेलिया और भारत की सह-अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसका कार्य गुणवत्तापूर्ण दवाओं के माध्यम से देश के नागरिकों तक पहुँचाना है।

इसके तहत भारत ने 15-16 अक्टूबर 2015 को नई दिल्ली में ट्रामा केयर और नर्सिंग जैसी व्यवस्था पर गोल मेज सम्मेलन की मेजबानी की। छठे ईएएस में भारत ने आपदा प्रबंधन और भूकंप पर कार्यशाला की बात की। इसके तहत नवंबर, 2012 में भारत ने भूकंप जोखिम प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया। नवंबर, 2012 में पूर्वी एशिया के 7वें सम्मेलन में भाग लेने वाले ईएएस के राजनायिकों ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की शुरुआत की।

वर्ष 2015 में हुए ईएएस के शिखर सम्मेलन में आतंकवाद हिंसा, उग्रवाद, सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को बढ़ाने के साथ ही, क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा और एशिया प्रशांत से मलेरिया जैसी घातक बिमारी के उनमूलन के लिए रोडमैप तैयार करने की बात हुई जिसमें भारत प्रमुखता से शामिल है।

आसियान और भारत

- 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में देश में कई नीतियां बनाई गई जिसमें लुक ईस्ट नीति एक महत्वपूर्ण नीति थी। आसियान मुल्कों में चीन के बढ़ते दखल के चलते भारत के लिए ये कदम जरूरी हो गया था।
- अब तक के सफर में भारत और आसियान देशों में लगातार संबंधों में मजबूती देखने को मिली है। लुक ईस्ट नीति को 2014 में भारत ने बदलकर एक्ट ईस्ट नीति का नया नाम दिया। अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत और गहरे संबंध बनाना चाहता है।
- मामला सिर्फ आसियान तक ही सीमित नहीं है बल्कि बिम्सटेक एमजीसी से लेकर ईस्ट एशिया सम्मेलन तक हर मंच को भारत तबज्जो दे रहा है और इन सभी मंचों पर भारत की शाख मजबूत हुई है। आसियान के साथ भारत ने अब तक कई अहम करार किये हैं और आसियान देशों ने भी भारत को काफी महत्व दिया है।
- 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय साझेदार बना।
- वर्ष 1996 में आसियान ने भारत को वार्ता साझेदार बना दिया।

- 2002 में भारत को सम्मेलन साझेदार का दर्जा मिला और 2012 में भारत आसियान का रणनीतिक साझेदार बना।
- 2015 में भारत ने आसियान देशों के साथ संबंध को और मजबूती देने के लिए विशेष राजदूत की नियुक्ति की।
- 2017 में भारत और आसियान दोस्ती के 25 साल पूरा होने का जश्न मनाया गया जिसका विषय 'साझे मूल्य और साझी नियति' थी।
- 2012 में नई दिल्ली में आसियान और भारत के बीच साझेदारी के दो दशक पूरे होने पर विशेष सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें आसियान के सभी 10 देशों ने हिस्सा लिया था।
- 2015 में भारत और आसियान के बीच विदेशमंत्री स्तरीय बैठक हुई जिसमें 2016-2020 तक के लिए कार्य योजना तैयार की गई।
- आसियान में सुरक्षा संबंधी वार्ता के लिए आसियान क्षेत्रीय फोरम अर्थात एआरएफ सबसे बड़ा मंच है।
- 1996 से भारत हर साल इसकी बैठक में हिस्सा ले रहा है।
- 2003 में आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र पर एक अहम करार हुआ।
- वर्ष 2009 में इस पर अंतिम सहमति बनी और तब से व्यापारिक गतिविधियाँ और तेज हुई हैं।
- वर्तमान में आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- यही नहीं 2000 के बाद से भारत में हुए निवेश में आसियान योगदान 12½ फीसदी है।
- भारत-आसियान व्यापार 2017-18 में 81.33 अरब डॉलर रहा यह भारत के कुल व्यापार का 10.58 प्रतिशत है। भारत के कुल निर्यात में आसियान देशों का हिस्सा 11.28 प्रतिशत है।

आरसीईपी क्या है?

आरसीईपी के पास पूर्वी एशिया क्षेत्र में व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने की क्षमता है, और यह व्यापार बाधाओं को कम करने और इस क्षेत्र के व्यवसायों के लिए माल और सेवाओं के लिए बेहतर बाजार पहुंच को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक ढांचा प्रदान करेगा। इसके उद्देश्य निम्न हैं:

- भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक एकीकरण और आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करना।

- भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों में व्यापार और निवेश की सुविधा और बढ़ी पारदर्शिता।
- वैश्विक और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखला में एसएमई की भागीदारी की सुविधा।
- अपने एफटीए भागीदारों के साथ आसियान की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना।
- आरसीईपी का उद्देश्य एक आधुनिक, व्यापक, उच्चगुणवत्ता और पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी समझौते को प्राप्त करना है।

आरसीईपी से लाभ:

- आरसीईपी समझौता आसियान और उसके कुछ सदस्य देशों के साथ भारत के मौजूदा एफटीए के पूरक होगा, इस प्रकार यह व्यापार लागत को कम करेगा।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विशेष रूप से निर्यात उन्मुख एफडीआई के अंदर और बाहर बढ़ने के लिए बढ़ावा मिलेगा।
- आईटी-सक्षम सेवाएं, पेशेवर सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा, और शिक्षा सेवाएं तुलनात्मक लाभ का आनंद लेती हैं और भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजारों तक पहुंचने के अवसर पैदा करती हैं।

चुनौतियाँ:

- भारत को अपने एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने की सख्त जरूरत है।
- आरएंडडी में उच्च निवेश और वितरण के मामले में अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करना समय की आवश्यकता है।
- घरेलू उद्योगों की क्षमता निर्माण पर अथक रूप से काम करते हुए, कठिन नीति निर्णयों को लेने के मामले में भारत को दृढ़ और गणना करना होगा।

क्वाड क्या है?

- 'क्वाड' की अवधारणा सबसे पहले भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया द्वारा समुद्री आपदा के समय बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास संबंधी कार्यों में सहयोग के लिये आई थी।
- बाद में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने चीन के कारण उपजती भू-राजनैतिक और भू-रणनीतिक चिंताओं के मद्देनजर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के नेतृत्वकर्ताओं के परामर्श से 2007 में रणनीतिक वार्ता के रूप में 'क्वाड' की शुरुआत की।
- क्वाड के इस विचार ने आसियान क्षेत्र में एक मिश्रित प्रतिक्रिया को जन्म दिया एवं चीन और रूस खुले तौर पर इसके विरोध में सामने आए।
- हालाँकि 2008 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस ग्रुप से बाहर आने के कारण यह वार्ता शिथिल पड़ गयी थी लेकिन बाद में वह पुनः इस वार्ता में शामिल हो गया।
- 2017 में, इस अनौपचारिक समूह को पुनर्जीवित किया गया ताकि एशिया में चीन के आक्रामक उदय को संतुलित किया जा सके।

- क्वाड को 'नियम-आधारित आदेश' को ध्यान में रखते हुए पुनर्जीवित किया गया था ताकि नेविगेशन एवं ओवर फ्लाइट की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय नियम का सम्मान, कनेक्टिविटी का प्रसार एवं समुद्री सुरक्षा को सहयोग के मुख्य तत्व के रूप में पहचान मिल सके। इसमें अप्रसार एवं आतंकवाद जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया।
- 'क्वाड' को Quadrilateral Security Dialogue (QSD) के नाम से भी जाना जाता है। इस रणनीतिक वार्ता के साथ-साथ 2002 से मालाबार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी चल रहा है। मालाबार अभ्यास में अमेरिका, जापान और भारत शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास में भाग नहीं लेता है।
- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का सिद्धांत है कि यह क्षेत्र मुक्त और समावेशी बने जहाँ विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करें।

चुनौतियाँ

- आरसीडीपी अर्थात क्षेत्रीय वृहद आर्थिक भागीदारी के लिए 2012 से बातचीत चल रही है। हाँलाकि अब भी करार को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।

ईएस की चुनौतियाँ

- चीन, हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में वैसे ही अपना आधिपत्य कायम करना चाह रहा है जैसे वह दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में कर रहा है।

- वह एक ओर तो खुले वैश्विक व्यापार की वकालत कर रहा है और दूसरी ओर अपनी विस्तारवादी नीतियों से तमाम पड़ोसी देशों को चिंतित भी कर रहा है।
- जिससे न केवल क्षेत्रीय वैश्विक शांति को चोट पहुँचती है, बल्कि हथियारों की होड़ को भी बढ़ावा मिलता है।
- भले ही प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुले व्यापार, आर्थिक सहयोग के साथ मावेशी विकास और निर्धनता निवारण के लिए काम करने की जरूरत जताई जाती है लेकिन तथ्य यह है कि ऐसी बातों को अभी तक अमल में नहीं लाया जा सका है।
- इसके चलते प्रतिस्पर्धा अविश्वास में तब्दील होती है। जब ऐसा होता है तो समावेशी विकास और निर्धनता निवारण के लक्ष्य पीछे छूटते हैं।
- कुछ बड़े देश विश्व शांति और सद्भाव के लिए खतरा बने आतंकवाद को पोषित करने वाले देशों को जवाबदेह बनाने से कतराते हैं। ऐसे में भारत और अन्य विकासशील देशों की समस्याएँ कहीं अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उनके सामने यह एक कठिन चुनौती पहले से ही है कि वे अपनी आबादी के एक बड़े

हिस्से को गरीबी रेखा से ऊपर कैसे लाएँ।

- यह सही है कि पिछले एक दशक में भारत समेत अन्य देशों में अच्छी-खासी आबादी को गरीबी रेखा के ऊपर लाने में सफलता मिली है, लेकिन तथ्य यह भी है कि इस मोर्चे पर अभी बहुत कुछ करना है।

आगे की राह

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं सद्भाव तभी संभव हो पाएगा जब दुनिया के बड़े देश आर्थिक सहयोग और शांति का माहौल बनाएँगे।

बदलाव के इस सिलसिले को तभी गति दी जा सकती है जब क्षेत्रीय और वैश्विक शांति को बल मिले। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात को और जोरदारी तरीके से रेखांकित करे कि हथियारों की होड़ पर विराम लगाए बगैर निर्धनता में जकड़ी दुनिया की विशाल आबादी का उत्थान संभव नहीं है। आरसीडीपी को जल्द से जल्द अमल में लाने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएँ और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

5. एफपीसी: कृषि क्षेत्र में सामूहिकता की एक नई अवधारणा

चर्चा का कारण

अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 में महज 70 की संख्या में मौजूद एफपीसी (किसान उत्पादक कंपनी-Farmer Producer Company) की तादात अब बढ़कर एक हजार से अधिक हो चुकी है, जो सालाना 44 फीसदी की चक्रवृद्धि बढ़ोतरी को दर्शाता है। इन छोटी कंपनियों में से करीब आधी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ही मौजूद हैं। बाकी जगहों पर एफपीसी का रफ्तार पकड़ना अभी बाकी है। वैसे कृषि के लिहाज से प्रगतिशील राज्यों में एफपीसी की संख्या धीरे-धीरे बढ़ने लगी है।

किसान/कृषक उत्पादक कंपनी का परिचय

एफपीसी, एक वैधानिक संस्था है जो प्राथमिक उत्पादकों द्वारा बनाई जाती है। इस संस्था को फसल, सब्जी, फल, दूध, मछली, मुर्गा आदि उत्पादन करने वाले किसान या प्राथमिक उत्पादक

आसानी से बना सकते हैं। यह सहकारी समिति (Cooperative Society) और निजी कंपनी के बीच की एक 'संकर इकाई' (Hybrid Entity) है क्योंकि इसमें सहकारी समिति और निजी कंपनी, दोनों के गुण मौजूद होते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित बिन्दु महत्वपूर्ण हैं-

- एफपीसी की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य, बाजार में अपनी सौदा शक्ति को बेहतर बनाने के लिए किसानों को सामूहिक रूप से व्यवस्थित करना है।
- एफपीसी, अपने शेयरधारक किसानों (या कारीगरों) द्वारा शासित होती है और इनका प्रबंधन पेशेवरों के हाथों में होता है।
- कंपनी अधिनियम, 1956 (2002 में संशोधित) के अनुसार, एफपीसी का गठन किसी भी 10 या इससे अधिक प्राथमिक उत्पादकों द्वारा या दो या दो से अधिक उत्पादक संस्थानों द्वारा किया जा सकता है।
- एफपीसी में गैर-उत्पादक लोगों/संस्थानों का

शेयरधारक के रूप में निवेश करना कानूनन प्रतिबंधित है।

- एफपीसी लोकतांत्रिक तरीके से शासित होती है क्योंकि इनके सदस्यों को समान वोटिंग अधिकार होता है।

एफपीसी के फायदे

1. ये संस्थाएँ अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से निरंतर विकास के लिए कार्य करती हैं। ये ऐसे कार्य हाँथ में नहीं लेती हैं, जिससे समाज या समुदाय को किसी भी प्रकार की हानि की सम्भावना हो।
2. इन संस्थाओं का प्रतिफल किसी एक व्यक्ति के हाँथों में संचित नहीं होता है बल्कि संस्था के सदस्यों में इसे उपयुक्त नीति से वितरित किया जाता है, जिससे आर्थिक विषमता को खाई पैदा नहीं होती है।
3. आज भी भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं इससे संबंधित प्राथमिक क्षेत्रों में संलग्न है, ऐसे में कृषि उपज का उचित

मूल्य पाने तथा इसे फायदे के कारोबार में तब्दील करने हेतु सामूहिकता का सिद्धान्त बेहद उपयोगी है। एफपीसी इस सामूहिकता को यथार्थ में भली-भाँति तरीके से उतारने में सक्षम हैं।

जब अकेला किसान अपनी फसल को बेचना है तो वह बाजार में उपयुक्त मोल-भाव आदि करने में अक्षम होता है और तथाकथित व्यापारियों को औने-पौने दाम में फसल बेच देता है। किन्तु यदि कई किसान एक साथ मिलकर एक कम्पनी बनाएँ और उसके माध्यम से अपने माल की प्रोसेसिंग आदि करके बाजार में अच्छे दाम पा सकते हैं। क्योंकि एफपीसी का मुख्य कार्य सदस्य किसानों की तरफ से कारोबार करना है। वे अपनी सदस्य संख्या और कुशल प्रबंधन के चलते लाभ की स्थिति में होती हैं। संगठित समूह होने से इन कंपनियों की कृषि उत्पादों की खरीद एवं सेवाओं में मोलभाव की क्षमता अधिक होती है। इससे लेनदेन की लागत भी कम होती है और वे बड़े बाजारों तक अपनी पहुँच बना लेती हैं।

4. एफपीसी, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ भागीदारी के लिए भी अधिक सक्षम होती हैं। आज के समय में कृषि के लगभग सभी क्षेत्रों और बागवानी वृक्षारोपण, दुग्धपालन, कुक्कुटपालन और मत्स्यपालन जैसे सहयोगी क्षेत्रों में एफपीसी काम कर रही हैं। यह काफी अहम है कि उनमें से करीब 25 फीसदी कंपनियाँ फसलों की कटाई के बाद के प्रसंस्करण एवं मूल्य-संवर्द्धन कार्यों से जुड़ी हुयी हैं। उनमें से कुछ कंपनियाँ ऑर्गेनिक उत्पादों के कारोबार से भी जुड़ी हुई हैं जिनकी बाजार में ऊँची कीमत मिलती है।
5. एक किसान को सामाजिक स्तर पर उनकी सोसायटी में खास पहचान मिलती है क्योंकि वो एक कम्पनी के अंशधारक होने के साथ-साथ निदेशक और अध्यक्ष जैसे पदों पर भी आसीन होते हैं।

सहकारी संस्था और एफपीसी में अन्तर		
विशेषताएँ	सहकारी संस्था	एफपीसी
पंजीकरण	सहकारी सोसायटी अधिनियम	कंपनी अधिनियम
सदस्यता	केवल व्यक्तियों और सहकारी समितियों के लिए खुला	केवल जो गतिविधियों में भाग लेते हैं

अन्य कॉरपोरेट/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/गैर-सरकारी संगठनों के साथ संबंध	लेन-देन आधारित	उत्पादक और कॉर्पोरेट इकाई मिलकर एक एफपीसी कंपनी आरंभ कर सकते हैं
शेयर	व्यापार योग्य नहीं	व्यापार योग्य लेकिन हस्तांतरणीय नहीं
मतदान अधिकार	एक व्यक्ति-एक वोट के सिद्धान्त पर कार्य करती हैं, लेकिन सरकार के पास निशेषाधिकार होता है	एक व्यक्ति एक वोट (जिनका कंपनी के साथ लेन-देन नहीं हो वे वोट नहीं दे सकते)
पंजीयन प्राधिकरण की भूमिका	उल्लेखनीय	न्यूनतम
प्रशासनिक नियंत्रण	असहनशील	कोई नहीं
उधार लेने की शक्ति	प्रतिबंधित	अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता और विकल्प
विवदा निपटान	सहकारी तंत्र के माध्यम से	मध्यस्थता द्वारा

Note: एफपीसी में विवाद समाधान- इन कंपनियों में विभिन्न पक्षों/सदस्यों के बीच विवाद को 'मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996' के अन्तर्गत सुलह या मध्यस्थता द्वारा निपटारा जाता है।

भारत में एफपीसी के विकास की संभावनाएँ

भारत में एफपीसी कंपनियाँ विकास की अच्छी सम्भावनाएँ रखती हैं। इसके माँग और आपूर्ति के दोनों पक्ष काफी मजबूत हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है-

1. भारत की जलवायु विविधापूर्ण है। भारत में विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है। इस संदर्भ में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है। 'आर्थिक सर्वे, 2016-17' के अनुसार भारत में 2015-16 में फल और सब्जियों का कुल उत्पादन 286.2 मिलियन टन रहा है।
2. भारत में कृषि योग्य भूमि भी पर्याप्त मात्रा में है। इस संदर्भ में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है।
3. भारत खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भी निरंतर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आर्थिक समीक्षा (2017-18) के मुताबिक 2016-17

के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 275.7 मिलियन टन रहा।

4. भारत दुग्ध उत्पादन में एक अग्रणी राष्ट्र है। इस संदर्भ में भारत का दुनिया में पहला स्थान है। आर्थिक सर्वेक्षण (2016-17) के अनुसार, 2015-16 में भारत के द्वारा 155 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया गया था।
5. भारत में मत्स्य उत्पादन का भी बेहतर प्रदर्शन रहा है और इस क्षेत्र में किसान एफपीसी के माध्यम से भारी मुनाफा कमा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे (2017-18) के अनुसार, भारत के द्वारा 2015-16 में 107.9 लाख टन मत्स्य उत्पादन किया गया था।

इस प्रकार उपर्युक्त बिन्दुओं से एफपीसी के विकास हेतु आपूर्ति पक्ष काफी मजबूत दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त, माँग पक्ष की मजबूती के संदर्भ में निम्नांकित बिन्दु महत्वपूर्ण हैं-

1. भारत में विशाल जनसंख्या है।
2. एक सामान्य भारतीय अपनी आय का बड़ा हिस्सा खाद्य पदार्थों पर खर्च करता है।
3. भारत में शहरीकरण बढ़ रहा है और इसके बढ़ने से एफपीसी के उत्पादों की माँग आवश्यक रूप से बढ़ेगी।
4. भारत में अब शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है और यह देखा गया है कि शिक्षित लोग प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (Processed Food) का अधिक उपयोग करते हैं।

क्या एफपीसी से कृषि का निगमीकरण हो रहा है?

कुछ आलोचक एफपीसी की आलोचना इस आधार पर करते हैं कि इनसे भारतीय कृषि का निगमीकरण हो रहा है और किसान अपेक्षित लाभ से महरूम हैं, जिससे भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश की खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

एफपीसी, कॉर्पोरेट संस्कृति और कृषि क्षेत्र में पेशेवर प्रबंधन के आगाज की ओर निश्चित रूप से इशारा करती है, किन्तु इन नवोन्मेषी संस्थाओं का उदय होने का यह मतलब नहीं है कि भारतीय कृषि का निगमीकरण शुरू हो गया है।

संकल्पना के स्तर पर एफपीसी असल में सहकारी समितियों और निजी कंपनियों का मिला-जुला स्वरूप है, जिनमें दोनों की गुणों को स्वीकार किया गया है लेकिन खामियों को तिलांजलि दी गयी है। एफपीसी में भागीदारी,



संगठन और सदस्यता का ढाँचा काफी हद तक सहकारी समितियों से मेल खाता है और कारोबारी नजरिया तथा रोजमर्रा के कामकाज की प्रवृत्ति निजी कम्पनियों की तरह है। इन कम्पनियों के शेयरों (Shares) की शेयर मार्केट में खरीद-फरोख्त भी नहीं होती है। लिहाजा इन कम्पनियों का स्वरूप कभी भी सार्वजनिक या सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों की तरह नहीं हो सकता है। ऐसे में शेयर बिक्री के जरिए किसी अन्य व्यवसायिक समूह द्वारा इनके अधिग्रहण का खतरा भी नहीं है। वर्ष 2002 में 'कंपनी अधिनियम, 1956' में संशोधन कर नया खंड '9ए' जोड़ा गया ताकि किसानों के लिए ऐसी सुरक्षित एवं लाभकारी एफपीसी कम्पनियों के गठन का प्रावधान किया जा सके।

एफपीसी की सीमाएँ

उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त एफपीसी संगठन की कुछ सीमाएँ भी हैं-

- **अभिप्रेरण की कमी:** लाभ कमाने का उद्देश्य न होने के कारण एफपीसी के सदस्य पूर्ण उत्साह एवं समर्पणभाव से कार्य नहीं करते।
- **सीमित पूँजी:** साधारणतया एफपीसी के सदस्य समाज के एक विशेष वर्ग के व्यक्ति ही होते हैं। इसलिए समिति द्वारा एकत्रित की गई पूँजी सीमित होती है।
- **प्रबंधन में समस्याएँ:** एफपीसी का प्रबंधन प्रायः विशेष कुशल नहीं होता क्योंकि एफपीसी अपने कर्मचारियों को कम पारिश्रमिक देती हैं।
- **प्रतिबद्धता का अभाव:** एफपीसी की सफलता उसके सदस्यों की निष्ठा पर निर्भर करती है जिसे न तो आश्वासित किया जा सकता है और न ही बाध्य किया जा सकता है।

- **सहयोग की कमी:** एफपीसी परस्पर सहयोग की भावना से बनाई जाती हैं लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि व्यक्तिगत मतभेदों और अहंभाव के कारण सदस्यों के बीच लड़ाई-झगड़ा और तनाव बना रहता है। सदस्यों के स्वार्थपूर्ण रवैये के कारण कई बार ये कम्पनियाँ बंद भी हो जाती हैं।

एफपीसी के समक्ष व्यवहारिक चुनौतियाँ

- 'इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज' के अगस्त 2018 अंक में कहा गया है कि कई मायनों में एफपीसी के साथ सहकारी समितियों की तरह बर्ताव नहीं होता है। सहकारी समितियों को मिलने वाली कई तरह की रियायतें, कर छूट, सब्सिडी और अन्य लाभों का दायरा अभी तक एफपीसी तक विस्तारित नहीं हो पाया है।

नोट: अभी कुछ समय पहले ही उर्वरक मंत्रालय ने खाद निर्माताओं को सलाह दी है कि वे सहकारी समितियों के लिए निर्धारित मानकों की ही तर्ज पर एफपीसी को भी अपनी डीलरशिप आवंटित करें।

- किसानों के कारोबारी प्रतिष्ठान के तौर पर गठित एफपीसी को वित्तीय संस्थानों से कार्यशील पूँजी जुटाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास जमानत देने लायक परिसंपत्ति भी नहीं होती है। हाँलाकि उनके शेयरधारक सदस्यों को किसानों की तरह रियायती दर पर बैंक कर्ज लेने की सुविधा मिलती है लेकिन उनके सम्मिलित प्रयासों से बनी एफपीसी को इसी तरह की ब्याज छूट देने का प्रावधान नहीं है।
- बाकी क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए दी जा रही कई तरह की सरकारी सुविधाएँ कृषि क्षेत्र

की एफपीसी कम्पनियों को नहीं मिलती हैं।

- एफपीसी की कुछ अन्य समस्याओं को फिक्की (FICCI) की एक अनुसंधान रिपोर्ट में उठाया गया है-
 - भारत में इन कम्पनियों के लिए आधारभूत ढाँचा काफी कम है। जैसे- कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग प्लांट आदि को लेकर भारी कमी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त परिहवन सुविधाएँ भी अपर्याप्त हैं।
 - एफपीसी कम्पनियों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति की कमी देखने को मिलती है।
 - वर्तमान में ये कम्पनियाँ केन्द्र और राज्य सरकारों के अलग-अलग कानूनों से शासित होती हैं, जिसके कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
 - वर्ष 2006 में खाद्य पदार्थों से संबंधित 8 कानूनों को एक ही स्थान पर लाया गया और 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006' (Food Safety and Standards Act, 2006) लागू किया गया।

उपर्युक्त के बावजूद भारत में खाद्य पदार्थों के 'टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर' (Testing Infrastructure) को अत्याधुनिक नहीं बनाया गया, जिसके कारण कई बार खाद्य पदार्थों की कमियों का पता नहीं लग पाता है और विरोधाभाषी परिणाम भी देखने को मिलते हैं जैसा कि मैगी के विवाद में देखने को मिला। इस तरह की स्थितियाँ एफपीसी की कार्यकुशलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।

नोट: प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर टैक्स (कर) की ऊँची दर होती है, जिससे इनकी माँग प्रभावित होती है। जब इन खाद्य पदार्थों की माँग में कमी आयेगी तो निश्चित तौर पर एफपीसी भी घाटे में आयेगी।

- एफपीसी कम्पनियों के लिए प्रशिक्षित मानव शक्ति की भारी कमी है क्योंकि भारत में शिक्षण-प्रशिक्षण का स्तर काफी निम्न कोटि का है।
- 'राज्य एपीएमसी अधिनियम' (State APMC Act), संविदा कृषि के लिए अनुमति नहीं देता है, जिससे एफपीसी कम्पनियों का पूर्ति पक्ष प्रभावित होता है।

निष्कर्ष

किसानों की भागीदारी वाली इन कम्पनियों के समक्ष इस तरह की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार को त्वरित ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि उपर्युक्त प्रकार की समस्याएँ प्रतिस्पर्द्धी बाजार में इन कम्पनियों की न सिर्फ संपोषणीयता को खतरे में डालती हैं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मंद करती हैं। कृषि आय बढ़ाने में एफपीसी कम्पनियों की भूमिका को देखते हुए सरकार को इन्हें भरपूर समर्थन देना चाहिए। कृषि लागत में कटौती, मूल्य-संवर्द्धन और कारगर मार्केटिंग तरीकों से ये कम्पनियाँ कृषि क्षेत्र के लिए काफी मददगार हो सकती हैं। असल में एफपीसी, कृषि

को आधुनिक बनाने, इसकी लाभपरक क्षमता बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में व्याप्त असंतोष को दूर करने में बेहद अहम साबित हो सकती हैं।

एफपीसी को 'लघु कृषक कृषि व्यापार संघ' (SFAC-Small Farmers Agri-Business Consortium-SFAC) और 'नाबार्ड' (NABARD) जैसी एजेंसियों के जरिये समर्थन दिया जा रहा है और केन्द्र एवं राज्य सरकारें भी एफपीसी की वृद्धि के लिए मददगार नीतिगत परिवेश मुहैया कराने की कोशिश कर रही हैं। इस तरह के कदमों की सख्त जरूरत है ताकि जमीनी स्तर के इन किसान संगठनों का प्रभावी दस्ता बनाया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- मुख्य फसलों, देश के विभिन्न भागों में फसलों का प्रतिरूप, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित मुद्दे और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे।

6. नाभिकीय त्रिकोण: रक्षा क्षेत्र में नये युग की शुरुआत


चर्चा का कारण

भारत ने घोषणा की है कि उसने भी 'नाभिकीय त्रिकोण' (Nuclear Triad) की पूर्ण स्थापना कर ली है क्योंकि स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी 'आईएनएस अरिहन्त' ने अपना पहला गश्ती अभियान (Deterrence Petrol) 5 नवंबर, 2018 को पूरा कर लिया है। आईएनएस अरिहन्त, अब परमाणु हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर समुद्र में गश्त लगाने में सक्षम है और जरूरत पड़ने पर इन मिसाइलों को संचालित (Operationalised) करने की भी क्षमता से लैस है।

इस उपलब्धि के साथ भारत, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन के बाद छठा ऐसा देश बन गया है जो एसएसबीएन (SSBN) को डिजाइन करने, बनाने और संचालित करने की क्षमता रखता है।

नाभिकीय त्रिकोण (Nuclear Triad) क्या है?

नाभिकीय त्रिकोण के पूरा होने का अभिप्राय है कि भारत अब जमीन, हवा और समुद्र (पानी) से न्यूक्लियर हथियारों को संचालित कर सकता है।



आईएनएस अरिहन्त के परमाणु क्षमता वाले हथियारों से लैस होने के पूर्व भारत का नाभिकीय त्रिकोण अधूरा था क्योंकि हमारे पास जल के अंदर से परमाणु मिसाइलों को लांच करने की क्षमता नहीं थी।

नाभिकीय त्रिकोण के घटक (Components of Nuclear Triad)

इस त्रिकोण में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं-

- बमवर्षक लड़ाकू विमान (Bomber Aircraft):** इस तरह के विमान हवा से हवा, हवा से सतह और हवा से जल (समुद्र) में परमाणु हथियारों (बम, मिसाइल आदि) को संचालित करने में सक्षम होते हैं। भारत ने सर्वप्रथम अपने इसी घटक को हासिल करने में सफलता प्राप्त की थी।
- भूमि आधारित मिसाइल/प्रक्षेपास्त्र (Land-Based Missiles):** ये मिसाइलें मुख्यतः तरल या ठोस ईंधन वाले रॉकेट होता हैं, जो परमाणु सामग्री को ले जाने में सक्षम होती हैं। इनका प्रयोग दूर स्थित लक्ष्य को भेदने के लिए किया जाता है अर्थात् इनकी सहायता से विस्फोटकों को हजारों किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य तक पहुँचाया जा सकता है।
- परमाणु हथियारों से युक्त पनडुब्बियाँ:** भारत ने आईएनएस अरिहन्त के माध्यम से यह क्षमता हासिल कर ली है।


भारत की मिसाइलों को डीआरडीओ ने अपने 'समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम' (Integrated

Guided Missile Development Programme-IGMDP) के तहत विकसित किया है, जिन्हें प्रक्षेपण मोड (Launch Mode) के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है-

- सतह से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र (Surface to Surface Missile): जैसे-पृथ्वी-I, पृथ्वी-II, अग्नि-I, & II आदि।
- सतह से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र (Surface to Air Missile): जैसे-त्रिशूल आदि।
- सतह से समुद्र में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र (Surface to Sea Missile): जैसे-निर्भय, शौर्य आदि।
- हवा से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र (Air to Air Missile): जैसे-अस्त्र आदि।
- हवा से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र (Air to Surface Missile): जैसे-ब्रह्मोस, हेलिना आदि।
- समुद्र से मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र (Sea to Sea Missile): जैसे-K-15 आदि।
- एन्टीटैंक मिसाइल (Antitank Missile): जैसे-नाग आदि।

जलपोत एवं पनडुब्बियाँ (Warship & Submarines)

भारतीय नौसेना, दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक है। इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने लगातार प्रयास किये हैं। उदाहरणस्वरूप, विमान वाहक पोत (Aircraft Carrier), उभयचर परिवहन डॉक (Amphibious Transport Dock), लैंडिंग जहाज टैंक (Landing Ship Tank), विध्वंसक (Destroyers), परमाणु पनडुब्बी, पारम्परिक पनडुब्बियाँ, छोटी गश्त नौकाएँ (Small Patrol Boats), बेड़े टैंकर (Fleet Tankers) और विभिन्न सहायकी जहाजों को समय-समय पर शामिल किया गया है।



भारत के प्रमुख जलपोतों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है-

- विमानवाहक पोत (Aircraft Carrier), जैसे- आईएनएस विक्रान्त, आईएनएस विराट आदि।

अगस्त 2013 को भारत ने देश में निर्मित अपने पहले विमानवाहक पोत 'आईएनएस विक्रान्त' का कोच्चि में जलावतरण किया। 40 हजार टन के इस विशालकाय विमानवाहक पोत के समुद्र में उतारे जाने के साथ ही भारत विश्व के चुनिंदा देशों की उस सूची में शामिल हो गया जो इस तरह के पोत बना सकते हैं।

- आईएनएस विराट (विमानवाहक पोत) को ब्रिटेन से लिया गया था और इसे 2016 में भारतीय नौसेना ने सेवामुक्त कर दिया।

- विध्वंसक पोत (Destroyers), जैसे- रणजीत (डी 53) आदि।

- फ्रिगेट्स (Frigates), जैसे- आईएनएस शिवालिक, आईएनएस ब्रह्मपुत्र आदि।

रक्षा क्षेत्र में इतिहास रचते हुए भारत ने सन् 2010 को पहले स्वदेशी फ्रिगेट्स (युद्धपोत) 'आईएनएस शिवालिक' को भारतीय नौसेना में शामिल किया।

- कॉर्बेट्स (Corvettes), जैसे- नाशक (के83) आदि।

- लैंडिंग जहाज (Landing Ships), जैसे- आईएनएस ऐरावत आदि।

- गश्ती पोत (Patrol Vessels), जैसे-सुजय आदि।

सुजय, एक अपतटीय निगरानी जहाज (Offshore Patrol Vessel, OPV) है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है।

- तेज आक्रमणकारी पोत (Fast Attack Craft), जैसे- कल्पेणी (टी75) आदि।

- सर्वेक्षी जहाज (Survey Vessels), जैसे- सर्वेक्षक (जे22) आदि।
- प्रदूषण नियंत्रण पोत, जैसे- आईसीजीएस समुद्र प्रहरी आदि।

सन् 2010 को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा भारत के पहले स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत 'आईसीजीएस समुद्र प्रहरी' का जलावतरण किया गया था। भारत के साथ-साथ यह दक्षिण-पूर्व एशिया में भी अपनी तरह का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है।

भारत की परमाणु पनडुब्बियों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है-

- अकुला वर्ग (Akula Class), जैसे- आईएनएस चक्र।
- अरिहंत वर्ग (Arihant Class), जैसे- आईएनएस अरिहंत।

आईएनएस अरिहंत (INS Arihant)

यह भारत की प्रथम परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बी है। इसका निर्माण 'उन्नत प्रौद्योगिकी पोत परियोजना' (Advanced Technology Vessel Project) के अंतर्गत विशाखापत्तनम स्थित पोत निर्माण केन्द्र में हुआ है। इसका जलावतरण जुलाई 2009 को किया गया तथा इसे अगस्त 2016 में भारतीय नौसेना में पूरी तरह शामिल किया गया।

आईएनएस अरिहंत की विशेषताएँ:

- इस पनडुब्बी में चार 'K-4' बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की जायेंगी। इन मिसाइलों की रेंज 3500 किमी तक है।
- भारत ने इस पनडुब्बी के निर्माण में ज्यादातर स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल किया है।

- परम्परागत डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को ऑक्सीजन से रिचार्ज करने के लिए सतह पर कुछ दिनों के अन्तराल पर आना पड़ता है, के ठीक विपरीत परमाणु-चालित पनडुब्बियाँ पानी के अन्दर अनौपचारिक ढंग से अनन्त समयावधि तक ऑपरेट कर सकती हैं।

आईएनएस अरिहंत की सीमाएँ:

- इसमें बारह 'K-15' मिसाइलों को लगाया गया है, जिनकी रेंज 750 किमी तक ही है, जो काफी कम है।
- यह सत्य है कि भारत ने इस पनडुब्बी के निर्माण में अधिकतर स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल किया है, लेकिन रूस ने इसकी डिजाइन आदि में सहायता प्रदान की है जो भारत की सीमितता को दर्शाता है।
- भारत के पास परमाणु पनडुब्बी को संचालित करने का अनुभव काफी कम है, इसीलिए आईएनएस अरिहंत के क्रू-मेम्बर्स को रूसी विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे।

भारत में परमाणु पनडुब्बी का विकासक्रम

- 1970 में, भारत में परमाणु क्षमता से युक्त पनडुब्बी के निर्माण की बात तब शुरू हुयी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इन्दिरा गाँधी ने बार्क तथा डीआरडीओ व अन्य संस्थानों को इस हेतु कार्य करने को कहा। 1990 के दशक के अंत तक इस पर कोई प्रगति नहीं हुई आगे चलकर इस प्रथम अत्यधिक गोपनीय 'उन्नत तकनीक पोत' (Advanced Technology Vehicles-ATV) का निर्माण शुरू हुआ। हालांकि इस ताकत को जुटाने में भारत को कई चुनौतियों से पार पाना पड़ा क्योंकि कोई भी देश परमाणु पनडुब्बी की तकनीक देने के लिए राजी नहीं था।

- जुलाई, 2009 को विशाखापत्तनम के पोत निर्माण केन्द्र पर देश के पहले एटीवी (आईएनएस अरिहंत) के सूखे डॉक में पानी भरकर उसे समुद्र में उतारा गया। उस समय से लेकर अब तक तट आधारित उच्च-दाबित वाष्प के सहारे यह सघन हार्बर परीक्षणों से गुजर चुका है।
- सन् 2012 में भारत ने परमाणु चालित पनडुब्बी 'आईएनएस चक्र' को 10 वर्ष के लीज़ पर रूस से लिया परन्तु यह मिसाइल टेक्नोलॉजी कन्ट्रोल रिज़ाइम जैसी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार संधियों से बंधी है। अतः इसे परमाणु मिसाइलों से लैस नहीं किया गया है।

K - मिसाइल परिवार

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इस मिसाइल परिवार का नाम रखा गया है। 'K-परिवार' की मिसाइलें 'पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों' (SLBMs) की एक शृंखला हैं, जिसे भारत द्वारा द्वितीय मारक क्षमता तथा नाभिकीय प्रतिरोध क्षमता की अभिवृद्धि के लिए विकसित किया जा रहा है। इस परिवार की मिसाइलों के विषय में ज्यादातर सूचनाएँ गोपनीय रखी गयी हैं। इस मिसाइल परियोजना को 'ब्लैक प्रोजेक्ट' के नाम से जाना जाता है। उच्च गोपनीय स्वदेशी K-मिसाइलें अधिक तीव्र, हल्की तथा स्टील्थयुक्त हैं। इस परिवार के अंतर्गत निम्नलिखित मिसाइलों को विकसित किया गया है-

K-15 या सागरिका मिसाइलें: ये मिसाइलें भू-आधारित शौर्य मिसाइलों का एसएलबीएम संस्करण हैं। K-4 मिसाइलों से कम रेंज वाली इस मिसाइल को भारतीय नेवी के लिए अरिहंत वर्ग की पनडुब्बी पर तैनात किया गया है। इसे डीआरडीओ के हैदराबाद के मिसाइल काम्प्लेक्स में विकसित किया गया था। इन मिसाइलों की रेंज 1000 किग्रा. भार के वारहेड के साथ 700 किमी. तथा 180 किग्रा. भार के वारहेड के साथ 1900 किमी. तक की है।

K-4 मिसाइल: K-4 मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित इस शृंखला की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका जनवरी, 2010 में विशाखापत्तनम के तट से परीक्षण हुआ था।

कुछ रिपोर्टों के मुताबिक K-4 मिसाइल अग्नि-V का पनडुब्बी प्रक्षेपित संस्करण है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश को द्वितीय मारक क्षमता प्रदान करना है। इस उपक्रम में कुल 258 निजी संस्थान तथा डीआरडीओ की 20 प्रयोगशालाएँ शामिल थीं। इस मिसाइल के दो संस्करण हैं- एक 3500 किमी. रेंज की है जो 10 मी. लम्बी है तथा दूसरी 5000 किमी. रेंज की है जो 12 मी. लम्बी है। ये दोनों ही अरिहंत वर्ग की नाभिकीय

पनडुब्बी पर तैनात की जाएंगी। K-4 भारत को चीन तथा पाकिस्तान पर एक साथ हमला करने में सक्षम बनाएगा।

K-5 मिसाइल: K-5 आधिकारिक रूप से अग्नि-VI का एसएलबीएम संस्करण है, जो अभी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये मिसाइलें भारतीय नेवी के अरिहंत वर्ग की पनडुब्बियों के भविष्य के संस्करणों को सुसज्जित करेंगी।

आईएनएस अरिहंत की उपयोगिता

- थल, जल तथा वायु क्षेत्र में भारत की परमाणु मिसाइल दागने की त्रि-आयामी क्षमता, इस क्षेत्र के अन्य परमाणु शक्तियों के सामरिक गणित को अवश्य प्रभावित करेगी, जैसे कि पाकिस्तान और चीन निश्चित रूप से प्रभावित होंगे।
- आईएनएस अरिहंत ने पहले परमाणु हमला ना करने की भारत की नीति को असली धार दी है, क्योंकि माना जाता है कि दुश्मन अपने पहले परमाणु हमले में ही पलटवार करने की ताकत को खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन समुद्र के भीतर परमाणु पनडुब्बी को निशाना बनाना लगभग असंभव है। इसके अतिरिक्त, ये पनडुब्बियाँ दुश्मन देश पर समुद्र के अंदर से छुपकर कहीं से भी हमला कर सकता हैं। जैसे कि विवादित क्षेत्र 'दक्षिण चीन सागर' आदि में आईएनएस अरिहंत के द्वारा गुप्त रूप से अभियान चलाया जा सकता है और इसकी भनक भी किसी को नहीं लग पायेगी।
- भारत की तटीय सीमा की लम्बाई लगभग 7500 किमी है और भारत समुद्र से दो तरफ से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर से तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से। इस प्रकार प्रायद्वीपीय भारत की हिन्द महासागर में एक सुण्डाकार रूप में विशिष्ट अवस्थिति है, जो इस महासागर में भारत की महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। ऐसे में भारत के पास अपनी तट रेखा को सुरक्षित रखने हेतु एक क्षमतावान नौसेनिक शक्ति का होना अति आवश्यक है, जिसे सशस्त्र परमाणु पनडुब्बियाँ अपेक्षित रूप से पूरा करती हैं।
- हिन्द महासागर व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम एशिया के देशों से दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के देश कच्चे तेल का आयात करते हैं और अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के

विनिर्मित उत्पादों को निर्यात करते हैं। अतः यदि भारत को व्यापारिक कारोबार में बढ़ोत्तरी हासिल करनी है तो उसे अपनी जल शक्ति को मजबूत करना ही होगा।

- चीन ने अपनी 'वन बेल्ट वन रोड' परियोजना को हिन्द महासागर में भी विस्तृत किया है और भारत के समक्ष सामरिक रूप से कई चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। चीन, भारत के पड़ोसी देशों में विभिन्न पोर्ट विकसित करके एक 'मोतियों की माला' (String of Pearls) बना रहा है। यथा-श्रीलंका में हम्बन्टोटा पोर्ट और पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह आदि।
- भारत-जापान की 'एशिया-अफ्रीका कॉरीडोर' विकसित करने की परियोजना और भारतीय व्यापारिक जहाजों को समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए भी नौसेना का सशक्त होना जरूरी है।
- जब भारत आईएनएस अरिहंत और विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत या अन्य कोई आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी से लैस होता है तो भारत के 'विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरक्षा' (Credible Minimum Deterrence-CDM) के सिद्धांत को मजबूती मिलती है। उल्लेखनीय है कि भारत की न्यूक्लियर रणनीति इसी 'सीडीएम' सिद्धांत पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इस तरह की सैन्य क्षमताओं से युक्त नौसेना से हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वालों के मन में एक भय (Deterrence) व्याप्त होगा। अर्थात् भारत द्वारा अर्जित यह समुद्र-आधारित प्रतिरोधक क्षमता इस क्षेत्र में परमाणु शत्रुता में महत्वपूर्ण नए आयाम जोड़ेगी।
- चीन ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में पिछले वर्षों में काफी आक्रमकता दिखाई है, जिससे दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देश भारत की ओर देखने लगे हैं। ऐसे में भारत यदि सैन्य तकनीकी में महारत हासिल करेगा तो इन देशों में उसे अच्छा बाजार प्राप्त होगा।

आईएनएस अरिहंत जैसी बड़ी-बड़ी रक्षा परियोजनाओं की आलोचना:

इस तरह की बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के आलोचकों का कहना है कि भारत सरकार का 'सुरक्षा मूल्यांकन (Security Assessment) गलत है क्योंकि अब 'परमाणु युद्ध' (Nuclear war) की आशंका न के बराबर है, अतः सरकार को इस प्रकार के बड़े-बड़े खर्चों से परहेज करनी चाहिए। रिसर्च द्वारा पता चला है कि भारत द्वारा इस तरह की चार अन्य परमाणु पनडुब्बी बनाने में लगभग

70 हजार करोड़ रुपये की लागत आयेगी और किसी परमाणु पनडुब्बी को बनाने की अपेक्षा उसके संचालन में अधिक खर्च आता है। एक साल में इसके संचालन का खर्च 2000 करोड़ से 5000 करोड़ रुपये तक आता है और इस तरह की चार पनडुब्बियों के 40 साल तक संचालित होने में लगभग तीन लाख करोड़ खर्च होने का अनुमान है।

जब भारत में गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चुनौतियाँ सिर उठाये खड़ी हों तो 'न्यूक्लियर वॉर' की न्यूनतम आशंका मात्र पर इतनी बड़ी धनराशि का खर्च करना उचित नहीं प्रतीत होता है।

एक तरफ भारत वैश्विक शांति व्यवस्था की बात करता है और दूसरी तरफ वह खुद ही आईएनएस अरिहंत जैसी परमाणु शक्ति सम्पन्न पनडुब्बी बनाता है। ऐसे में भारत की शांत छवि को वैश्विक स्तर पर काफी धक्का पहुँचने का खतरा है।

आज दुनिया के ज्यादातर देशों का न्यूक्लियर हथियारों से मोह भंग हो रहा है और इस सम्बंध में पिछले वर्ष 'प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर विपंस ट्रीटी' (Treaty of the Prohibition of Nuclear Weapons) हुयी थी, जिस पर 122 देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो ऐसे में भारत को न्यूक्लियर हथियारों के संग्रहण में अत्यधिक तत्परता दिखाना उचित नहीं है।

आईएनएस अरिहंत से 'K-मिसाइल परिवार' की लगभग 750 किमी मारक क्षमता वाली ही मिसाइलें दागी जा सकती हैं जो यूएसए, रूस तथा चीन की 5000 किमी से अधिक क्षमता की मिसाइलों के आगे बौनी साबित होती हैं।

निष्कर्ष

भारत अपनी सैन्य क्षमता को किस प्रकार सशक्त करेगा, इसके लिए सरकार नीतियाँ बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र और संप्रभु है, किन्तु इस संदर्भ में सरदार पटेल के इस कथन को उल्लेखित करना तर्कसंगत होगा-

सीमित संसाधनों की उपस्थिति और विभिन्न प्रकार की चुनौतियों (स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी आदि) के बीच हमें अपनी सेना के सशक्तिकरण की नीति पर काफी सोच-विचार के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें मिलिट्री के हर उस फिजूल खर्च से परहेज करना चाहिए, जिसकी उपयोगिता न हो।" अर्थात् हमें अपने सीमित संसाधनों और खर्च की बीच संतुलन स्थापित करना होगा तथा अपने खर्च की प्राथमिकताओं को तय करना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।
- विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश।

7. ओजोन परत में लगातार होता सुधार

चर्चा का कारण

हाल ही में इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेकर 30वीं बैठक संपन्न हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार इस बैठक में इस बात की पुष्टि हुई है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहे जाने वाले ओजोन परत में सकारात्मक बदलाव आया है। उनका कहना है कि वर्ष 2000 से ही ओजोन परत में 2 फीसदी की दर से सुधार हो रहा है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि सदी के मध्य तक यह परत पूरी तरह दुरुस्त हो जाएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर यह दर बरकरार रही तो 2030 तक उत्तरी गोलार्ध और 2050 तक दक्षिणी गोलार्ध पूरी तरह ठीक हो जाएगा वहीं, अंटार्कटिका के ऊपर उत्तरी अमेरिका जितने बड़े छेद को भरने में 2060 तक का समय लगेगा।

ओजोन परत क्या है?

प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली ओजोन गैस, पृथ्वी के सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर उपर समताप मंडल में उपस्थित होती है। यह एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, जिससे सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी के वायुमंडल को सुरक्षा प्राप्त होती है। हालांकि, कुछ ओजोन परत निचले वायुमंडल (क्षोभमंडल) में भी पाए जाते हैं।

निचले क्षोभमंडल में स्थित ओजोन परत एक हानिकारक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है और कभी-कभी हल्का रासायनिक धुआँ भी उत्पन्न करता है।

ओजोन परत कैसे नष्ट होती है?

बाहरी वायुमंडल की पराबैंगनी किरणों सीएफसी से क्लोरीन परमाणु को अलग कर देती हैं। मुक्त क्लोरीन परमाणु ओजोन के अणु पर आक्रमण करता है और इसे तोड़ देता है इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन अणु तथा क्लोरीनमोनोऑक्साइड बनती है $(Cl+O_3=ClO+O_2)$ । वायुमंडल का एक मुक्त ऑक्सीजन परमाणु क्लोरीनमोनोऑक्साइड पर आक्रमण करता है तथा एक मुक्त क्लोरीन परमाणु और एक ऑक्सीजन अणु का निर्माण करता है। $(ClO+O=Cl+O_2)$ इस तरह से ओजोन नष्ट होती है।

ओजोन परत क्षय के कारण

ओजोन परत रिक्तिकरण के कारणों को व्यापक रूप से मानव निर्मित कारणों और प्राकृतिक कारणों में विभाजित किया जा सकता है। मानव निर्मित कारण प्राकृतिक कारणों से कहीं अधिक है जो निम्नलिखित है।

मानव निर्मित कारण: क्लोरीन आधारित पदार्थ जैसे सीएफसी का अंधाधुंध उपयोग ओजोन

परत की कमी का मुख्य कारण है। व्यापक रूप से इनका कई विनिर्माण संयंत्रों, रेफ्रिजरेटर और एयरोसोल में उपयोग किया जाता है और जब ये वायु में मुक्त होती हैं, तो ये ओजोन परत पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं क्योंकि हवा सीएफसी को समताप मंडल में फैला देती है। चूँकि ओजोन अणु अस्थिर होते हैं और ये सीएफसी में क्लोरीन परमाणु के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और टूट जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप ऑक्सीजन अणु और एकल मुक्त प्रवाहित क्लोरीन परमाणु का निर्माण होता है।

इसके अलावा, हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे रसायन तथा मुख्य रूप से हमारे द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग किये जाने वाले एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, रंग, प्लास्टिक इत्यादि जैसे पदार्थ ओजोन परत की कमी के कारण हैं। इन पदार्थों का मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है। एयर कंडीशनर में इस्तेमाल किये जाने वाले गैस फ्रियान-11 और फ्रियान-12, ओजोन के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि इन गैसों के अणु ओजोन के लाखों अणुओं को नष्ट कर देने में सक्षम होते हैं।

हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी): इनका उपयोग सीएफसी के स्थान पर किया जाता

है, परन्तु ये सीएफसी की तरह ओजोन परत के लिए हानिकारक नहीं होते हैं।

हेलान: इन्हें पानी या आग बुझाने वाले रसायनों की तरह अग्निरोधक के रूप में उपयोग किया जाता है।

कार्बन टेट्राक्लोराइड: चयनित सॉल्वेंट्स और आग बुझाने वाले यंत्रों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है।

मिथाइल क्लोरोफॉर्म: आम तौर पर उद्योगों में इसका उपयोग वाष्प डिग्रीसिंग, सफाई, रासायनिक प्रौद्योगिकी और चिपचिपे पदार्थ के रूप में किया जाता है।

औद्योगिकिकरण: बढ़ते औद्योगिकिकरण ने ओजोन परत के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

वनों की कटाई: पृथ्वी पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी ओजोन परत के क्षय का कारण बनती है। पेड़ों की कटाई के कारण, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है, जिसके कारण ओजोन गैस के अणुओं का निर्माण नहीं हो पाता।

प्रकृतिक कारण: रसायनों के अलावा, कुछ अन्य प्राकृतिक घटनाएँ जैसे सूर्य की किरणों और समताप मंडल में उत्पन्न हवाएँ, ओजोन परत को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। इसके कारण होने वाले नुकसान लगभग 1-2% से कम और अस्थायी होते हैं। यह भी माना जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट भी प्रमुख रूप से ओजोन परत को कम करने में आपना योगदान देती है।

ओजोन परत क्षय के प्रभाव

ओजोन परत की कमी से उत्पन्न छिद्रों के कारण हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने में सक्षम हो जाती हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणें विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरणीय मुद्दों के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं जो निम्नलिखित हैं-

त्वचा कैंसर: पराबैंगनी किरणों से मनुष्यों में कई प्रकार के त्वचा कैंसर होता है। इनमें कुछ घातक मेलेनोमा, बेसल और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा आदि शामिल हैं।

आंखों को क्षति: पराबैंगनी किरणों के प्रत्यक्ष संपर्क के कारण फोटोकैराइटिस (धुंध अंधापन) और मोतियाबिंद जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

प्रतिरक्षा प्रणाली: पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान

पहुँचाती है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिरक्षा प्रणाली में कमी आ जाती है। पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव के कारण गोरे चमड़ी वाले लोगों को चकते और अन्य त्वचा की बीमारियों का सामना करना पड़ता है।

अन्य प्रभाव: पराबैंगनी किरणें मनुष्यों और जीव-जन्तुओं के डीएनए को प्रभावित करती हैं। इसके संपर्क में आने से फेफड़ों से संबंधित समस्याएँ जैसे- श्वास में कठिनाई, अस्थमा आदि बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। यदि गर्भवती महिला इन किरणों के संपर्क में आती हैं, तो उन्हें अपूरणीय गर्भ क्षति के हानिकारक प्रभावों का सामना करना पड़ता है।

उभयचरो पर होने वाले प्रभाव: ओजोन की कमी उभयचरों की कई प्रजातियों के जीवन चक्र को विभिन्न चरणों में प्रभावित करती है। कुछ प्रभाव निम्नलिखित हैं-

ये लार्वा के उत्पत्ति और विकास में बाधा पैदा करती है। ये व्यवहार और आदतों में परिवर्तन कर देती है। कुछ प्रजातियों में विकृतियाँ पैदा कर देती हैं। ये आंखों के रेटिना को क्षति पहुँचाती है जिससे अंधापन होता है।

पौधों पर प्रभाव: पराबैंगनी विकिरण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है और पौधे द्वारा उत्पादित फूलों की संख्या और उसके समय को भी बदल देती है। पौधों की वृद्धि पराबैंगनी विकिरण से सीधे तौर से प्रभावित होती है।

समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव: एक विशेष प्रकार की पराबैंगनी किरणें (यूवी-बी) समुद्र में कई किलोमीटर अंदर तक प्रवेश करती हैं और समुद्री जीवन को नुकसान पहुँचाती हैं। पादप प्लवक और बैक्टीरियोप्लांकटन पराबैंगनी किरणों में वृद्धि के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। पराबैंगनी विकिरणें इन सूक्ष्म जीवों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं जिससे खाद्य श्रृंखला के साथ-साथ पूरी पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो जाती है। इनके अलावा कम वातावरण में मौजूद ओजोन, प्रदूषक और ग्रीनहाउस गैस के रूप में कार्य करती है जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है।

ओजोन क्षरण रोकने के लिए वैश्विक प्रयास: ओजोन परत के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम वैश्विक प्रयास 1985 में वियना (आस्ट्रिया) में आयोजित 'वियना कन्वेंशन' को माना जाता है। वियना कन्वेंशन एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता (Multilateral Environment Agriment)

है जिसे सामान्यतः 'फ्रेमवर्क कन्वेंशन' के नाम से भी जाना जाता है। वियना कन्वेंशन के अंतर्गत क्लोरोफ्लोरो कार्बन के उपयोग में कमी करने हेतु किसी देश के लिए कोई बाध्यकारी नियम नहीं थे लेकिन दिसंबर 1995 में संपन्न वियना सभा में ओजोन रिक्तिकारक पदार्थों (ODS) पर एक समझौता हुआ। इस सभा में ओजोन परत के बढ़ते रिक्तिकरण को कम करने के लिए तीन ओडीएस पदार्थों सीएफसी, एचसीएफसी तथा मिथाइल ब्रोमाइड की कटौती पर शर्तें तय की गईं।

मांट्रियल समझौता: संयुक्त राष्ट्र के निर्देशन में ओजोन छिद्र से उत्पन्न चिन्ता के निवारण के लिए 16 सितंबर, 1987 को मांट्रियल में 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि ओजोन का विनाश करने वाले पदार्थ क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) के उत्पादन एवं उपयोग को सीमित किया जाए। पुनः 1988 में आयोजित मांट्रियल प्रोटोकाल के तहत ओजोन क्षरण रोकने हेतु विकसित एवं विकासशील देशों के लिए कुछ मानक तय किये गये जैसे-

- विकासशील देशों को ओजोन परत की क्षति पहुँचाने वाले सीएफसी रसायनों का विकल्प एवं तकनीक विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी।
- विकसित देशों को सीएफसी का उत्पादन एवं प्रयोग 2000 तक बंद करने का निर्देश दिया गया (मिथाइल क्लोरोफॉर्म) जिसके अंतर्गत विकसित देशों को 1994 तक अपने उपभोग एवं उत्पादन को 1986 के स्तर के 80 फीसदी तक लाते हुए क्रमिक रूप से 2000 तक बंद करना था तथा विकासशील देशों को वर्ष 2010 तक का समय निर्धारित किया गया था। साथ ही आने वाले 15 वर्षों के अंदर क्लोरो-फ्लोरो कार्बन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

किगाली समझौता: ओजोन परत संरक्षण के क्षेत्र में किगाली समझौते का भी महत्वपूर्ण योगदान है। रवांडा के किगाली में वर्ष 2016 में विश्व के 197 देशों ने हाइड्रोफ्लोरो कार्बन (HFC) श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण समझौता किया गया। इस समझौते के अंतर्गत वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5°C तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। किगाली समझौते में मांट्रियल प्रोटोकाल जिसमें ओडीएस का प्रावधान

था, में संशोधन किया गया तथा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार गैसों को भी शामिल किया गया।

इस संशोधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को मानने के लिए वर्ष 2019 से सदस्य देश बाध्य होंगे। सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को तीन समूहों में बांटा गया है-

पहला समूह: इस समूह में अमेरिका और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ HFCs के उत्पादन को वर्ष 2018 तक स्थिर करेंगे तथा 2036 तक 2012 के स्तर से 15% तक कम करेंगे।

दूसरा समूह: इस समूह में ब्राजील, चीन तथा समस्त अफ्रीकी देशों को शामिल किया गया है। ये देश HFCs को 2024 तक स्थिर करके 2045 तक इसे वर्ष 2021 के स्तर से 20% तक कम करेंगे।

तीसरा समूह: इस समूह में भारत सहित एशियाई देशों को रखा गया है। ये देश 2028 तक HFCs के प्रयोग को स्थिर कर 2047 तक इसे 2025 के स्तर से 15% तक कम करेंगे।

भारतीय प्रयास

भारत ओजोन परत के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदार देश रहा है, साथ ही भारत ने वियना कन्वेंशन एवं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर (क्रमशः 1991 व 1992) किये हैं। भारत ने किगाली समझौते में भी अपनी भागीदारी दर्ज की है। 1993 में एक व्यापक इंडिया कंट्री प्रोग्राम, ओजोन विघटनकारी पदार्थों को धीरे-धीरे कम करने के लिए लाया गया।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ओजोन क्षरण को रोकने के लिए एक ओजोन सेल (Ozone Cell) स्थापित किया गया है।

वर्तमान सरकार ने भी जलवायु हानिकारिक रासायनिक व शीतलक गैसों या हाइड्रोफ्लोरो कार्बन (एचएफसी) के उपयोग को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दुहराई है। सरकार HFCs गैसों को कम करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने तथा ओजोन गैसों के प्रभाव को कम करने के लिए 'ग्रीन योजना' शुरू की है।

ओजोन निम्नीकरण को रोकने के उपाय:

ओजोन परत रिक्तीकरण की समस्या के समाधान बहुत ही सरल है और हम इसे अपने दैनिक

जीवन में बहुत ही आसानी से अपना सकते हैं। हमें ओडीएस (ओजोन घटाने वाले पदार्थ) का उत्सर्जन कम करने के लिए सुनिश्चित बदलावों को बढ़ावा देना चाहिए। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए जिससे ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे और ओजोन अणुओं की संख्या में वृद्धि होती रहे। ओजोन परत पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए हमें उद्योगों के मालिकों और उनके संचालकों को उन पदार्थों और प्रक्रियाओं का कम उपयोग करने की सलाह देनी चाहिए।

कीटनाशकों का उपयोग करने से बचें: कीटनाशक खरपतवार और वायरस से छुटकारा दिलाने के लिए एक आसान समाधान होता है, परन्तु ये ओजोन परत को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें कीटनाशकों के स्थान पर, प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए जैसे हमें जंगली घास के विकास को रोकने के लिए नियमित रूप से अपने बगीचों और खेतों की बुवाई करनी चाहिए। प्राकृतिक कीटनाशकों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए।

निजी वाहनो का सीमित उपयोग करें: ओजोन परत की कमी की समस्या को कम करने के लिए धुआँ देने वाले तथा निजी वाहनों के उपयोग को सीमित करना चाहिए। निजी वाहनों का उपयोग करने के बजाये हमें वैकल्पिक तरीके तथा पारिस्थितिक अनुकूल जैसे कारपूलिंग या साइकिल या हाइब्रिड कार आदि जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, जिससे इस समस्या को और कम किया जा सके।

पर्यावरणीय अनुकूल घरेलू सफाई उत्पादों का उपयोग: कई सफाई करने वाले पदार्थों में जहरीले रसायन मिले होते हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारे स्वास्थ्य भंडार और सुपरमार्केट आज सफाई करने वाले उत्पादों को बेचते हैं जो प्राकृतिक अवयवों से बने होते हैं और किसी भी प्रकार के जहरीले उत्पादों से मुक्त होते हैं। अतः हमें इसी तरह के उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए।

रॉकेट परीक्षण के लिए सख्त नियम बनाना: अंतरिक्ष की यात्रा बढ़ जाने के कारण पिछले कुछ सालों में रॉकेट परीक्षण की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि ये कई तरीकों से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। अध्ययनों

से पता पता चला है कि रॉकेट लॉन्च के कारण ओजोन परत में होने वाला नुकसान सीएफसी के कारण होने वाले नुकसान से काफी अधिक है। सभी प्रकार के रॉकेट इंजन द्वारा ओजोन-नष्ट करने वाले यौगिक उत्पादों का दहन किया जाता है। इन्हें ओजोन परत के पास स्थित मध्य और ऊपरी समताप मंडल परत में सीधे निष्कासित कर दिया जाता है, जिससे इसके कारण सीधे तौर पर ओजोन परत को भारी क्षति होती है।

उपरोक्त समाधानों के अतिरिक्त, कुछ अन्य चीजें जो ओजोन परत की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं: हेलॉन आधारित अग्निरोधक का उपयोग करने के बजाये सुरक्षित विकल्प उपयोग करना चाहिए। दुकानों से खरीदे गए उत्पादों के लेबल की जांच कर यह सुनिश्चित करना चाहिए की कहीं ये ओजोन परत को नुकसान तो नहीं पहुंचाता। शीतल करने वाले यंत्र जैसे रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग उपकरण जिसमें सीएफसी का उपयोग होता है, ऐसे उपकरणों का उपयोग या खरीदना नहीं चाहिए। प्लास्टिक फोम (शुष्क बर्फ या फ्रीजर) से बने स्प्रे या उत्पादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

निष्कर्ष

प्रत्येक वर्ष, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ओजोन परत से जुड़े तथ्यों के बारे में जागरूकता प्रदान की जाती है। हालांकि लोग ओजोन परत की स्थिति को सुधारने में अपना योगदान दे रहे हैं, परन्तु इसकी क्षतिपूर्ति करने में अभी भी कई साल लग सकते हैं। इस तरह के अंतरराष्ट्रीय पहल के कारण हानिकारक रसायनों के उत्पादन में काफी कमी आई है और ये ओजोन परत के नुकसान को रोकने में भी काफी मददगार साबित हो रहे हैं फिर भी, प्रत्येक व्यक्ति को ओजोन परत की सुरक्षा में अपना और अधिक योगदान देना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में आवश्यक उपायों को अपनाना चाहिए। जिससे हम स्वयं को तथा पौधों और जीव-जन्तुओं को एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सकें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

प्रथम विश्व युद्ध का शताब्दी वर्ष

प्र. हाल ही में प्रथम विश्व युद्ध के सौ वर्ष पूरे हुए इस संदर्भ में देशों में विश्व शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए विश्व में सदभाव और भाईचारे के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए संकल्प लिया। समीक्षा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- प्रथम विश्व युद्ध के बाद बदलाव
- प्रथम विश्व युद्ध और भारत
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में संपूर्ण विश्व द्वारा प्रथम विश्वयुद्ध का शताब्दी वर्ष मनाया गया। इस अवसर पर पेरिस से 200 किमी. दूर विलर्स गुसलेन में इंडियन वॉर मेमोरियल का अनावरण किया गया। यह उन भारतीय सैनिकों की याद में पहला नेशनल मेमोरियल है जिनकी मृत्यु प्रथम विश्वयुद्ध के समय फ्रांस में हुई थी।

पृष्ठभूमि

- विश्व के इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ई. से 11 नवंबर 1918 ई. के मध्य जल, थल और आकाश में लड़ा गया। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या और इससे हुई क्षति के अभूतपूर्व आकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध का नाम दिया गया।
- ये करीब 4 साल 4 महीने तक चला था। इस युद्ध ने करीब आधी दुनिया को अपनी चपेट में में लिया जिसमें कि एक करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और इससे दुगने घायल हुए थे। इसके अलावा बीमारियों एवं कुपोषण जैसी घटनाओं से भी लाखों लोग मरे।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद बदलाव

- 1914 से 1918 के मध्य यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीन महाद्वीपों के जल, थल और आकाश में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। उस समय की पीढ़ी के लिए यह जीवन की दृष्टि बदल देने वाला अनुभव था। विश्व युद्ध खत्म होते-होते चार बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी और उस्मानिया ढह गए। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुईं और अमेरिका निश्चित तौर पर एक 'सुपर पावर' बन कर उभरा।

प्रथम विश्व युद्ध और भारत

- प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक 14 लाख भारतीय सैनिक रणभूमि में जुटे रहे। दिल्ली का इंडिया गेट इन सिपाहियों के लिये श्रद्धांजलि के रूप में एक प्रतीक है, जिस पर प्रथम विश्वयुद्ध में शहीद हुए सिपाहियों के नाम अंकित हैं। अविभाजित पंजाब के युवक बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए थे।
- उल्लेखनीय है कि साल 1914 (जब युद्ध शुरू हुआ था) से 1919 के दौरान करीब 74 हजार भारतीय सैनिक शहीद हुए।
- आंकड़ों के मुताबिक गलीपोली में हुई लड़ाई में 15 हजार भारतीय सैनिक शामिल थे। इनमें से करीब 1500 सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा इस मोर्चे में आने वाले कुत-अल-अमारा (जो मिडल ईस्ट में स्थित है) में मित्र राष्ट्रों के सैनिकों को पांच महीने तक बंदी बनाकर रखा गया था। यहाँ सभी सैनिक चारों ओर से दुश्मनों से घिरे हुए थे, इन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया गया था।

आगे की राह

- अगर वर्तमान हालत को देखे तो आज विश्व एक बार फिर गुटीय रूप से बँट रहा है जिसकी अभिव्यक्ति यदा-कदा उत्तरी कोरिया विवाद, तेल संकट, समुद्री मार्ग परियोजना, आर्थिक, व्यापारिक क्षेत्रों में देखने को मिलती है इस संदर्भ में अमेरिका-रूस और चीन के बीच विवाद गहरा रहा है। कई मामलों में तो अमेरिका-रूस एक दूसरे को कई बार पुनः शीत युद्ध तक की धमकी दे चुके हैं। हांलाकि कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, संगठनों व गैर सरकारी संगठनों कि भूमिका ने इस पर नियंत्रण स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है। ■

शहरों के पुनर्नामकरण की औचित्यता का परीक्षण

प्र. वर्तमान में भारत के समक्ष गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चुनौतियाँ सिर उठाये खड़ी हैं तो ऐसे में सरकार द्वारा विभिन्न शहरों और राज्यों के पुनर्नामकरण के लिए सरकारी खजाने पर अतिरिक्त दबाव डालना कितना उचित है? आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- राज्य एवं शहरों के पुनर्नामकरण की प्रक्रिया
- पुनर्नामकरण के कारण

- पुनर्नामकरण के पक्ष में तर्क
- पुनर्नामकरण के विपक्ष में तर्क
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल (कैबिनेट) ने फैजाबाद मंडल का नाम बदलकर अयोध्या मंडल और इलाहाबाद मंडल का नाम बदलकर प्रयागराज मंडल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

पृष्ठभूमि

- भारत के शहरों का पुनर्नामकरण वर्ष 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ कर जाने के बाद आरंभ हुआ था, जो आज तक जारी है। कई पुनर्नामकरणों में राजनैतिक विवाद भी हुए हैं। सभी प्रस्ताव लागू भी नहीं हुए हैं।
- आजकल उत्तर प्रदेश में शहरों का नाम बदले जाने का मामला सुर्खियाँ बटोर रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शहरों का नाम बदलकर सरकार वोट बैंक की राजनीति खेल रही है, जबकि सत्ताधारियों का कहना है कि सरकार नाम बदल कर सिर्फ शहरों को उनकी पहचान देने का कार्य करती है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे शहर हैं जो अपने नाम को लेकर विवादित बने रहते हैं।

राज्य एवं शहरों के पुनर्नामकरण की प्रक्रिया

- किसी राज्य में उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी;
- किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;
- किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;
- किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी;
- किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी;

पुनर्नामकरण के कारण

- स्थानीय भाषा के नाम को अंग्रेजी भाषा की वर्तनी के अनुकूल बनाने हेतु ब्रिटिश उपनिवेशकों ने लगभग 200 वर्षों में कई भारतीय शहरों के नामों में परिवर्तन किया। यथा-पहले कानपुर (Kanpur) का नाम कॉनपोर (Cawnpore) था, जिसे अंग्रेजों ने अपनी भाषा के मुताबिक परिवर्तित करके कानपुर (Kanpur) कर दिया। अतः सरकार (केन्द्र व राज्य) स्थानीय भाषा व संस्कृति के अनुरूप नाम रखने हेतु पुनर्नामकरण करती है।
- भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों में जागरूकता विकसित करने हेतु।
- भारतीय संस्कृति से प्रेरित बड़े शहरों के नाम होने से हमारी संस्कृति की वैश्विक पहचान बनती है।

पुनर्नामकरण के पक्ष में तर्क

- शहरों, रेलगाड़ियों, स्टेशनों, शैक्षणिक संस्थाओं या अन्य महत्वपूर्ण स्थान व जगह का नाम यदि अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा जाता है तो इससे संस्कृति (Culture) का संरक्षण होता है क्योंकि इस प्रक्रिया (सांस्कृतिक नामकरण) से लोग अपनी संस्कृति के बारे में जागरूक होते हैं।

- मानव के पास 'कला व संस्कृति' (Art and Culture) एक अमूल्य निधि होती है, इसके द्वारा वह अपने जीवन को संसाधित व पोषित करता है। भारतीय संस्कृति पाँच हजार साल से अधिक पुरानी है तथा इसके अमूल्य तत्व तब से लेकर आज तक अक्षुण्य रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहे हैं। ऐसे में सरकार व हम लोगों का यह नैतिक दायित्व बनता है कि अपने इन अमूल्य संसाधनों को सहेजने का उत्कृष्ट प्रयास करें।

पुनर्नामकरण के विपक्ष में तर्क

- पुनर्नामकरण के आलोचक कहते हैं कि सरकार में जब किसी एक खास विचारधारा या धर्म को बढ़ावा देने वाली पार्टी का वर्चस्व होता है तब वह अनावश्यक रूप से लोगों पर अपने विचारों/संस्कृति को थोपने का प्रयत्न करती है, जिससे सामाजिक समरसता के छिन्न-भिन्न होने का खतरा उत्पन्न होता है।
- अभी तक जितने भी पुनर्नामकरणों पर विवाद हुआ है, उनमें से अधिकतर मुगलकालीन संस्कृति से सम्बंधित थे। मुगलकालीन संस्कृति के पक्षकारों का कहना है कि भारत के निर्माण में इसका भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि अन्य संस्कृतियों का है।

निष्कर्ष

- भारत में आज भी विशाल जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही, तो ऐसे में सरकार को अपने प्राथमिकता के क्षेत्र निर्धारित करने होंगे। सरकार की एक सुस्पष्ट नीति होनी चाहिए, जिसमें यह परिलक्षित हो कि वह भविष्य में किन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करेगी और किस प्रकार से करेगी? जब हमारे पास संसाधनों की सीमितता हो, तब विकासपरक नीति की आवश्यकता और अधिक हो जाती है। ■

तालिबान शांति वार्ता एवं क्षेत्रीय स्थिरता

- प्र. हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान-तालिबान शांति के मुद्दे पर मॉस्को (रूस) में हुई बैठक में भाग लिया। मॉस्को शांति के उद्देश्य को बताते हुए इस शांति की सफलता में आने वाली चुनौतियों तथा उसके प्रभाव की चर्चा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- भारत का दृष्टिकोण
- शांतिवार्ता की आवश्यकता क्यों?
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान-तालिबान शांति के मुद्दे पर मास्को (रूस) में हुई बैठक में हिस्सा लिया।
- हालांकि भारत की यह भागीदारी अनाधिकारिक तौर पर हुई है।

परिचय

- 1990 की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय माना जाता है।
- 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया।
- उल्लेखनीय है कि तालिबान आंदोलन जिसे तालिबान या तालेबान के नाम से जाना जाता है, एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है।

भारत का दृष्टिकोण

- भारत उन देशों में से एक है जिसने 1996-2001 के तालिबान शासन को मान्यता देने से इंकार कर दिया था।
- 1990 के दौरान भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान प्रयोजित तालिबान शासन से लड़ने वाले उत्तरी गठबंधन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान की थी।
- अमेरिका में 9/11 का हमला तथा अमेरिकी कार्रवाई के बाद तालिबानी शासन के अंत के उपरांत 2001 में हामिद करवाई के शासन की शुरुआत के अवसर पर तात्कालिक विदेश मंत्री जसवंत सिंह काबुल गये थे तत्पश्चात भारत ने पुनः अपना राजदूत भेजना शुरू कर दिया था।

शांतिवार्ता की आवश्यकता क्यों?

- अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को बहाल करने के लिए।
- रूस का अपना निजी स्वार्थ है क्योंकि वह एशिया में अमेरिका का हस्तक्षेप कम करना चाहता है।
- भारत तथा चीन अफगानिस्तान में कई परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं इसलिए दोनों देश चाहते हैं कि इस क्षेत्र में शांति बना रहे।
- भारत अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है इसलिए वह चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का प्रमुख समाप्त किया जाय तथा अफगानिस्तान को आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूत किया जाय।

चुनौतियाँ

- इस तरह की शांतिवार्ता इससे पहले वर्ष 2017 में हुआ था जिसका उद्देश्य तालिबान के साथ सीधी वार्ता करना था। इसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान आदि शामिल थे लेकिन अमेरिका ने इसका विरोध किया था। इसके अलावा तालिबानी रवैये से यह वार्ता असफल रहा था।
- तालिबान द्वारा रखी गयी शर्त जिसमें यह कहा गया है कि अफगानिस्तान को अपनी भूमि से अमेरिकी सेना को वापस करना होगा।
- तालिबान की आतंकवादी व कट्टरपंथी पृष्ठभूमि।

आगे की राह

- जब किसी देश या संगठन का उदय ही कट्टरपंथी विचारधारा के आधार पर हुआ हो तो उससे शांति की बात करना बेईमानी है। लेकिन मॉस्को शांति वार्ता एक नई किरण की उम्मीद लेकर आई है।
- क्षेत्रीय शांति के लिए सभी देशों को एक मंच पर आना होगा और निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर आतंकवाद जैसे समस्याओं से लड़ना होगा।

- तालिबान समस्या के समाधान में न सिर्फ रूस एवं अमेरिका बल्कि भारत, चीन, पाकिस्तान एवं ईरान भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- अफगानिस्तान को भी चाहिए कि वह अपनी धरती से किसी प्रकार के आतंकवादी घटनाओं को न होने दें। ■

ईस्ट एशिया सम्मिट और भारत

- प्र. हाल ही में 13वें पूर्वी एशिया सम्मेलन (EAS) का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इस संदर्भ में यह सम्मेलन भारत तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संबंधों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? चर्चा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- ईएएस में भारत का पक्ष
- ईएएस और भारत
- आसियान और भारत
- लाभ
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में 13वें पूर्वी एशिया सम्मेलन (East Asia Summit) का आयोजन सिंगापुर में आयोजित किया गया।
- सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने शांति, खुला एवं समावेशी हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र, मजबूत होते समुद्री सहयोग और संतुलित क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक भागीदारी का भारतीय दृष्टिकोण दोहराया।

पृष्ठभूमि

- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का गठन दिसंबर 2005 में हुआ था।
- पूर्वी एशिया की स्थापना का विचार सबसे पहले 1991 में मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद ने किया।

ईएएस में भारत का पक्ष

- भारत द्वारा हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाशने और सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के मकसद से RCEP करार को जल्द पूरा करने की वकालत कीं
- प्रधानमंत्री ने कहा कि सदस्य देश अपने वाणिज्य मंत्रियों और वार्ताकारों को आरसीईपी पर बातचीत आगे बढ़ाने का अधिकार दें।

ईएएस और भारत

- भारत वर्ष 2005 में ईएएस की स्थापना के बाद से ही इसके सभी सम्मेलनों में हिस्सा लेता आया है। 'ईएएस' के ढाँचे के भीतर सहयोग की 6 प्राथमिकताएँ तय की गई हैं।

आसियान और भारत

- 2015 में भारत ने आसियान देशों के साथ संबंधों को और मजबूती देने के लिए विशेष राजदूत की नियुक्ति की।
- 2015 में ही भारत और आसियान के बीच विदेश मंत्री स्तरीय बैठक हुई जिसमें 2016-2020 तक के लिए कार्य योजना तैयार की गई।

लाभ

- आरसीईपी समझौता आसियान और उसके कुछ सदस्यों देशों के साथ भारत के मौजूदा एफटीए के पूरक होगा, इस प्रकार यह व्यापार लागत को कम करेगा।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विशेषरूप से निर्यात उन्मुख एफडीआई के अंदर और बाहर बढ़ने के लिए बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियाँ

- आरसीईपी के लिए 2012 से बातचीत चल रही है लेकिन अब भी करार को अंतिम रूप से नहीं दिया जा सका है।
- यह सही है कि पिछले एक दशक में भारत समेत एशिया के अन्य देशों में अच्छी-खासी आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफलता मिली है लेकिन तथ्य यह भी है कि इस मोर्चे पर बहुत कुछ करना है।

आगे की राह

- एशियाई क्षेत्रों में बदलाव को तभी गति दी जा सकती है जब क्षेत्रीय और वैश्विक शांति को बल मिले।
- आरसीईपी से संबंधित जो भी तकनीकी कमी है उसे जल्द से जल्द दूर कर सदस्य देशों में व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। ■

एफपीसी: कृषि क्षेत्र में सामूहिकता की एक नई अवधारणा

प्र. भारत में एफपीसी (किसान उत्पादक कम्पनी) की संख्या तो चक्रवृद्धि रूप से बढ़ी है किन्तु यह बढ़ोतरी कुछ राज्यों या क्षेत्रों तक ही सिमटकर रह गयी है। इसके कारणों का उल्लेख करते हुए उपाय सुझाइए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- किसान/कृषक उत्पादक कंपनी का परिचय
- किसान/कृषक उत्पादक कंपनी के फायदे
- सीमाएँ
- चुनौतियाँ
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 में महज 70 की संख्या में मौजूद एफपीसी (किसान उत्पादक कंपनी-Farmer Producer Company) की तादात अब बढ़कर एक हजार से अधिक हो

चुकी है, जो सालाना 44 फीसदी की चक्रवृद्धि बढ़ोतरी को दर्शाता है। इन छोटी कंपनियों में से करीब आधी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ही मौजूद हैं बाकी जगहों पर एफपीसी का रफ्तार पकड़ना अभी बाकी है। वैसे कृषि के लिहाज से प्रगतिशील राज्यों में एफपीसी की संख्या धीरे-धीरे बढ़ने लगी है।

किसान/कृषक उत्पादक कंपनी का परिचय

- एफपीसी, एक वैधानिक संस्था है जो प्राथमिक उत्पादकों द्वारा बनाई जाती है। इस संस्था को फसल, सब्जी, फल, दूध, मछली, मुर्गा आदि उत्पादन करने वाले किसान या प्राथमिक उत्पादक आसानी से बना सकते हैं। यह सहकारी समिति (Cooperative Society) और निजी कम्पनी के बीच की एक 'संकर इकाई' (Hybrid Entity) है क्योंकि इसमें सहकारी समिति और निजी कंपनी, दोनों के गुण मौजूद होते हैं।
- एफपीसी लोकतांत्रिक तरीके से शासित होती है क्योंकि इनके सदस्यों को समान वोटिंग अधिकार होता है।

किसान/कृषक उत्पादक कंपनी के फायदे

- ये संस्थाएँ अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से निरंतर विकास के लिए कार्य करती हैं। ऐसे कार्य हाँथ में नहीं लेती हैं, जिससे समाज या समुदाय को किसी भी प्रकार की हानि की सम्भावना हो।
- इन संस्थाओं में प्रतिफल किसी एक व्यक्ति के हाँथों में संचित नहीं होता है बल्कि संस्था के सदस्यों में इसे उपयुक्त नीति से वितरित किया जाता है, जिससे आर्थिक विषमता की खाई पैदा नहीं होती है।
- आज भी भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं इससे संबंधित प्राथमिक क्षेत्रों में संलग्न है, ऐसे में कृषि उपज का उचित मूल्य पाने तथा इसे फायदे के कारोबार में तब्दील करने हेतु सामूहिकता का सिद्धान्त बेहद उपयोगी है। एफपीसी इस सामूहिकता को यथार्थ में भली-भाँति तरीके से उतारने में सक्षम हैं।

सीमाएँ

- **अभिप्रेरण की कमी:** लाभ कमाने का उद्देश्य न होने के कारण एफपीसी के सदस्य पूर्ण उत्साह एवं समर्पणभाव से कार्य नहीं करते।
- **सीमित पूँजी:** साधारणतया एफपीसी के सदस्य समाज के एक विशेष वर्ग के व्यक्ति ही होते हैं। इसलिए समिति द्वारा एकत्रित की गई पूँजी सीमित होती है।
- **प्रबंधन में समस्याएँ:** एफपीसी का प्रबंधन प्रायः विशेष कुशल नहीं होता क्योंकि एफपीसी अपने कर्मचारियों को कम पारिश्रमिक देती हैं।

चुनौतियाँ

- 'इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज' के अगस्त 2018 अंक में कहा गया है कि कई मायनों में एफपीसी के साथ सहकारी समितियों की तरह बर्ताव नहीं होता है। सहकारी समितियों को मिलने वाली कई तरह की रियायतें, कर छूट, सब्सिडी और अन्य लाभों का दायरा अभी तक एफपीसी तक विस्तारित नहीं हो पाया है।
- किसानों के कारोबारी प्रतिष्ठान के तौर पर गठित एफपीसी को वित्तीय संस्थानों से कार्यशील पूँजी जुटाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास जमानत देने लायक परिसंपत्ति भी नहीं होती है। हाँलाकि उनके शोयरधारक सदस्यों को किसानों की तरह रियायती दर

पर बैंक कर्ज लेने की सुविधा मिलती है लेकिन उनके सम्मिलित प्रयासों से बनी एफपीसी को इसी तरह की व्याज छूट देने का प्रावधान नहीं है।

- बाकी क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए दी जा रही कई तरह की सरकारी सुविधाएँ कृषि क्षेत्र की एफपीसी कंपनियों को नहीं मिलती हैं।

निष्कर्ष

- किसानों की भागीदारी वाली इन कम्पनियों के समक्ष इस तरह की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार को त्वरित ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि उपर्युक्त प्रकार की समस्याएँ प्रतिस्पर्द्धी बाजार में इन कम्पनियों की न सिर्फ संपोषणीयता को खतरे में डालती हैं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मंद करती हैं। कृषि आय बढ़ाने में एफपीसी कम्पनियों की भूमिका को देखते हुए सरकार को इन्हें भरपूर समर्थन देना चाहिए। कृषि लागत में कटौती, मूल्य-संवर्द्धन और कारगर मार्केटिंग तरीकों से ये कंपनियाँ कृषि क्षेत्र के लिए काफी मददगार हो सकती हैं। असल में एफपीसी, कृषि को आधुनिक बनाने, इसकी लाभपरक क्षमता बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में व्याप्त असंतोष को दूर करने में बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ■

नाभिकीय त्रिकोण: रक्षा क्षेत्र में नये युग की शुरुआत

- प्र. भारत ने स्वदेशी निर्मित परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत के द्वारा अपने नाभिकीय त्रिकोण को पूरा किया और चुनिंदा देशों की उस पंक्ति में आकर खड़ा हो गया जो इस क्षमता से परिपूर्ण हैं। भारत की आर्थिक और रणनीति दृष्टि से इसके निहितार्थों (Implications) पर चर्चा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- नाभिकीय त्रिकोण क्या है?
- नाभिकीय त्रिकोण के घटक
- भारतीय पनडुब्बियों का वर्गीकरण
- आईएनएस अरिहन्द् की विशेषताएँ
- आईएनएस अरिहन्द् की सीमाएं
- आईएनएस अरिहन्द् की उपयोगिता
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- भारत ने घोषणा की है कि उसने भी 'नाभिकीय त्रिकोण' (Nuclear Triad) की पूर्ण स्थापना कर ली है क्योंकि स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी 'आईएनएस अरिहन्द्' ने अपना पहला गश्ती अभियान (Deterrence Petrol) 5 नवंबर, 2018 को पूरा कर लिया है। आईएनएस अरिहन्द्, अब परमाणु हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर समुद्र में गश्त लगाने में सक्षम है और जरूरत पड़ने पर इन मिसाइलों को संचालित (Operationalised) करने की भी क्षमता से लैस है।

नाभिकीय त्रिकोण क्या है?

- नाभिकीय त्रिकोण के पूरा होने का अभिप्राय है कि भारत अब जमीन, हवा और समुद्र (पानी) से न्यूक्लियर हथियारों को संचालित कर सकता है।

नाभिकीय त्रिकोण के घटक

- **बमवर्षक लड़ाकू विमान (Bomber Aircraft):** इस तरह के विमान हवा से हवा, हवा से सतह और हवा से जल (समुद्र) में परमाणु हथियारों (बम, मिसाइल आदि) को संचालित करने में सक्षम होते हैं। भारत ने सर्वप्रथम अपने इसी घटक को हासिल करने में सफलता प्राप्त की थी।
- **भूमि आधारित मिसाइल/प्रक्षेपास्त्र (Land-Based Missiles):** ये मिसाइलें मुख्यतः तरल या ठोस ईंधन वाले रॉकेट होता हैं, जो परमाणु सामग्री को ले जाने में सक्षम होती हैं। इनका प्रयोग दूर स्थित लक्ष्य को भेदने के लिए किया जाता है अर्थात् इनकी सहायता से विस्फोटकों को हजारों किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य तक पहुँचाया जा सकता है।
- **परमाणु हथियारों से युक्त पनडुब्बियाँ:** भारत ने आईएनएस अरिहन्द् के माध्यम से यह क्षमता हासिल कर ली है।

भारतीय पनडुब्बियों का वर्गीकरण

- अकुला वर्ग (Akula Class), जैसे- आईएनएस चक्र।
- अरिहन्त वर्ग (Arihant Class), जैसे- आईएनएस अरिहन्त।

आईएनएस अरिहन्द् की विशेषताएँ

- इस पनडुब्बी में चार 'K-4' बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की जायेंगी। इन मिसाइलों की रेंज 3500 किमी तक है।
- भारत ने इस पनडुब्बी के निर्माण में ज्यादातर स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल किया है।
- परम्परागत डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को ऑक्सीजन से रिचार्ज करने के लिए सतह पर कुछ दिनों के अन्तराल पर आना पड़ता है, के ठीक विपरीत परमाणु-चालित पनडुब्बियाँ पानी के अन्दर अनौपचारिक ढंग से अनन्त समयावधि तक ऑपरेट कर सकती हैं।

आईएनएस अरिहन्द् की सीमाएं

- इसमें बारह 'K-15' मिसाइलों को लगाया गया है, जिनकी रेंज 750 किमी तक ही है, जो काफी कम है।
- यह सत्य है कि भारत ने इस पनडुब्बी के निर्माण में अधिकतर स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल किया है, लेकिन रूस ने इसकी डिजाइन आदि में सहायता प्रदान की है जो भारत की सीमितता को दर्शाता है।
- भारत के पास परमाणु पनडुब्बी को संचालित करने का अनुभव काफी कम है, इसीलिए आईएनएस अरिहन्द् के क्रू-मेम्बर्स को रूसी विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे।

आईएनएस अरिहन्द् की उपयोगिता

- थल, जल तथा वायु क्षेत्र में भारत की परमाणु मिसाइल दागने की त्रि-आयामी क्षमता, इस क्षेत्र के अन्य परमाणु शक्तियों के सामरिक गणित को अवश्य प्रभावित करेगी, जैसे कि पाकिस्तान और चीन निश्चित रूप से प्रभावित होंगे।
- चीन ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में पिछले वर्षों में काफी आक्रमकता दिखाई है, जिससे दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देश भारत की ओर देखने लगे

हैं। ऐसे में भारत यदि सैन्य तकनीकी में महारत हासिल करेगा तो इन देशों में उसे अच्छा बाजार प्राप्त होगा।

निष्कर्ष

- सीमित संसाधनों की उपस्थिति और विभिन्न प्रकार की चुनौतियों (स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी आदि) के बीच हमें अपनी सेना के सशक्तिकरण की नीति पर काफी सोच-विचार के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें मिलिट्री के हर उस फिजूल खर्च से परहेज करना चाहिए, जिसकी उपयोगिता न हो।” अर्थात् हमें अपने सीमित संसाधनों और खर्च की बीच संतुलन स्थापित करना होगा तथा अपने खर्च की प्राथमिकताओं को तय करना होगा।

ओजोन परत में लगातार होता सुधार

- प्र. हाल ही में इक्वाडोर की राजधानी क्वीटों में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेकर 30वीं बैठक संपन्न हुई जिसमें वैज्ञानिकों ने बताया कि वर्ष 2000 से ही ओजोन परत में 2 फीसदी की दर से सुधार हो रहा है। इस संदर्भ में ओजोन परत क्षरण के कारणों तथा प्रभावों को बताते हुए इसके समाधान के उपाय सुझाएं।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- ओजोन परत क्या है?
- ओजोन परत क्षय के कारण
- ओजोन परत क्षय के प्रभाव
- ओजोन क्षरण रोकने के सरकारी प्रयास
- ओजोन क्षरण रोकने के उपाय
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में इक्वेडोर की राजधानी क्वीटों में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेकर 30वीं बैठक संपन्न हुई।
- वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहे जाने वाले ओजोन परत में सकारात्मक बदलाव आया है। वर्ष 2000 से ही ओजोन परत में 2 फीसदी की दर से सुधार हो रहा है।

ओजोन परत क्या है?

- प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली ओजोन गैस पृथ्वी के सतह से लगभग 15 से 30 किमी. उपर समताप मंडल में पायी जाती है।
- यह एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, तथा सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी के वायुमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है।

ओजोन परत क्षय के कारण

- ओजोन परत रिक्तिकरण के कारणों को व्यापक रूप से मानव निर्मित कारणों और प्राकृतिक कारणों में विभाजित किया जा सकता है।
- मानव निर्मित कारणों में क्लोरीन आधारित पदार्थ जैसे सीएफसी का अंधाधुंध उपयोग ओजोन परत की कमी का मुख्य कारण बनता है।

ओजोन परत क्षय के प्रभाव

- ओजोन परत की कमी से उत्पन्न छिद्रों के कारण हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने में साक्षम हो जाती हैं। जिसके घातक परिणाम सामने आते हैं जैसे- त्वचा कैंसर, आंखों को क्षति, पौधों की वृद्धि में कमी, समुद्री जीवों को नुकसान आदि।

ओजोन क्षरण रोकने के प्रयास

- 1985 का वियना कन्वेंशन, ओजोन रिक्तिकरण समझौता 1995, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, किगाली समझौता आदि की चर्चा करें।
- भारत हमेशा से ही ओजोन परत के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदार रहा है।

ओजोन क्षरण रोकने के उपाय

- अधिक से अधिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, किटनाशकों का उपयोग करने से बचें, निजी वाहनों का सीमित उपयोग करें, रॉकेट परीक्षण के समय सख्त नियम बनाना आदि।

निष्कर्ष

- प्रत्येक वर्ष, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ओजोन परत से जुड़े तथ्यों के बारे में जागरूकता प्रदान की जाती है। हालांकि ओजोन परत में व्यापक रूप से सुधार हो रहा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के साथ-साथ आम लोग भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं परन्तु इसकी क्षतिपूर्ति करने में अभी भी सालो लग सकते हैं। ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. मातृत्व लाभ अधिनियम

मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह करने के विषय में बनाए गये संशोधित कानून के कार्यान्वयन को बल देने के लिए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने एक योजना बनाई है। इस योजना के तहत मंत्रालय उन महिला कर्मचारियों के सात सप्ताह के वेतन के बराबर की राशि वापस लौटा देगा जिनकी मासिक आय 15,000 रु. तक है। इस योजना के अन्तर्गत नियुक्ति देने वाले कार्यालयों, विशेषकर निजी क्षेत्र के कार्यालयों विस्तारित मातृत्व अवकाश को लागू करने में प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना के लिए मंत्रालय ने 400 करोड़ रु. की राशि आवंटित की है।

मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यालयों में काम कर रही महिलाओं को प्रसव के पहले और बाद में कतिपय लाभ देना है। जिन कार्यालयों पर यह अधिनियम लागू होना था, वे ऐसे कार्यालय थे जिनमें 10 अथवा 10 से अधिक लोग काम करते हों। इन कार्यालयों में कारखाने, खदानें, बगान, दुकान आदि शामिल हैं। बाद में 2017 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया जिसे 'मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017' कहा जाता है।

क्या है संशोधित कानून?

संशोधित कानून में मातृत्व लाभ की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रत्याशित प्रसव की तिथि के पहले अधिकतम 8 सप्ताह की छुट्टी मिल सकेगी। ज्ञातव्य है कि 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (ILO) ने न्यूनतम 14 सप्ताह के मातृत्व लाभ का मानक रखा है। इस प्रकार का संशोधित कानून एक बहुत ही सकारात्मक प्रावधान है।

जिस स्त्री को पहले से ही दो या दो से अधिक बच्चे हैं तो उनको मात्र 12 सप्ताह की मातृत्व छुट्टी मिलेगी जिसमें प्रसव के पहले अधिकतम 6 सप्ताह ही अनुमान्य होगी। जिस स्त्री ने कानूनी ढंग से तीन महीने से कम के आयु वाले बच्चे को गोद लिया है उसको उस तिथि से 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा जिस दिन उसे यह बच्चा सौंपा गया था। यह प्रावधान उन माताओं पर भी लागू होगा जिन्होंने अपने अंडाणु को किसी दूसरी स्त्री के गर्भ में डालकर भ्रूण तैयार करवाया हो।

संशोधित मातृत्व लाभ के अनुसार कामकाजी स्त्री चाहे तो मातृत्व लाभ की अवधि के पश्चात् घर से ही काम कर सकती है यदि इसके लिए उसे नियुक्ति देने वाला कार्यालय सहमति देता है। यह देखना नियुक्ति देने वाले का काम है कि जो काम वह स्त्री कर रही है, उसे घर से करना उचित होगा अथवा नहीं।

संशोधित कानून के अनुसार कार्यालयों को यह दायित्व दिया गया है कि यदि उनके यहाँ 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं तो वे शिशु की देख-रेख की सुविधा (creche facility) दें। यह सुविधा या तो अलग से हो सकती है अथवा पहले से बने हुए किसी शिशु गृह के माध्यम से दी जा सकती है। साथ ही नियुक्ति देने वाले व्यक्ति उस महिला को दिन-भर में चार बार शिशु-गृह जाने की छूट देगी।

संशोधन में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक कार्यालय किसी स्त्री को नियुक्त करते समय अनुमान्य मातृत्व लाभों के बारे में जानकारी अवश्य देगा जो लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित हो सकता है। ■

2. आदि महोत्सव

जनजातीय शिल्प, संस्कृति, खान-पान और वाणिज्य की भावना के संवर्धन एवं प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं ट्राइफेड (TRIFED) संयुक्त रूप से नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव का आयोजन कर रहे हैं जिसे "आदि महोत्सव" का नाम दिया गया है। इस उत्सव की थीम है- "A Celebration of the Spirit of Tribal Culture, Craft, Cuisine and Commerce".

आदिवासी कला संस्कृति से परिचय कराने वाला यह 'आदि महोत्सव' शुक्रवार से पंद्रह दिन के लिए दिल्ली हॉट में शुरू हो रहा है। इस महोत्सव में हुनर का प्रदर्शन करने के लिए अपना सामान लेकर देश भर से 600 कलाकार आ रहे हैं।

मनोरंजन के लिए 14 नृत्य समूह 200 कलाकारों के साथ आदिवासी नृत्य पेश करेंगे। इस महोत्सव में जनजातीय कला और शिल्प,

जनजातीय औषधि और चिकित्सा पद्धति तथा आदिवासी खान-पान से सम्बंधित सामग्रियों का प्रदर्शन और विक्रय होगा। साथ ही जनजातीय लोक-कला का प्रदर्शन भी होगा जिसमें देश के 23 राज्यों के आदिवासी कारीगर, भोजन-निर्माता, लोक-नर्तक/संगीतकार सम्मिलित होंगे और अपनी समृद्ध पारम्परिक संस्कृति की झलक प्रस्तुत करेंगे। यह महोत्सव आदिवासी संस्कृति, क्रॉफ्ट, नृत्य व संगीत, व्यापार और खानपान का उत्सव है।

महोत्सव की जानकारी देते हुए जनजातीय मंत्री श्री जुएल ओराम ने बताया कि ट्राइफेड ने आदिवासियों को बिचौलियों से मुक्त कराया है। पहले बिचौलिये इनका सामान कम दाम में खरीदते थे जिससे आदिवासियों को अपने सामान का सिर्फ 20 फीसद कीमत मिल पाता था वहीं अब सरकारी संस्था ट्राइफेड सीधे आदिवासियों से

सामान खरीदती है और इसे न सिर्फ देशभर के ट्राइफेड शोरूम में बेचा जाता है बल्कि आनलाइन भी बेचा जाता है ताकि देश-विदेश में सीधे माल पहुंचे और लाभ उन बनाने वाले आदिवासियों को मिले।

उल्लेखनीय है कि आदिवासियों के सामान की कीमत तय करने के लिए भारत सरकार ने

कई समितियाँ बनाई हैं, ताकि उन्हें अपनी चीजों का वाजिब दाम प्राप्त हो सके।

दिल्ली तक सामान लाने से लेकर स्टाल लगाने तक का सारा खर्च ट्राइफेड उठाता है। आदिवासियों का जीवन आदिम सत्य और आंतरिक मूल्यों के साथ प्राकृतिक सादगी का परिचय देता है। ■

3. स्वदेश दर्शन योजना

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की 'स्वदेश दर्शन योजना' के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित 'पेंगटोन शो' (PTSO) झील पर उद्घाटन किया गया।

ये परियोजनाएँ हैं- i) भालुकपोंग-बोमडिला - तवांग परियोजना ii) नाफ्रा-सेप्पा-पप्पू, पासा, पक्के घाटियाँ - संगडुपोटा - न्यू सांगली, जीरो-योम्चा परियोजना।

स्वदेश दर्शन क्या है?

जनवरी, 2015 में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'स्वदेश दर्शन' योजना शुरू की गई थी।

यह योजना 100% केंद्रीय रूप से वित्त पोषित है। प्रत्येक योजना के लिए दिया गया वित्त अलग-अलग राज्य में अलग होगा जो 'कार्यक्रम प्रबंधन परामर्शी' (Programme Management Consultant - PMC) द्वारा तैयार किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (DPR) के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। एक राष्ट्रीय संचालन समिति (National Steering Committee - NSC) गठित की जाएगी, जिसके अध्यक्ष पर्यटन मंत्री होंगे। यह समिति इस मिशन के लक्ष्यों और योजना के स्वरूप का निर्धारण करेगी। कार्यक्रम प्रबंधन परामर्शी की नियुक्ति मिशन निदेशालय (Mission Directorate) द्वारा की जायेगी।

पर्यटन मंत्रालय ने देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने के उद्देश्य से 'स्वदेश दर्शन' योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी जिससे स्थानीय समुदाय हेतु रोजगार के अवसर पैदा होंगे। योजना के अंतर्गत 13 विषयगत सर्किट के विकास हेतु पहचान की गई है, ये सर्किट हैं:- पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्णा सर्किट, डेजर्ट सर्किट, आदिवासी सर्किट, पारिस्थितिकी सर्किट, वन्यजीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट और विरासत सर्किट। ■

4. ई-ट्रेनिंग पोर्टल 'निपुण'

दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों को ज्यादा प्रोफेशनल और जनता के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाने के लिए उनके प्रशिक्षण में विशेष गतिविधियों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने 15 नवंबर, 2018 को जवानों को प्रशिक्षण देने के लिए ई-ट्रेनिंग पोर्टल 'निपुण' की शुरुआत की।

इसे तकनीकी ज्ञान मुहैया कराने के लिए दिल्ली पुलिस के डिजिटल होने की ओर एक और कदम कहा जा सकता है। इस पोर्टल पर जवानों को अनेक विषयों पर जानकारी मिल सकेगी।

'निपुण' ई-लर्निंग पोर्टल क्या है?

पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्स को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, फिक्की, एनएचआरसी, एनसीपीसीआर तथा जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, दिल्ली द्वारा 'प्रोजेक्ट सीएलएपी' के तहत तैयार किया गया है। दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण ने

दिल्ली पुलिस के कुछ एक विशेष कोर्स तैयार करने के लिए सहयोग देने पर सहमत प्रकट की है। इस पोर्टल पर कानून, स्थायी आदेश, जांच-पड़ताल चेकलिस्ट, केस फाइल के लिए फॉर्म, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय उपलब्ध होंगे। इन कोर्स से छानबीन करने वाले पुलिस अधिकारियों को भी काफी लाभ होगा। दिल्ली पुलिस के अधिकारी लॉग इन करके इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इस कोर्स को कभी भी कहीं पर भी देखा जा

सकता है। इससे पुलिस आसानी से अपने कौशल में वृद्धि कर सकती है और अपनी रोजाना की कार्यशैली में समन्वय स्थापित कर सकती है।

ई-शिक्षा

ई-शिक्षा (ई-लर्निंग) को सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्यापन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो स्वाभाविक तौर पर क्रियात्मक होते हैं और जिनका उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के सन्दर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करना है। सूचना एवं संचार प्रणालियाँ शिक्षा प्रक्रिया को कार्यान्वित करने वाले विशेष माध्यम के रूप में अपनी सेवा प्रदान करती हैं। ई-शिक्षा के समानार्थक शब्दों के रूप में सीबीटी (CBT) (कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण), आईबीटी (IBT) (इंटरनेट-आधारित प्रशिक्षण) या डब्ल्यूबीटी (WBT) (वेब-आधारित प्रशिक्षण) जैसे संक्षिप्त शब्द-रूपों का इस्तेमाल किया जाता है। ■



5. युवा सहकार सहकारी अध्यवसाय समर्थन एवं नवाचार योजना

युवाओं की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तथा उन्हें सहकारी व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation - NCDC) ने “युवा सहकार-सहकारी अध्यवसाय समर्थन एवं नवाचार” नामक एक योजना तैयार की है जो युवाओं के लिए अनुकूल होगी।

इस योजना से सहकारी संस्थाओं को नए और नवाचारी क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं को समर्थ बनाने हेतु NCDC ने एक विशेष कोष बनाया है, जिनके प्रावधान अत्यंत उदार हैं। इस कोष का नाम सहकारी स्टार्ट-अप एवं नवाचार कोष/Cooperative Start-up and Innovation Fund (CSIF) होगा और इसमें कार्यान्वयन के लिए 1,000 करोड़ रुपये की पूंजी होगी। इस योजना के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्रेरक लाभ (incentive) दिए जायेंगे। जिन

क्षेत्रों की सहकारी संस्थाओं को विशेष लाभ दिए जाएंगे, वे हैं- पूर्वोत्तर क्षेत्रों एवं आकांक्षी जिलों की सहकारी संस्थाएँ तथा स्त्रियों अथवा SC & ST अथवा दिव्यांग व्यक्तियों के द्वारा संचालित सहकारी संस्थाएँ।

सहकारी संस्थाओं को परियोजना की लागत



का 70% धनराशि मुहैया कराई जायेगी। परन्तु ऊपर वर्णित विशेष श्रेणियों के लिए 80% तक आर्थिक सहायता दी जायेगी। 3 करोड़ रु. तक की लागत वाली परियोजना को दिए गये ऋण पर 2% कम ब्याज लिया जायेगा और मूल को लौटाने के लिए 2 वर्षों की छूट-अवधि (moratorium) दी जाएगी। यह योजना उन सहकारी संस्थाओं के लिए है जो कम-से-कम 1 वर्ष से काम कर रही हों।

एनसीडीसी क्या है?

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation - NCDC) एक वैधानिक निगम है जिसकी स्थापना कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा एक अधिनियम के अंतर्गत 1963 में की गई थी। इस निगम के कई क्षेत्रीय केंद्र हैं जो सहकारी संस्थाओं/सोसाइटियों/संघों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। ■

6. जीसैट-29

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 14 नवंबर 2018 को गाजा नामक तूफान के खतरे की आशंका के बावजूद आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से संचार उपग्रह जीसैट-29 का सफल प्रक्षेपण किया।

इस उपग्रह का वजन 3,423 किलोग्राम है तथा यह उपग्रह इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट जीएसएलवी-एमके3-डी2 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। यह श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ 67वां और भारत का 33वां संचार सैटेलाइट है।

क्या होगा लाभ?

इसरो द्वारा प्रक्षेपित किये गये जीसैट-29 उपग्रह को भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इससे जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के दूर-दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिलेगी। उपग्रह में यूनिक किस्म का हाई रिजॉल्यूशन कैमरा लगा है। इसे 'जियो आई' नाम दिया गया है। इससे हिंद महासागर में जहाजों पर भी निगरानी की जा सकेगी। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस उपग्रह की मदद से भविष्य के स्पेस मिशन

के लिए पहली बार इन तकनीकियों का परीक्षण किया गया है।

जीएसएलवी-एमके3-डी2 रॉकेट

जीसैट-29 को लॉन्च करने के लिए जीएसएलवी-एमके 3 - डी2 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। इसे भारत का सबसे वजनी रॉकेट माना जाता है, जिसका वजन 640 टन है। इस रॉकेट की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह भारत में बना है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 15 साल लगे हैं। इस रॉकेट की ऊंचाई 13 मंजिल की बिल्डिंग के बराबर है और ये चार टन तक के उपग्रह लॉन्च कर सकता है। अपनी पहली उड़ान में इस ने रॉकेट 3136 किलोग्राम के सैटेलाइट को उसकी कक्षा में पहुंचाया था। इस रॉकेट में



स्वदेशी तकनीक से तैयार हुआ नया क्रॉयोजेनिक इंजन लगा है, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। जीएसएलवी-एमके 3 - डी2 की दूसरी उड़ान होगी, जो लॉन्च होने के बाद 10 साल तक काम करेगा। लॉन्च होने के बाद इसे पृथ्वी से 36,000 किमी दूर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट (जीएसओ) में स्थापित किया गया है।

भारत के संचार उपग्रह

दूरसंचार के प्रयोजनों के लिए संचार उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात एक कृत्रिम उपग्रह है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) प्रणाली, भूस्थिर कक्षा में स्थापित नौ प्रचलनात्मक संचार उपग्रहों सहित एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में सबसे बड़े घरेलू संचार उपग्रहों में से एक है। इन्सैट-1बी से शुरूआत करते हुए इसकी स्थापना 1983 में की गई। इसने भारत के संचार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति की शुरूआत की तथा बाद में भी इसे बरकरार रखा। वर्तमान में प्रचलनात्मक संचार उपग्रह हैं इन्सैट-3ए, इन्सैट-3सी, इन्सैट-3ई, इन्सैट-4ए, इन्सैट-4सी.आर, जीसैट-8, जीसैट-10 तथा जीसैट-12। ■

7. भारतीय स्वास्थ्य कोष

टाटा न्यास (Tata Trusts) तथा वैश्विक कोष (The Global Fund) द्वारा समर्थित 'भारतीय स्वास्थ्य कोष' (Indian Health Fund - IHF) के द्वारा यक्ष्मा (tuberculosis) और मलेरिया रोगों को आरम्भ में ही पकड़ लेने के लिए तथा इन रोगों के उन्मूलन के लिए कारगर उपाय ढूँढने के लिए चार नवचारियों (innovators) को चुना गया है।

मुख्य बिंदु

इन चार नवचारियों के चयन का उद्देश्य नई-नई तकनीकों का उपयोग कर यक्ष्मा और मलेरिया के आरम्भिक चरणों में ही निदान करना तथा तत्परता से उपचार प्रारम्भ कर देना है। सरकार ने यक्ष्मा



को 2025 तक और मलेरिया को 2030 तक उन्मूलित करने का लक्ष्य रखा है। विदित हो कि विश्व-भर में होने वाले यक्ष्मा रोगियों में से 27% भारत के रोगी होते हैं। दूसरी ओर दक्षिण-पूर्वी

एशियाई क्षेत्र में मलेरिया के जितने मामले आते हैं उनमें से 68% भारत से आते हैं।

भारतीय स्वास्थ्य कोष क्या है?

भारतीय स्वास्थ्य कोष (Indian Health Fund) टाटा न्यास का एक कोष है जिसे 2016 में वैश्विक कोष के सहयोग से आरम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य यक्ष्मा और मलेरिया जैसे भारत में होने वाले संक्रामक रोगों के निदान और उपचार के लिए नई खोज को प्रेरित करना है। यह कोष उन व्यक्तियों और संगठनों को सहायता करता है जिन्होंने पहले ही इन रोगों से लड़ने की रणनीतियों, सेवाओं, उत्पादों आदि के क्षेत्र में नवाचार किया है। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. अंटार्कटिक ध्रुवीय प्रवाह

जैसे-जैसे जलवायु गर्म हो रही है, वैसे-वैसे अंटार्कटिक ध्रुवीय प्रवाह (Antarctic Circumpolar Current - ACC) में परिवर्तन आ रहा है। वैज्ञानिक यह पता लगाने के लिए अध्ययन कर रहे हैं कि ध्रुवीय प्रवाहों में परिवर्तन का भविष्य में अंटार्कटिका की हिम-पट्टी और विश्व के समुद्रों के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

अंटार्कटिक ध्रुवीय प्रवाह क्या है?

अंटार्कटिक के चारों ओर चलने वाली यह धारा पूरे विश्व की सर्वाधिक प्रबल सामुद्रिक धारा है। यह धारा समुद्र की गहरी सतह से लेकर उपरी सतह तक चलती है और अंटार्कटिका को चारों ओर से घेर लेती है। इसी धारा के चलते अंटार्कटिका हिमाच्छादित रहता है और यह प्रक्रिया पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है।

ये ध्रुवीय जलधाराएँ पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं और प्रत्येक सेकंड में इसमें 165 मिलियन

से लेकर 182 मिलियन क्यूबिक मीटर जल प्रवाहित होता है। इस जलमात्रा को "Sverdrup" नाम दिया गया है। यह ध्रुवीय जलप्रवाह हिन्द महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली मुख्य कड़ी है।

ACC जलधारा, दक्षिणी गोलार्द्ध में चलने वाली प्रबल पछुआ हवाओं तथा भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच सतही तापमान में विशाल अंतर के कारण उत्पन्न होती है।

अंटार्कटिक ध्रुवीय प्रवाह और जलवायुवीय परिवर्तन

ACC धारा भी जलवायुवीय परिवर्तन से वंचित नहीं है। प्रशांत, अटलांटिक और हिन्द महासागर के दक्षिणी छोर के उपरी 2 किलोमीटर तक का भाग पहले से गरम और नमकीन हो चुका है। साथ ही अंटार्कटिक के निम्न तल का पानी भी तेजी से गरम और नमकीन होता जा रहा है।

एक ओर ध्रुवीय क्षेत्र का पानी बढ़े हुए वृष्टिपात के कारण नमकीन हो रहा है तो दूसरी ओर इसके उत्तर की ओर का पानी बढ़े हुए वाष्पीकरण के चलते पहले से अधिक नमकीन हो रहा है। यह परिवर्तन मानवीय गतिविधियों, जैसे- ग्रीनहाउस गैसों का वायुमंडल में उत्सर्जन तथा ओजोन परत के क्षरण के कारण हो रहा है। ओजोन छिद्र तो अब भर रहा है पर पूरे विश्व में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता ही जा रहा है।

पिछले 40 वर्षों में महासागरों के दक्षिणी छोर पर चलने वाली वायु 40% अधिक प्रबल हो गई है। आश्चर्य है कि फिर भी ACC जलधाराओं की शक्ति में तदनुसार वृद्धि नहीं हुई है। इसके विपरीत उन लहरों में बढ़ोतरी हुई है जो तापमान को ध्रुव की ओर ले जाती हैं, विशेषकर इन क्षेत्रों में- ड्रेक पैसेज, केरगुएलेन प्लेटो तथा तसमानिया और न्यूजीलैण्ड के बीच का भाग। ■

2. OSIRIS-REx अभियान

अपनी दो वर्षों से अधिक की अन्तरिक्ष यात्रा में 'OSIRIS-Rex' अन्तरिक्षयान ने पहली बार अपनी रोबोटिक अग्रभाग को बाहर निकाला है। इसका अग्रभाग, जिसे 'TAGSAM' (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) कहा जाता है, का कारगर होना अन्तरिक्षयान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अति-आवश्यक है। विदित हो कि इस अन्तरिक्षयान का लक्ष्य 'Bennu' नामक क्षुद्रग्रह की सतह से कम-से-कम 60 ग्राम सामग्री उठाना और उसे लेकर 2030 तक पृथ्वी लौट आना है।

क्या है OSIRIS-REx अभियान?

- OSIRIS-REx का विस्तृत रूप है - Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security - Regolith Explorer. यह नासा के 'न्यू फ्रंटियर कार्यक्रम' का तीसरा अभियान है। इसके पहले इस

कार्यक्रम के तहत प्लूटो और वृहस्पति की ओर क्रमशः 'New Horizons' और श्रनदव नामक अन्तरिक्षयान छोड़े गये थे।

अभियान का लक्ष्य


यह अन्तरिक्षयान 'Bennu' की कक्षा में तीन वर्ष रहेगा और उस क्षुद्रग्रह की थाह लेने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग करेगा। यह अन्तरिक्षयान इस उल्कापिंड की सतह पर फैंले रेगोलिथ नामक मिट्टी जैसे पदार्थ का नमूना लेगा। रेगोलिथ का

नमूना लेने के लिए यह अन्तरिक्षयान मात्र 5 सेकंड के लिए उल्कापिंड की सतह पर आएगा और नाइट्रोजन गैस का विस्फोट करके रेगोलिथ में हलचल पैदा करेगा जिससे कि वह उसको चूसकर अपने अन्दर संगृहीत कर सके। इसके लिए अन्तरिक्षयान में इतना नाइट्रोजन जमा कर दिया गया है जिससे तीन बार विस्फोट किया जा सके।

OSIRIS-REx मिशन के लिए Bennu को 5 लाख ज्ञात क्षुद्रग्रहों में से चुना गया था।

पृथ्वी से निकटता

Bennu की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के समान है। ज्ञातव्य है कि पृथ्वी के निकट 7000 क्षुद्रग्रहों में से 200 ही ऐसे क्षुद्रग्रह पृथ्वी के समान हैं और उनमें Bennu एक है। छोटे-छोटे क्षुद्र ग्रहों का व्यास 200 मीटर से भी कम का होता है जिसके कारण ये बड़े क्षुद्र ग्रहों की तुलना में अधिक तेजी



से घूमते हैं। परिणामतः इसका रेगोलिथ पदार्थ अन्तरिक्ष में बिखर सकता है। किन्तु दूसरी ओर Bennu का व्यास 500 मीटर का है, इसलिए यह इतना धीरे घूमता है कि इसकी रेगोलिथ उसके भूमि-तल पर टिका रह जाता है।

Bennu की रचना: Bennu एक प्राथमिक

क्षुद्रग्रह है अर्थात् 4 बिलियन वर्ष पहले सौरमंडल के बनने के समय से इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। इसमें कार्बन भी बहुत है जिसका अभिप्राय यह हुआ है कि इसमें जैव-अणु (organic molecules) भी हो सकते हैं। Bennu के बारे में एक और रोचक तथ्य यह है कि यह

पृथ्वी के लिए खतरनाक है। प्रत्येक छठे वर्ष Bennu की कक्षा उसको पृथ्वी के 2 लाख मील के अन्दर ले आती है। इसका अर्थ यह हुआ है कि 22वीं शताब्दी के अंतिम भाग में बहुत करके यह हो सकता है कि यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा जाए। ■

3. चीन ने बनाया आर्टिफिशियल सूरज

चीन ने ऐसा कृत्रिम सूरज बनाया है, जिसका तापमान असली सूरज से तीन गुना ज्यादा होगा। असली सूरज से तिगुना गर्म ये आर्टिफिशियल सूरज चीन के इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस के वैज्ञानिकों ने बनाया है। इसे 'द एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपरकंडक्टिंग टोकामाक' (EAST) नाम दिया गया है।

आर्टिफिशियल सूरज बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस को 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म कर, उस तापमान को 102 सेकंड तक स्थिर रखा गया। ज्ञातव्य हो की असली सूरज में हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसों उच्च तापमान पर और ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। इस तापमान को पाने के लिए कई सालों तक प्रयोग किए गए। कई बार ऐसा भी हुआ कि न्यूक्लियर फ्यूजन चैंबर का कोर इतने तापमान से पिघल गया।

ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन रेडियोएक्टिव आइसोटोप से सूरज में प्रकाश और तापमान बनता है। सूर्य में हीलियम परमाणु संलयन (फ्यूजन) के दौरान भी ऊर्जा निकलती है। कृत्रिम सूरज में भी इसी प्रक्रिया को अपनाया गया है। सूरज बनाने के दौरान इसके परमाणु को प्रयोगशाला में विखंडित किया गया। प्लाज्मा विकिरण से सूर्य


के औसत तापमान से तापमान पैदा किया गया था। फिर उस तापमान से फ्यूजन यानी संलयन की प्रतिक्रिया हासिल की गई। इसी आधार पर अणुओं का विखंडन हुआ, जिससे उन्होंने ज्यादा मात्रा में ऊर्जा छोड़ी। फिर इस प्रक्रिया को अधिक समय तक लगातार कायम रखा गया। यह आविष्कार उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसके तहत न्यूक्लियर फ्यूजन से साफ-सुथरी व अच्छी एनर्जी प्राप्त की जा सकती है।

माना जा रहा है कि इस सूरज से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। ये भी माना जा रहा है कि इस सूरज में उत्पन्न की गई नाभिकीय ऊर्जा को विशेष तकनीक से पर्यावरण के लिये सुरक्षित ग्रीन ऊर्जा में बदला जा सकेगा। जिससे धरती पर ऊर्जा का बढ़ता संकट दूर किया जा सकेगा।

EAST क्या है?

यह एक चुम्बकीय मेल ऊर्जा रिएक्टर (magnetic fusion energy reactor) प्रयोग है। यह प्रयोग हैफेई में स्थित 'Institute of Plasma Physics' द्वारा 2006 से किया जा रहा है। इस रिएक्टर को कृत्रिम सूरज भी कहा जाता है। East रिएक्टर ग्यारह मीटर ऊँचा और 360 टन भारी है। इसका

व्यास 8 मीटर है। इस रिएक्टर में हाइड्रोजन के आइसोटोप - deuterium और tritium होते हैं। इन आइसोटोपों को टोकामक (tokamak) के अन्दर शक्तिशाली विद्युत् धाराओं से गरम किया जाता है जिससे इलेक्ट्रान अपने अणुओं से निकल जाते हैं और हाइड्रोजन आयनों के आविष्ट प्लाज्मा (charged plasma) का निर्माण करते हैं। रिएक्टर की अंदरूनी दीवारों पर शक्तिशाली चुम्बक लगे रहते हैं जो इस प्लाज्मा को एक अत्यंत ही छोटी



जगह ले जाते हैं जिससे इनका आपस में मेल हो सके। जब इन आयनों का मेल हो जाता है तो इससे विशाल मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है जिससे एक बिजलीघर चलाया जा सकता है और बिजली पैदा की जा सकती है। ■

4. विश्व सीमा शुल्क संगठन

हाल ही में 'विश्व सीमा शुल्क संगठन' (WCO) की चार दिवसीय क्षेत्रीय बैठक जयपुर, शहर में आयोजित की गई थी। इसमें एशिया के 33 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की संयुक्त रूप से WCO के डिप्टी महासचिव रिकार्डो ट्रेविनो और केंद्रीय संस्थान 'अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क' के अध्यक्ष एस रमेश की अध्यक्षता में की गई।

मुख्य तथ्य

बैठक में क्षमता निर्माण और सीमा शुल्क में सुधार

के लिए आवश्यक कदमों सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें अन्य मुद्दों के साथ संशोधित क्योटो प्रोटोकॉल, डिजिटल



रीति-रिवाज, ई-कॉमर्स पर भी चर्चा की गई तथा विचार-विमर्श किया गया। व्यापार सुविधा के लिए राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (NTFC) द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का सारांश भी बैठक में प्रस्तुत किया गया था।

क्या है विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO)?

WCO एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जिसका मिशन सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए है। यह 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद (सीसीसी) के रूप में

स्थापित किया गया था। यह सीमा शुल्क मामलों में सक्षमता वाला एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क समुदाय की आवाज माना जाता है।

यह दुनिया भर में 182 सीमा शुल्क प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता है जो सामूहिक रूप से विश्व व्यापार का लगभग 98% है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है। यह आधुनिक रीति-रिवाज सिस्टम और प्रक्रियाओं की चर्चा, विकास, पदोन्नति और कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाता है।

उद्देश्य

इसका उद्देश्य सदस्य सीमा शुल्क प्रशासन की

दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से राजस्व संग्रह, राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार सुविधा, सामुदायिक सुरक्षा और व्यापार आंकड़ों के संग्रह में सफलतापूर्वक योगदान करने में सहायता करना है।

संगठनात्मक संरचना

परिषद अपने मिशन को पूरा करने के लिए WCO सचिवालय की क्षमता, कौशल, तकनीकी और सलाहकार समितियों की एक शृंखला पर निर्भर करती है। WCO ने अपनी सदस्यता छह क्षेत्रों में विभाजित की है जिससे प्रत्येक क्षेत्र को निर्वाचित उपाध्यक्ष द्वारा डब्ल्यूसीओ परिषद में प्रतिनिधित्व किया जाता है।

कार्य

यह सम्मेलनों और अन्य अंतरराष्ट्रीय उपकरणों के साथ-साथ अपने सदस्यों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करता है। यह अपने राष्ट्रीय सीमा शुल्क प्रशासन के भीतर क्षमता का आधुनिकीकरण और निर्माण करने के अपने प्रयासों में सक्रिय रूप से अपने सदस्यों का समर्थन करता है। यह वैध अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विकास को प्रोत्साहित करने और धोखाधड़ी गतिविधियों से मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ईमानदार, पारदर्शी और अनुमानित सीमा शुल्क पर्यावरण को उभारने में भी बढ़ावा देता है, इस प्रकार सीधे अपने सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में योगदान देता है। ■

5. एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कृषि सहकारिता विकास नेटवर्क (NEDAC)

हाल ही में 'एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कृषि सहकारिता विकास नेटवर्क' (नेडाक) की आम सभा का आयोजन 15-16 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किया गया।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) इस नेटवर्क के सदस्य देशों में शामिल है। एनसीडीसी ने इस आम सभा की मेजबानी की और कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने इसका उद्घाटन किया।

एनसीडीसी क्या है?

एनसीडीसी को वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम के जरिये स्थापित किया गया। यह देश

में सहकारी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से कार्यरत एक शीर्ष वित्तीय और विकास संस्थान है।

नेडाक क्या है?

नेडाक क्षेत्रीय मंच है जो इस क्षेत्र के आठ देशों के सहकारी संगठनों को परस्पर जोड़ता है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में लाखों लोगों के लिए खाद्य और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के ध्येय के साथ कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में कृषि सहकारी समितियों की भूमिका के बारे में सरकारों को संवेदनशील बनाता है।

प्रारंभ में, नेडाक में नौ एशियाई देशों के सदस्यों के रूप में 16 सहकारी संगठन थे। भारत

की ओर से, केंद्रीय कृषि मंत्रालय और एनसीडीसी इसके प्रारंभिक सदस्य थे। मौजूदा समय में, नेडाक में 24 संगठन सदस्य हैं। इसका सचिवालय बैंकाक के एफएओ एनेक्सी में है।

नेडाक की आम सभा पूसा दिल्ली स्थित एनएएससी परिसर में आयोजित की गई। इसकी पिछली बैठक जुलाई 2016 में काठमांडू में हुई थी।

इस बैठक में सदस्य देशों के बीच परस्पर सूचनाओं और सहयोग का मंच तैयार करने के मकसद से एक पोर्टल शुरू करने का प्रस्ताव भी पेश किया जायेगा। ■

6. एशिया पैसिफिक इकनॉमिक को-ऑपरेशन(एपेक) सम्मेलन

एपेक का दो दिवसीय 26वाँ अनौपचारिक शिखर सम्मेलन 18 नवम्बर को पापुआ न्यू गिनी में संपन्न हुआ। सम्मेलन के दौरान विभिन्न सदस्य देशों की आर्थिक इकाइयों ने "समावेशी मौके को पकड़कर डिजिटल भविष्य को गले लगाए" थीम पर आपसी संपर्क, एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार क्षेत्र के निर्माण और डिजिटल अर्थतंत्र और इंडोनेशिया के बागोर में निर्धारित लक्ष्यों को आगे बढ़ाने आदि मुद्दों पर सहमतियां प्राप्त की सदस्यों ने स्वतंत्र व्यापार, बहुपक्षीय व्यापारिक तंत्र और आर्थिक भूमंडलीकरण का समर्थन व रक्षा करने का सक्रिय संकेत दिया।

उल्लेखनीय है कि चीनी राष्ट्रपति शी

जिनपिंग ने खुलेपन, विकास, समावेशी, नवाचार और नियम के उन्नत पांच सुझाव पेश किये, जिन्हें उपस्थित प्रतिनिधियों की व्यापक मान्यता हासिल हुई। अनुमान है कि यह चीनी प्रस्ताव भविष्य में एशिया-प्रशांत सहयोग में तीन प्रेरणा शक्ति डालेगा-

पहला, एशिया-प्रशांत का भविष्य खुलेपन पर निर्भर है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विश्व विकास की प्रवृत्ति की सामरिक ऊँचाई पर विभिन्न आर्थिक इकाइयों से खुले एशिया-प्रशांत अर्थतंत्र का निर्माण करने, व्यापार और पूंजी निवेश की स्वतंत्रता व सुविधाकरण को निरंतर आगे बढ़ाने की अपील की। जिसने इस क्षेत्र के भविष्य

के विकास के लिए बड़ी दिशा व बड़ा लक्ष्य तय किया है।

दूसरा, एशिया-प्रशांत सहयोग की मूल बात है नवाचार। हाल में डिजिटल अर्थतंत्र वैश्विक तथा नये उद्योगों के सुधार की प्रमुख शक्ति बन चुका है।

हाल के वर्षों में एपेक के सदस्यों ने क्रमशः डिजिटल अर्थतंत्र की विकास रणनीतियाँ व योजनाएँ पेश कीं। साथ ही एपेक के 35 प्रतिशत के क्षेत्रों में आर्थिक इकाइयों का डिजिटल वातावरण और तकनीक स्तर अपेक्षाकृत नीचा रहा है, जिन्हें विकास की तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

तीसरा, एशिया-प्रशांत के विकास के लिए समावेश की जरूरत है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अनेक विविधताएं हैं। इसलिए समावेशी मौके को पकड़ना वर्तमान शिखर सम्मेलन का और एक केन्द्रीय विषय रहा।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विभिन्न देशों से विविधतापूर्ण यथार्थ स्थितियों के मुताबिक एक दूसरे के विकास रास्ते का सम्मान करने की

अपील की। आपसी संपर्क समावेशी विकास का आधार है।

एपेक क्या है?

एपेक एशिया प्रशांत क्षेत्र के 21 देशों का आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण मंच है। यह संपूर्ण एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य धारणीय आर्थिक विकास

एवं समृद्धि को समर्थन देना है। इसकी स्थापना 12 सदस्य राष्ट्रों के साथ वर्ष 1989 में केनबरा (ऑस्ट्रेलिया) में हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्र हैं- ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, यूएसए एवं वियतनाम। ■

7. संयुक्त राष्ट्र में भारत ने सजा-ए-मौत पर रोक के खिलाफ

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मौत की सजा पर रोक लगाने को लेकर पेश एक मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। भारत ने कहा कि यह देश के वैधानिक कानून के खिलाफ जाता है, जहां इस तरह की सजा 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' केस में दी जाती है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी कमेटी (सामाजिक, मानवीय, सांस्कृतिक) में पेश किए गए इस मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में 123, खिलाफ में 36 मत पड़े और 30 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इसी के साथ यह मसौदा प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। भारत उन देशों में शामिल था, जिसने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। इस प्रस्ताव में महासभा ने सभी सदस्य देशों से मौत की सजा पाने वाले व्यक्तियों के अधिकारों

से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सम्मान करने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि इसे पक्षपाती कानूनों के आधार पर या कानून के भेदभावपूर्ण या मनमाने इस्तेमाल के परिणामस्वरूप लागू नहीं किया जाए।

भारत का पक्ष


संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पॉलोमी त्रिपाठी ने देश के मत पर सफाई देते हुए कहा कि प्रस्ताव मौत की सजा को खत्म करने के मकसद से फांसी की सजा पर रोक लगाने को बढ़ावा देने की बात करता है।


त्रिपाठी ने कहा, भारत में मौत की सजा 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मामलों में दी जाती है, जहां अपराध इतना जघन्य होता है कि पूरे समाज को


झकझोर देता है। भारतीय कानून स्वतंत्र अदालत द्वारा निष्पक्ष सुनवाई, दोष साबित होने तक निर्दोष माने जाने की धारणा, बचाव के लिए न्यूनतम गारंटी और ऊपरी अदालत द्वारा समीक्षा के अधिकार समेत सभी अपेक्षित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है।


मसौदा प्रस्ताव पारित होने से पहले इस पर बहुत गहन चर्चा हुई थी और सिंगापुर ने 34 देशों की ओर से एक संशोधन पेश किया था, जिसमें देशों के पास अपना खुद का कानूनी तंत्र स्थापित करने के स्वायत्त अधिकार का उल्लेख किया गया था। कमेटी ने इसके पक्ष में पड़े 96 वोटों के साथ संशोधन को स्वीकार कर लिया था। भारत ने संशोधन के पक्ष में वोट डाला था। ■


सात ब्रेन बूस्टर्स

















सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. शिक्षक नेतृत्व कार्यक्रम/शिक्षण रिफ्रेशर कार्यक्रम

प्र. शिक्षक नेतृत्व कार्यक्रम/शिक्षण रिफ्रेशर कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. शिक्षक नेतृत्व कार्यक्रम एक मूर्धन्य नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसकी कुल अवधि 3 सप्ताह की है।
2. यह कार्यक्रम उन द्वितीय स्तर के शिक्षकों के लिए है जो सरकार द्वारा वित्त-पोषित शिक्षा संस्थानों में कार्यरत हैं।
3. अर्पित (ARPIIT) कार्यक्रम के माध्यम से उच्चतर शिक्षा से जुड़े हुए 15 लाख शिक्षकों को ऑनलाइन पेशेवर विकास का अवसर दिया जाएगा।
4. अर्पित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रथम चरण में 75 विशेष अनुशासन वाले संस्थानों का चयन किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4
(c) उपर्युक्त सभी (d) केवल 3 और 4

उत्तर: (c)

व्याख्या: उच्चतर शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों के लिए भारत सरकार ने शिक्षक नेतृत्व कार्यक्रम (Leadership for Academicians Programme) का अनावरण किया है, इसके आलावा सरकार ने उच्चतर शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के लिए वार्षिक शिक्षण रिफ्रेशर कार्यक्रम (ARPIIT) का अनावरण भी किया है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ■

2. कृषि व्यवसाय सूचकांक

प्र. कृषि व्यवसाय सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इस सूचकांक के अंतर्गत फसल और मवेशी-बीमा को 40% वेटेज दिया जाएगा। दूसरी ओर उत्पादकता में वृद्धि और कृषि में निवेश के लिए 20-20% का वेटेज निर्धारित है।
2. नीति आयोग पहले से ही एक कृषि विपणन और कृषक अनुकूल सूधार सूचकांक जारी करता है।
3. वर्ष 2016 में इस सूचकांक के प्रारंभिक संस्करण में गुजरात पहले स्थान पर तथा महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 2

उत्तर: (d)

व्याख्या: भारत सरकार एक ऑनलाइन डैशबोर्ड के निर्माण की योजना बना रही है जिसके माध्यम से कृषि व्यवसाय क्षेत्र में राज्यों के प्रदर्शन पर नजर रखी जाएगी। इस सूचकांक के अंतर्गत फसल और मवेशी बीमा को 15% वेटेज (न कि 40%) दिया जाएगा तो दूसरी ओर उत्पादकता में वृद्धि और कृषि में निवेश के लिए 10-10% (न कि 20-20% का) का वेटेज दिया जाएगा अतः कथन (1) गलत है। इसी प्रकार वर्ष 2016 में इस सूचकांक के प्रारंभिक संस्करण में महाराष्ट्र पहले स्थान पर तथा गुजरात दूसरे स्थान पर था अतः कथन (3) भी गलत है। इस संदर्भ में कथन (2) सही है। ■

3. पवन टर्बाइन मसौदा योजना

प्र. पवन टर्बाइन मसौदा योजना के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए

- (a) भारत के नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने भारत में पवन टर्बाइनों पर एक मसौदा योजना जारी की है।
- (b) मसौदा योजना सभी हितधारकों के अवधारणा से सभी प्रकार के पवन टर्बाइनों के जीवन के लिए दिशा-निर्देशों का वर्णन करता है।
- (c) 2022 तक, भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 175 जीडब्ल्यू की स्थापना को लक्षित कर रहा है।
- (d) मान्यता प्राप्त योजनाओं की सफलता के बाद भी पवन टर्बाइनों के मॉडलों तथा निर्माताओं की संशोधित सूची में स्थान नहीं मिला है।

उत्तर: (d)

व्याख्या: भारत के नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने भारत में पवन टर्बाइनों पर एक मसौदा योजना जारी की है जिसे इंडियन विंड टर्बाइन सर्टिफिकेशन स्कीम (IWTCs) के रूप में जाना जाता है। इस संदर्भ में मान्यता प्राप्त योजनाओं की सफलता से पवन टर्बाइन को माडलों तथा निर्माताओं की संशोधित सूची में स्थान मिला है। अतः कथन (d) गलत है। ■

4. संदरस्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर (इस्पाइनेकर)

प्र. स्पाइनेकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसमें दस लाख प्रोसेसर हैं।
2. यह प्रति सेकेंड 200 मिलियन से अधिक कार्यों को पूर्ण कर सकता है।
3. इसे यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में डिजाइन और बनाया गया है।

4. इसमें कॉर्टेक्स के एक खंड का 80,000 न्यूरॉन मॉडल शामिल हैं, जो मस्तिष्क की बाहरी परत है जो इद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है और संसाधित करता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/ हैं?

- (a) केवल 3 व 4 (b) केवल 1 व 2
(c) केवल 1 व 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (b)

व्याख्या: संदरस्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर (स्पाइनेकर) मशीन दुनिया का सबसे बड़ा सुपरकंप्यूटर है जिसे मानव मस्तिष्क की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही है। ■

5. हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद

प्र. हाल ही में चर्चित हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

- हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे।
- इस परिषद का उद्देश्य 5 कार्यदलों के प्रतिवेदनों के आधार पर चुने गये कार्यों की समीक्षा और कार्यान्वयन है।
- ज्ञातव्य है कि हिमालयी क्षेत्र में 18 राज्य और 6 जिले आते हैं।
- इसे जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत शुरू किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/ हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) केवल 1

उत्तर: (b)

व्याख्या: भारत के हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है जिसको हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद (Himalayan State Regional Council) का नाम दिया गया है। हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष नीति आयोग के सदस्य डा. वी.के. सारस्वत (न कि अध्यक्ष) होंगे अतः कथन (1) गलत है। ज्ञातव्य है कि हिमालयी क्षेत्र में 12 राज्य और 4 जिले (न कि 18 राज्य और 6 जिले) आते हैं अतः कथन (3) भी गलत है। इस संदर्भ में शेष अन्य कथन सही हैं। ■

6. न्यूट्रिनों वेधशाला

प्र. हाल ही में चर्चित न्यूट्रिनों वेधशाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

- न्यूट्रिनों वह मूल कण होता है जिनका निर्माण सूर्य एवं तारों की तरह वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से होता है।
- ब्रह्माण्ड में हर एक क्यूबिक सेंमी. में करीब 10,000 फोटॉन और 600 न्यूट्रिनों पाये जाते हैं।
- इस कण के बारे में सबसे पहले वर्ष 1930 में पता चला था।
- वर्ष 2015 में न्यूट्रिनों के रिसर्च पर लगे दो वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी मिला था।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही नहीं है/ हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 3 और 4 (d) केवल 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या: राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने तमिलनाडु स्थित न्यूट्रिनों वेधशाला को दी जाने वाली पर्यावरण संबंधी मंजूरी का सर्शत समर्थन किया है। इस संदर्भ में, ब्रह्माण्ड में हर एक क्यूबिक सेंमी. में करीब 1,000 फोटॉन (न कि 10,000) और 300 न्यूट्रिनों (न कि 600) पाये जाते हैं अतः कथन 2 गलत है। शेष सभी कथन सही हैं। ■

7. आरबीआई की बैलेंस शीट

प्र. आरबीआई के बैलेंस शीट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

- केन्द्रीय रिजर्व बैंक के पास मौजूदा समय में 9.6 ट्रिलियन (9.6 लाख करोड़) रुपये की रकम रिजर्व है।
- आरबीआई को मौद्रिक और वित्तीय संकट से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भी पूंजी की जरूरत होती है।
- कम पूंजी केन्द्रीय बैंक को जरूरत के समय सरकार के पास आने के लिए मजबूर करेगी। जिससे केन्द्रीय बैंक पर सरकारी प्रभाव बढ़ेगा।
- आरबीआई के पास आरक्षित पूंजी वित्त वर्ष 2017 में 25.4% था जो 2018 में बढ़कर 26.5% हो गया है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/ हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में केन्द्र सरकार ने रिजर्व बैंक के पास पड़ी रिजर्व धन का लगभग एक-तिहाई हिस्से की मांग की है ज्ञातव्य है कि केन्द्रीय रिजर्व बैंक के पास मौजूद 9.6 ट्रिलियन (9.6 लाख करोड़) रुपये की रकम है। केन्द्र सरकार रिजर्व बैंक से चाहती है कि उसे इस रिजर्व मुद्रा से 3.6 ट्रिलियन रुपये दिए जाएं। इस संदर्भ में दिए गए सभी कथन सही हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. प्रत्येक वर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है?

- 19 नवम्बर

2. हाल ही में किस शहर द्वारा शहरी आधारभूत संरचना पर आधारित 'दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन' की मेजबानी की गई?

- नई दिल्ली (भारत)

3. नौसैन्य संयुक्त अभ्यास 'समुद्र शक्ति-2018' का पहला संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया।

- इण्डोनेशिया

4. विश्व बौद्ध फोरम का पांचवां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था?

- चीन में

5. किस डिजिटल प्लेटफार्म ने दुनिया भर में 20 शोध दलों को 'फेक न्यूज' को रोकने के लिए चुना है?

- व्हाट्सएप

6. भारत ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है?

- मोरक्को

7. किस राज्य सरकार ने अपनी नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है?

- ओडिसा

सात महत्वपूर्ण प्रजातियाँ

1. भारतीय पैंगोलिन

- हाल ही में क्राइम विभाग ने युवा पैंगोलिन के तस्करी के आरोप में महाराष्ट्र में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारों का कहना है कि इस पैंगोलिन की कीमत लगभग 40 लाख है।
- पैंगोलिन की खाल की दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में काफी डिमांड है। इसकी परतदार खाल का इस्तेमाल शक्तिवर्द्धक दवाइयों, ड्रग्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, कपड़े और सजावट के समान के लिए किया जाता है।
- पैंगोलिन को डायनासोर का वंशज माना जाता है क्योंकि उसके हड्डियों की बनावट और आकार उससे मिलता है।
- ये सिवानी, मंडला, कटनी एवं अमरकंटक के जंगलों में भी पाये जाते हैं।
- भारतीय पैंगोलिन (Indian pangolin), जिसका वैज्ञानिक नाम मैनिस् क्रैसिकाउडाटा (Manis crassicaudata) है, पैंगोलिन की एक जीववैज्ञानिक जाति है जो भारत, श्रीलंका, नेपाल और भूटान में कई मैदानी व हलके पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पैंगोलिन की आठ जातियों में से एक है और संकटग्रस्त माना जाता है।
- हर पैंगोलिन जाति की तरह यह भी समूह की बजाय अकेला रहना पसंद करता है और नर व मादा केवल प्रजनन के लिए ही मिलते हैं। इसका अत्याधिक शिकार होता है जिसमें रोग-निवारण के लिए इसके अंगों को खाने की झूठी और अन्धविश्वासी प्रथाएँ भी भूमिका देती हैं। इस कारणवश यह विलुप्त की कागार पर आ गया है।
- यह हिमाचल प्रदेश के जंगलों में भी पाया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में सलगर कहते हैं। स्थानीय लोग इस जानवर के मांस को दुर्लभ और गुणकारी मानते हैं जिसके चलते इसका शिकार किया जा रहा है। अभी हाल में ही बनूडी नाम के गाँव में भी यह देखा गया था।
- पैंगोलिन का मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े के साथ-साथ चींटी और दीमक है। देखने में इसकी त्वचा बिल्कुल खजूर के पेड़ के छिलके जैसी है। पैंगोलिन की सबसे बड़ी खासियत यह है

कि कोई भी खतरा आने से पहले यह बिल्कुल सिकुड़कर गेंद के समान हो जाता है। यूँ तो पैंगोलिन के सात प्रजाति होते हैं पर भारत में केवल दो प्रजातियों का पैंगोलिन पाया जाता है।

- यह बंगलादेश, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल, ताइवान, थाइलैंड और वियतनाम में राष्ट्रीय कानूनों से संरक्षित है। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची एक में रखा गया है।

2. संगई हिरण

- भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के वैज्ञानिकों को संगई की घटती संख्या के कारण इसे दूसरा वासस्थल उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है।
- संगई स्थानिक, दुर्लभ और अति संकटग्रस्त ब्रो-ऐन्ट्लर्ड हिरण की एक उप प्रजाति है। यह केवल मणिपुर में पाया जाता है। यह मणिपुर का राजकीय पशु भी है।
- इसका वासस्थल लोकटक झील में तैरते बायोमास (जैव ईंधन) पर अवस्थित केइबुल लामजाओ आर्द्रभूमि तक सीमित है। इस तैरते बायोमास को स्थानीय भाषा में 'फूमिड' कहा जाता है।
- संगई जब तैरते बायोमास पर चलता है तो प्रायः अपने को संतुलित करता है जिससे यह हरी घास पर नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए इसे लोकप्रिय रूप से मणिपुर का नृत्य करने वाला हिरण कहा जाता है।
- IUCN द्वारा इसे विलुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है लेकिन यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के 'रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इन्डैन्जर्ड स्पीशीज एंड हैबिटाट' का भाग है।
- मणिपुर राज्य के वन विभाग द्वारा इसे विलुप्त होने से बचाने के उद्देश्य से संगई हिरण के एक वर्ग को स्थानांतरित करने का फैसला किया गया है। इनका स्थानांतरण पुम्लेन पाट में किया जाएगा जो इसके वर्तमान आवास से नजदीक स्थित है।
- लोकटक झील भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों में से एक है। केइबुल लामजाओ भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।

- फूमिड एक प्रकार की मिश्रित वनस्पति हैं जो जैविक पदार्थों और मृदा के संचय से निर्मित 'फ्लोटिंग बायोमास' है। भारत में इनकी आबादी 250 से भी कम रह गई है और इसका प्रमुख कारण मनुष्य का उनके इलाके में अतिक्रमण है।

3. बोनहेड शार्क

- वैज्ञानिकों ने पहली बार शार्क की ऐसी प्रजाति की खोज की है जो सर्वग्राही है और समुद्री घास भी खाती है। अमेरिका के उथले पानी में मिलने वाली बोनहेड शार्क का 60 प्रतिशत भोजन समुद्री घास है।
- यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के एक दल ने बोनहेड शार्क की खान-पान की आदतों पर शोध किया। बोनहेड, हैमरहेड शार्क की सबसे छोटी प्रजातियों में है। यह केकड़े, झींगे, घोघे और छोटी मछलियों के साथ ही समुद्री घास भी हजम कर जाती है।
- शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने पांच बोनहेड शार्क को तीन हफ्ते तक समुद्री घास और विशेष प्रजाति का घोघा खाने को दिया। इससे पता चला कि बोनहेड के पाचन तंत्र ने आसानी से समुद्री घास को पचा लिया। परीक्षण के दौरान इन शार्क का वजन भी बढ़ गया था।
- शोध से जुड़ी यह रिपोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसायटी बी में प्रकाशित हुई है। शोध की प्रमुख वैज्ञानिक समांथा लेह ने कहा, हम हमेशा सोचते थे कि शार्क मांसाहारी होती हैं लेकिन हम यह जानकर हैरान हैं कि बोनहेड शार्क सर्वग्राही है।
- ये मछलियां पूर्वी प्रशांत महासागर, पश्चिमी अटलांटिक महासागर और गल्फ ऑफ मैक्सिको में बहुतायत में पाई जाती हैं
- जिस शार्क पर यह शोध किया गया है, उसकी प्रजाति आम तौर पर सामान्य समुद्री इलाके में पायी जाती है और यह आम तौर पर गहरे समुद्र में नहीं जाती है। मैक्सिको की खाड़ी और पश्चिमी अटलांटिक महासागर में इस प्रजाति के शार्क अधिक पाये जाते हैं।

4. जंगली उल्लू (Forest Owlet)

- उल्लू के शिकार को लेकर वन विभाग में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जंगलों के साथ बाजारों और धार्मिक स्थलों पर निगरानी रखी जा रही है।
- दिवाली पर उल्लू की बलि देकर कई तरह के अनुष्ठान की बात सामने आती है। इस दौरान बाजार में उल्लूओं की डिमांड तक बढ़ जाती है।

- परंपरागत उल्लू प्रजाति में से जंगली उल्लू (Forest Owlet) सबसे संकटग्रस्त प्रजात है और यह मध्य भारत के जंगलों में पाया जाता है।
- छोटे जंगली उल्लूओं को विलुप्त माना जाता था लेकिन बाद में इन्हें फिर से पाया गया और भारत में इनकी बहुत कम आबादी इन्हें विलुप्तप्राय की श्रेणी में ले आई।
- मेलघाट टाइगर रिजर्व, मध्यप्रदेश का तलोदा वन रेंज और वन क्षेत्र एवं छत्तीसगढ़ में छोटे जंगली उल्लू पाए जाते हैं। यह महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है।
- उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन कि अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसके कान बेहद संवेदनशील होते हैं।
- रात में जब इसका कोई शिकार (जानवर) थोड़ी सी भी हरकत करता है तो इसे पता चल जाता है और यह उसे दबोच लेता है।
- इसके पैरों में टेढ़े नाखूनों-वाली चार-चार अंगुलियां होती हैं जिससे इसे शिकार को दबोचने में विशेष सुविधा मिलती है। चूहे इसका विशेष भोजन हैं। यह उल्लू संसार के लगभग सभी भागों में पाया जाता है।
- हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है पर ऐसा विश्वास है। यह विश्वास इस कारण है, क्योंकि कुछ देशों में प्रचलित पौराणिक कहानियों में उल्लू को बुद्धिमान माना गया है।
- प्राचीन यूनानियों में बुद्धि की देवी, एथेन के बारे में कहा जाता है कि वह उल्लू का रूप धारण पृथ्वी पर आई हैं।
- भारतीय पौराणिक कहानियों में भी यह उल्लेख मिलता है कि उल्लू धन की देवी लक्ष्मी का वाहन है और इसलिए वह मूर्ख नहीं हो सकता है। हिन्दू संस्कृति में माना जाता है कि उल्लू समृद्धि और धन लाता है।

5. स्टार कछुआ

- यूपी के मेरठ में स्टार प्रजाति के कछुओं की अवैध तस्करी किये जाने के मामले में नया खुलासा हुआ है।
- वैज्ञानिक नाम: जियोचेलोन इलिगैन्स (Geochelone elegans)
- उच्च वर्गीकरण: टिपिकल टॉटोइस
- स्टार कछुए तीन व्यापक क्षेत्रों में पाये जाते हैं जैसे- उत्तर-पश्चिम, भारत (गुजरात, राजस्थान) और आसपस के दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान, तमिलनाडु के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग, आन्ध्रप्रदेश तथा पूर्वी कर्नाटक से ओडिशा तथा सम्पूर्ण श्रीलंका।

- विदेशों में पालतू जानवरों के रूप में उपयोग के लिये बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए इन प्रजातियों का अवैध व्यापार किया जाता है।
- यह प्रजाति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-IV में भी सूचीबद्ध है और विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिये प्रतिबंधित है। इसके अलावा यह प्रजाति सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जब्ती के अधीन है।
- स्टार कछुए को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की लुप्तप्राय प्रजातियों की लाल सूची में 'अतिसंवेदनशील' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इस कछुए का सबसे अधिक तस्करी चीन में की जाती है। चीन के लोग कछुए के खोल की जेली बनाकर शक्तिवर्द्धक दवाओं में भी इस्तेमाल करते हैं। कछुओं के खोल से तरह-तरह का सजावटी समान, आभूषण, चश्मों के फ्रेम आदि भी बनाये जा रहे हैं।

6. हिम तेंदुआ

- अरूणांचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में समुद्र तल से 3900 मीटर की ऊंचाई पर बिल्ली के समान दिखाई देने वाले हिम तेंदुए की उपस्थिति की पुष्टि की गई है।
- उल्लेखनीय है कि इससे पहले उपस्थिति की पुष्टि की गई है।
- बेहद शर्मिले माने जाने वाले इस तेंदुए को अंग्रेजी में Sneoleopard का जाता है।
- हिम तेंदुए मध्य एशिय के पर्वत श्रृंखलाओं में रहने वाले जानवर हैं जो IUCN के रेडलिस्ट में शामिल संकट ग्रस्त और संरक्षित प्राणि हैं। यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय धरोहर पशु है।
- यह बिग कैट प्रजाति (जिसमें बाघ, सिंह, जगुआर एवं हिम तेंदुए आते हैं) के अन्य जीवों से आकार में कुछ छोटा होता है। इसकी लंबाई 75 से 130 सेमी. होती है।
- पहली बार हिम तेंदुए के बारे में सन् 1750 में स्क्रेबर ने बताया था।
- हिम तेंदुए काफी हद तक एकाकी जीवन व्यतित करते हैं। दुनियाभर में हिम तेंदुओं की अनुमानित आबादी करीब 4501 से लेकर 7350 के बीच है।
- भारत में 75000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में इनकी आबादी करीब 200 से 600 के बीच आंकी गई है।

7. डूगोंग समुद्री गाय

- डूगोंग एक प्रकार की समुद्री गाय है। यह स्तनधारी प्राणी पूरी तरह शाकाहारी होता है और समुद्र में केवल पत्ते और समुद्री घास जैसी शाकाहारी चीजें ही खाता है।
- यह प्राणी हिंद-प्रशांत महासागर के लगभग 40 देशों में पाया जाता है। इसका शरीर बेलनाकार होता है, आगे के फिन पैडल की तरह और पूंछ डॉल्फिन की तरह होती है। इसकी आयु 70 वर्ष तक होती है।
- समुद्री गाय समूहचारी प्राणी है। नर और मादा उम्र भर के लिए नहीं तो कम-से-कम प्रजनन काल की पूर्ण अवधि के लिए साथ रहते हैं। मादा 50 साल के अपने जीवनकाल में केवल पांच या छह बच्चों को जन्म देती है।
- एक बार में केवल एक बच्चा पैदा होता है। बच्चे पानी के किनारे किसी रेतीले भाग में दिए जाते हैं। यह स्थान तट से थोड़ी ही दूरी पर होता है।
- हाथियों के समान उसके भी अस्ति-पंजर वृहदाकार होता है और ऊपरी कृतक दंत लंबे और नीचे की ओर बढ़े हुए होते हैं। नरों में ये दंत ऊपरी जबड़े से काफी बाहर निकले रहते हैं। समुद्री गाय का वजन 140-200 किलोग्राम होता है
- डूगोंग (dugong) एक मध्यम आकार का समुद्री स्तनधारी प्राणी है जो विश्व के कई भागों में समुद्री तटीय क्षेत्रों के जल में पाया जाता है।
- यह साइरेनियाजीववैज्ञानिक गण का सदस्य है, जिसमें चार जीववैज्ञानिक जातियाँ पाई जाती हैं। डूगोंग इस गण के अधीन डूगोंगिडाए (Dugongidae) नामक कुल की इकलौती जीवित जाति है।
- इस कुल में स्टेलर समुद्री गाय (Steller's sea cow) नामक एक अन्य जाति भी थी लेकिन उसका इतना शिकार किया गया कि वह 18वीं शताब्दी में विलुप्त हो गई। साइरेनिया गण में डूगोंग के अलावा तीन मैनाटी की जातियाँ भी हैं।
- डूगोंग का हजारों वर्षों से तेल और माँस के लिये शिकार किया गया है। यह एक लम्बी आयु की जाति है- औसतन डूगोंग 70 वर्षों के लिये जीवित रहते हैं। इनके प्रजनन की गति धीमी है और इनकी संख्या धीरे-धीरे ही बढ़ती है।
- इन कारणों से इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है और यह एक असुरक्षित जाति घोषित कर दी गई है। कई स्थानों पर इन्हें सुरक्षित रखने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं, मसलन भारत की चिल्का झील में।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. हाल ही में प्रकाशित डब्ल्यूएचओ (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया के कुल मामलों में से 80 प्रतिशत मामले भारत और अफ्रीकी देशों में मिले हैं। मलेरिया के कारणों का जिक्र करते हुए भारत सरकार द्वारा इसके निदान के लिए किये गये कार्यों की चर्चा करें।
2. हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था। विश्लेषण करें।
3. आरबीआई ने 'इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क' के परीक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्णय लिया है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है? यह 'एमएसएमई' उद्योगों के लिए किस प्रकार लाभदायक है? उल्लेख करें।
4. हाल ही में 'क्वाड' (QUAD) देशों की तीसरी बैठक सिंगापुर में संपन्न हुई। दक्षिण-पूर्व एशिया के विकास तथा शांति बहाली में क्वाड किस प्रकार सहायक होगा? परीक्षण करें।
5. भारत में पेयजल की अनुपलब्धता, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं को एक साथ साधने के लिए 'नदी जोड़ो परियोजना' एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। मूल्यांकन करें।
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा महान्यायवादी के संवैधानिक स्थिति का उल्लेख करते हुए उनके कार्यों को लिखें।
7. 'अतीत' मानवीय चेतना तथा मूल्यों का एक स्थायी आयाम है। चर्चा करें।

UPPCS Mains Test Series 2018



02 Dec.	Test-1 - (12:00Noon-3:00pm) Modern India, India After Independence, World History, History of Uttar Pradesh	13 Jan.	Test-7 - (12:00Noon-3:00pm) Science & Tech., Disaster Management, Ecology & Environment
09 Dec.	Test-2 - (12:00Noon-3:00pm) Social Issues, Art & Culture , Uttar Pradesh (Social Issues, Art & Culture)	20 Jan.	Test-8 - (12:00Noon-3:00pm) Ethics (Paper-I) Ethics and Human Interface, Attitude, E.I. and Thinkers with Case Study
16 Dec.	Test-3 - (12:00Noon-3:00pm) World Geography, Indian Geography, Geography of Uttar Pradesh	27 Jan.	Test-9 - (12:00Noon-3:00pm) Ethics (Paper-II) Aptitude and Value of Civil Services, Ethics in P.A., Probity in Govt. with Case Study
23 Dec.	Test-4 - (12:00Noon-3:00pm) Indian Polity, Constitution, In special reference of Uttar Pradesh	03 Feb.	Test-10 - (12:00Noon-3:00pm) General Studies (Paper-I) Full Test Test-11 - (3:30pm-6:30pm) Hindi Full Test
30 Dec.	Test-5 - (12:00Noon-3:00pm) Governance and Public Policy, International Relation In Special Reference of Uttar Pradesh	10 Feb.	Test-12 - (12:00Noon-3:00pm) General Studies (Paper-II) Full Test Test-13 - (3:30pm-6:30pm) Essay
06 Jan.	Test-6 - (12:00Noon-3:00pm) Indian Economy, Internal Security in Special Reference of Uttar Pradesh	17 Feb.	Test-14 - (12:00Noon-3:00pm) General Studies (Paper-III) Full Test Test-15 - (3:30pm-6:30pm) Hindi Full Test
		24 Feb.	Test-16 - (12:00Noon-3:00pm) General Studies (Paper-IV) Full Test Test-17 - (3:30pm-6:30pm) Essay

635, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

011-49274400 | dhyeyaias.com

Registration Starts

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
मुफ्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध है

ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने
के लिए 9205336039 पर "Hi Dhyeya IAS"
लिख कर मैसेज करें

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं
www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in



ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9205336039 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in



Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400